राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के छठा सत्र, १९६४ का नवां दिवस [संख्या ७

मंगलवार, दिनांक ११ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक प्रातः ८-२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, राजस्व, गृह, निर्वाचन, शक्ति उद्योग, खनिज, सार्वजनिक निर्माण, सहकारी समाज कल्याण यातायात-विभाग]

प्रश्न संख्या १४७

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल

जंगलात की भूमि

१४८ श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सीरावास, तहसील अलवर पहले किशनपुर जागीर में था और सन् १९२१ में महाराजा अलवर ने शिकार की दृष्टि से जंगलात विभाग में शामिल किया था ?

(२) क्या यह सही है कि इस ग्राम के किसान अभी तक वहीं बसे हुए हैं और उनके पास कोई जमीन नहीं है तथा वे भैंसों को जवाडों में जंगलात विभाग की इजाजत से रखकर अपना गुजारा कर रहे हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस ग्राम के लोगों ने अपनी जमीन वापिस जंगलात विभाग से निकाल कर उन्हें देने की मांग की है और दो सहकारी समितियों ने संगठित होकर जमीन काश्त करने की इच्छा प्रकट की है ?

(४) क्या यह सही है कि इसी रुंध सीरावास में दो सहकारी समितियों को जमीन अॉलट की जा चुकी है ? यदि हां, तो किन किन तारीखों में ! उक्त सहकारी समितियों के सदस्य कौन कौन सी तहसीलों के रहने वाले हैं !

(५) क्या सरकार ने ग्राम सीरावास की जमीन वापिस गांव वालों को वन विभाग से निकालकर अलाट करने के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है? यदि हां तो क्या अगर नहीं तो क्यों नहीं?

उपःमन्त्री राजस्व, (श्री रामप्रसाद लड्डा) (१) जी हां। महाराजा की आज्ञा से वन विभाग में शामिल किया गया था किन्तु शिकार खेलने की दृष्टि से ऐसा किया गया था अथवा किसी अन्य कारण से, ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(२) जी हां।

(३) जी हां कलेक्टर अलवर को।

(४) जी हां दिनांक १०-२-६० और दिनांक २६-६-६३ को। इन समितियों के सदस्य तहसील बानसूरओर तहसील बहरोड़ के रहने वाले हैं।

(५) जमीन वन विभाग के अधीन होने के कारण कलेक्टर ने फाइल कर दी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार यह बतावेगी कि जब उस गांव के किसान जिनसे यह जमीन ली गई थी और जो आज दिन तक वहीं बसे हुए हैं और भूमिहीन ही हैं। अपनी कोआॅपरेटिव सोसायटी बनाकर उस जमीन को लेने को उत्सुक हैं, एप्लाई भी किये हुए हैं, पर उनको वंचित रखकर दूसरी तहसीलों की कोआॅपरेटिव सोसायटियों को वह जमीन दी गई है। अभी भी वहां जमीन बाकी है पर वह भी उनको नहीं दी जा रही है, इसका क्या कारण है!

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सहकारी समितियां बनाने का प्रश्न है, मेरी जानकारी के अनुसार वहां जो भी काश्तकार लगभग ३० फेमिलियों के रहते हैं, उन्होंने आज की तारीख तक कोई सहकारी समिति नहीं बनाई है।

अब रहा सवाल उनको जमीन देने का सो यह जमीन जंगलात विभाग की है और इस विभाग की तरफ से अब यह कायदा बन गया है कि पंचायत समिति के लेवल पर उन्होंने एक फोरेस्ट कमेटी का निर्माण किया है और जिला के लेवल पर भी किया है। तो वह पंचायत समिति के लेवल वाली कमेटी ही इस तरह के परिवर्तन और अलाटमेंट के लिये रिकमण्ड करती है। इस कमेटी में प्रधान वगैरह मेम्बर होते हैं। इसलिये नीचे के इस लेवल से कार्यवाही जब तक नहीं होगी तबतक रेवेन्यू विभाग की ओर से इस जमीन को उनको अलाट नहीं किया जा सकता क्योंकि यह फोरेस्ट विभाग के अन्तर्गत आता है मामला।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोआॅपरेटिव सोसायटियों के लिये रजिस्ट्रेशन के नियम ऐसे बने हुए हैं कि प्रिलिमिनरी सारी कार्यवाही इसकी हो जाती है, और अन्त में जब जमीन का अॅलाटमेंट हो जाता है तो वे उसे रजिस्टर्ड करते हैं। तो जहां तक प्रिलिमिनरी कार्यवाही का सवाल है उन लोगों की कोआॅपरेटिव सोसायटी के कागजात कम्पलीट हो चुके हैं और डिपार्टमेंट को ओर पंचायत समिति को ये कागजात भेज दिये गये हैं। लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन तभी हो सकेगा जब अलाॅटमेंट जमीन का हो जावेगा।

अब जिन दो अन्य तहसीलों की कोआॅपरेटिव सोसायटियों का सवाल है, उनको जमीन वन विभाग से निकाल कर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रेवेन्यू को दे दी गई है। यह पक्षपात है कि जो वहां बसे हुए लोग हैं और जो स्वयं भी कोग्रॉपरेटिव सोसायटी बनाने के लिये कार्यवाही कर चुके हैं उनके लिये वन विभाग ने जमीन निकाल कर नहीं दी। उनकी एप्लीकेशन पेन्डिंग में ही पड़ी रहने दी हैं और उन दूसरी तहसील वालों की कोग्रॉपरेटिव सोसायटी के लिये जमीन निकाल कर दे दी। यह हार्ट बर्निंग का क्वेश्चन है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न आप वन विभाग से पूछते ; तो ज्यादा अच्छा होता। रेवेन्यू विभाग में यह जमीन अगर हस्तान्तरित होगी तो हम तैयार हैं इनको अलॉटमेंट करने के लिये। इसके लिये जो प्रोसीजर हैं, आप उसको फोलो करें। हमारी तरफ से भी हम लिखने का प्रयत्न करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह इन्टर डिपार्टमेंट क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा कि जिला स्तर पर समिति बनाई गई है जो इस तरह के प्रश्नों पर विचार करेगी। सरकार तो सहानुभूति पूर्वक विचार करने को तैयार है। पर इस समिति के द्वारा यह प्रश्न पहुंचाया जावे तो सम्भवतः जल्दी मिल सकेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस समिति में भी उनकी एप्लीकेशन दी हुई है अध्यक्ष महोदय, वहां भी वह विचाराधीन है लेकिन वे जो अन्य तहसीलों की कोग्रॉपरेटिव सोसायटियां बनी हैं उनके बारे में तो वन विभाग से जमीन ट्रान्सफर करके कर दिया और इनका मामला खटाई में पड़ा रहने दिया, इसका कुछ नहीं किया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें वन विभाग का कोई अफसर अगर डिसएग्री करता है तो फोरेस्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटेरियट में यहां मामला आता है। रेवेन्यू से भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वहीं से उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति अन्तिम रूप में होती है, रेवेन्यू विभाग से नहीं होती।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्थिति स्पष्ट है। जो दो कोग्रॉपरेटिव सोसायटियां दूसरी तहसील वालों की हैं उनके लिये जमीन देने का निर्णय ले लिया गया और गांव वाले, जिन की वह जमीन थी पहले, उनको यों ही रख दिया। इसको आप कहां तक उचित समझते हैं, क्या यह डिस्क्रिमिनेटरी बर्ताव नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह परिवर्तन करने की स्वीकृति भी उनको फोरेस्ट विभाग से, सेक्रेटेरियट से हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन दूर के लोगों की कोग्रॉपरेटिव के लिये तो एग्री कर लिया और उसी गांव वालों के लिये एग्री नहीं किया यह सरासर डिस्क्रिमिनेशन का सवाल है। क्या सरकार इसमें इन्टरफीयर करके और इस सारे मामले की जांच करके सही निर्णय लेने की बात नहीं सोचती ?

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बारे में निश्चित आश्वासन सरकार की ओर से

Page No. 4

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मिलना चाहिये अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह इनके विभाग से सम्बन्धित नहीं है। पंचायत समिति स्तर पर और जिला स्तर पर जो समितियां बनी हुई हैं उनमें जन प्रतिनिधि भी हैं। आप वहां मूव करें। वहां न हो तो फिर भी सरकार के पास आ सकते हैं। इसलिये जो प्रोसीजर है उसके अनुसार आप कार्यवाही करें। अगर वे निर्णय न लें तो फिर वन मन्त्री से पूछेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम तो उसमें हैं नहीं अध्यक्ष महोदय, और यह सारा मामला सरकार के नोटिस में लाने के लिये ही तो क्वेश्चन है। अगर नोटिस में लेकर सरकार इसकी जांच करा ले और फैक्टस अगर ये ही हों तो उनको जमीन दिलाने का प्रयत्न करे इस बारे में निश्चित आश्वासन मिलना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पंचायत समिति लेवल पर आप नहीं, तो प्रधान मेम्बर होता हैं डी. एफ़. ओ., तहसीलदार और विकास अधिकारी मेम्बर होते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसमें से आप एक को भी नहीं जानते और रीजनेबल चीज को कोई टेक अप करने को तैयार नही होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : टेक अप तो किया हुआ है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : ऐसी समितियों में सरकारी सदस्य होते हैं सभी और इन सरकारी सदस्यों और जनता के सदस्यों में पटती नहीं है। जनता का सदस्य केवल अकेला दुकेला होता है, बहुमत उनका नहीं होता और सरकारी सदस्य अपने बहुमत के बल पर फैसला कर देते हैं। ये अधिकारी वन विभाग के अधिकारी हमेशा सरकार की तरफ देखते हैं, भूमि हीनों की तरफ नहीं देखते। प्रधान अकेला होता है, उसकी बात सुनते नहीं वे। बहुमत के आधार पर वे सिफारिश कर देते हैं जिस में वे इन्टरेस्टेड होते हैं और गरीब किसान वंचित रह जाते हैं।

इन कमेटियों में गैर सरकारी सदस्य ज्यादा होने चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न है या भाषण है। हमारे प्रश्न तो यों ही रह जाते हैं और इस तरह समय सारा चला जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह भी नहीं कह सकते कि जिस गांव की जमीन टेक-ओवर की गई है उस गांव वालों को भी नहीं दी जा रही है। तो आप इन्क्वायरी करके जस्टिस करें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट

प्रश्न संख्या १४६

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री कृष्ण कुमार गोयल

Page No. 5

वार्डों का विभाजन व चुनाव, नगरपरिषद, कोटा

१५०, श्री कृष्ण कुमार गोयल : (कोटा) [श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) द्वारा पूछा गया] क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि नगरपरिषद कोटा में अभी तक वार्डों का विभाजन व मत दाता सूची तैयार नहीहुई है ?

(२) यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार दिसम्बर ६४ तक नगर परिषद, कोटा के चुनाव करवाने में सफल हो सकेगी ?

चुनाव मंत्री (श्री मथुरा दास माथुर : (१) हां।

(२) हां।

श्री हरि प्रसाद शर्मा : आप कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे है ?,

श्री मथुरादास माथुर : जिसका उत्तर आप ने पूछा है ।

श्री हरि प्रसाद शर्मा : आपने हां में उत्तर दिया है तो जो वार्ड बनेंगे उनके बनने में कितना समय लग जायेगा ? कब वार्ड बनेंगे, कब नोटीफिकेशन होगा और कब लिस्ट बनेगी ?

श्री मथुरा दास माथुर : जब हमने हां कहा है तो सब कानूनो को देख कर ही हां कहा है ।

श्री हरि प्रसाद शर्मा : वार्ड कब तक बनेंगे ? मैं यह पूछ रहा हूं कि कोटा की नगरपालिका में वार्ड कब तक बन जायेंगे, कब नोटीफिकेशन होगा, कब एतराज इनवाट होंगे और कब सूची बनेगी ? अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं किया है तो दिसम्बर तक चुनाव कैसे करा देंगे ?

श्री मथुरा दास माथुर : जब हमने हां कहा है तो चुनाव हो जायेंगे ।

श्री हरि प्रसाद शर्मा : कितने समय की आवश्यकता है? वोटर्स लिस्ट के लिए कितने समय की आवश्यकता है ? यह स्पष्टीकरण कीजिए ।

श्री मथुरा दास माथुर : सबसे पहला प्रपोजल १०-३-६४ को आया था लेकिन वह गलत आने की वजह से लौटाया गया और फिर प्रपोजल उसके बाद में ३१ मई ६४ को आया उसमें फिर गलती रही और वह फिर लौटाया गया और फाइनली लौट कर हमारे यहां १०-८-६४ को पहुंचा है । अब चूंकि प्रपोजल्स फाइनल होकर आ गये हैं तो आगे की कार्यवाही शुरू होगी और जैसी कि मैंने घोषणा की थी, समय के लिए, वह उसके अन्दर ही चुनाव हो जायेंगे ।

श्री हरि प्रसाद शर्मा : आप को वार्ड विभाजन करने में और कम्प्लीट कर देने में कितना समय लगेगा नियमानुसार ?

श्री मथुरा दास माथुर : दिसम्बर के महीने में और आज के दिन के बीच में जितना समय है उसमें सब कानूनी कार्यवाही पूरी हो जावेगी ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : वार्ड के लिए आप ने कहा कि १० तारीख को प्रपोजल्स आगे हैं अब वह बजट में निकलेंगे,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

एक महीने में आब्जेक्शन्स इन्वाइट होंगे, फिर इलेक्टोरल रोल्स बनायेंगे। क्या इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि दिसम्बर तक चुनाव करा लेंगे ?

श्री मथुरा दास माथुर : ऐसा नहीं होता कि एक काम होता है तो दूसरा काम चलता ही नही है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): जब तक वार्ड फाइनल नहीं हो जाते तब तक इलेक्टोरल रोल कैसे बनायेंगे ?

श्री मथुरा दास माथुर : इसमें देरी म्युनिजिल्स बोर्ड की रही थी। अब प्रपोजल्स आने के बाद में हम फाइनल कर देंगे और नोटीफिकेशन निकल जायेगा और बीच में उसके बाद लिस्ट बनानी शुरू हो जायेगी। इसीलिए अभी बहुत समय है और दिसम्बर के पहले पहले चुनाव करा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयपाल

जिला डूंगरपुर ग्रामों को बिजली

१५१. श्री विजयपाल (डूंगरपुर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-- क्या सीमलवाड़ा, धम्बोला, व पीठ डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर में बिजली देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो बिजली कहां से व किन किन गांवों में होकर जायेगी।

उप-मन्त्री विद्युत् (श्री चन्दनमल बैद): जी हां। ११ कें० वी० डूंगरपुर से पीठ वाया गेंगी, करवाड़ा, गंदपुर, धम्बोला, सीमलवाड़ा की ओर होकर जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

चाही व बारानी पर सरचार्ज-ग्राम पिरावा

१५२. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Revenue Minister please reply :--

(1) Is it a fact that a surcharge of four annas a rupee on Chai land and 2 annas on Barani land was imposed by the former Tonk Stat on the cultivators of Pirawa in Jhalawar District in the year 1923 ?

(2) Is it a fact that this surcharge has become a part of land revenue and has not been discontinued as yet ?

(3) What was the purpose for the imposition of the surcharge and why has is it not been discontinued ?

(4) What action the Goverdment proposes to take in this regard in the future ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सरचार्ज के नाम से कोई टैक्स नहीं लगाया गया था परन्तु भूतपूर्व टोंक रियासत के जमाने में पिरावा में २ आने प्रति रुपया गैर आवपाशी पर और ३ आने प्रति रुपया चाही जमीन पर लगान में बेशी किया गया था।

(२) यह बेशी लगान किसी नियत अवधि के लिए नहीं किया गया था बल्कि लगान ही बढ़ा दिया गया था तथा जमाबन्दी में शामिल कर लिया गया था इसलिए इसके बन्द करने का प्रश्न नही उठता।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(३) इस विषय में कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है परन्तु ऐसा विदित हुआ है कि यह बेशी चराई माफ करके की गई थी। इसलिए समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) फिलहाल इस विषय में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है परन्तु इस तहसील में सेटलमेन्ट हो रहा है जिसके समाप्त होने पर लगान की नई दरें लागू कर दी जायेंगी।

श्री झुजार सिंह : क्या यह सही है कि जैसे आपने कहा कि यह पार्ट ऑफ लेण्ड रेवेन्यू था और इसको सरचार्ज या डिफरेन्ट टैक्स मानकर ही वर्षों तक कलेक्ट किया जाता रहा था ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : यह सही नहीं है।

श्री जुझारसिंह : लैण्ड रेवेन्यू लम सम पर बीघा के हिसाब से चार्ज नहीं किया बल्कि ओवर एण्ड एबव किया गया है।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि इसकी बढ़ोतरी इस प्रकार की गई थी कि पहले जिस जमीन पर जो आबपाशी की जमीन है उसके २ आना प्रति बीघा और अगर आबपाशी की जमीन नहीं है तो ३ आने प्रति बीघा चाहो जमीन पर लगान में वृद्धि की गई। इसका मतलब यह है कि जो भी लगान था उसमें इतना और जोड़कर लिया जाने लगा है।

श्री जुझार सिंह : लगान प्लस सरचार्ज लिया गया या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सरचार्ज नहीं है बल्कि हमारी सूचना के अनुसार पहले चराई ली जाती थी उसको माफ करके लैण्ड रेवेन्यू में ही और जोड़ दिया गया। अलग से कोई टैक्स नहीं है।

श्री जुझार सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि लैण्ड रेवेन्यू प्लस यह टैक्स लैण्ड रेवेन्यू से अलग था और यह आइटम अलग था और वर्षों तक चार्ज होता रहा है एज ए सेपरेट टैक्स।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी सूचना के अनुसार अलग नहीं है बल्कि वह हमेशा के लिए जमाबन्दी में शामिल करके फैला लिया गया और वही रकम वसूल हो रही है।

श्री गोविन्द सिंह (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, यह रेकार्ड से साबित हो जाये कि यह दस साल के लिए किया गया था तो क्या करेंगे ? क्योंकि यह रेकार्ड उर्दू में है और यह कन्डीशनल था लेकिन अब इसको पार्ट ऑफ लैण्ड रेवेन्यू मान लिया गया लेकिन लगान बेशी के नाम से वसूल किया जा रहा था कृपा करके रेकार्ड उर्दू में है उसे दिखाने की कृपा करें ...

श्री राम प्रसाद लड्ढा : यह हाईपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर साबित हो जाये तो क्या हो। मैं इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैंने जो कहा है वह यह है कि सेटलमेन्ट इसका हो चुका है और रेन्ट रेट की रिपोर्ट कमिश्नर सेटलमेन्ट के कार्यालय में आ चुकी है और जल्दी ही गवर्नमेन्ट के पास आयेगी और वह स्वीकृत की जायेगी। उसके बाद में यह प्रश्न कभी-बेशी

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

का रहेगा ही नही क्यों कि जो फाइनल रेन्ट रेट गवर्नमेन्ट एप्रूव करेगी उसके ऊपर भायन्दा से चार्ज होगा ।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न असेम्बली में काफी बार आया, और आप ने अभी फर्स्ट टाइम यह एड्मिट किया हैं कि यह बेशी टैक्स लगा हैं वर्ना हर दफा डिनाई किया है। अब कहते हैं कि यह पार्ट ऑफ दी लैण्ड रेवेन्यू था और इसको अलग से चार्ज नहीं करते हैं। तो मैं फिर सूचना देता हूं कि यह एज ए सेपरेट टैक्स है और यह डेफीनेट पीरियड के लिए लगाया था। It was not land revenue. It was definitely a different tax and as such it shoud have been abollished.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर डेफीनेट पीरियड के लिए लगाया गया तो माननीय सदस्य कह दें कि किस साल तक लगाया था ताकि उसके संबन्ध में जानकारी करें। लेकिन मैं डेफीनेट जानकारी कर सकता था और मैंने बहुत अच्छी तरह से मालूम किया तो यह टैक्स अलग से जाहिर नहीं हुआ ।

श्री जुझारसिंह : आपको इस असेम्बली में पुराने क्वेश्चन में बता दिया गया। आप बार बार इसको डिनाई कर रहें हैं कि यह टैक्स लगा ही नहीं। शायद यह पहले भैरोंसिंह जी का प्रश्न था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इसको टैक्स नहीं मानता। लैण्ड रेवेन्यू में वृद्धि की गयी थी टैक्स तो में आज भी नहीं मानता।

श्री जुझारसिंह : यह सेपरेट टैक्स है और आप फिर जांच करवायें। हम जो वहां के रहने वाले हैं बराबर उन लोगों से मिलते रहते हैं और जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी है। आपने अभी पहली बार माना है कि यह लैण्ड रेवेन्यू में वृद्धि हुई थी लेकिन यह सेपरेट टैक्स है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I will feel obliged if the hon. Member Just gives me full information about this, If it was for a definite period, I will look in to it.

श्री जुझारसिंह : That is my information and that is my feeling. I cannot give you any documentary proof or documentary evidence. But this is my information.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I must get some definite informotion about it.

श्री गोविन्दसिंह : एक आश्वासन मंत्री महोदय यह और दें कि सेटिलमेंट ने अगर इस बढ़े हुए लगान को नहीं माना तो आप उन सेटिलमेंट अधिकारियों को वाध्य तो नहीं कर रहे हैं कि इस बढ़े हुए लगान को घोषित किया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बाध्य करने का प्रश्न नहीं है। न मुझे यह मालूम है कि रेन्ट रेट्स तैयार करते वक्त सेटिलमेंट पार्टीज ने किस प्रकार से तय किया है। इस प्रकार से आज इस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब देने को तैयार नहीं हूं।

श्री गोविन्दसिंह : रेन्ट रैट रिवाइज होने के पहले आप जितने भी रेकार्डस हैं

(श्री गोविन्दसिंह)

उनको तलाश करें। जो कुछ भी इस सम्बन्ध में रेकार्ड हैं उनको पूरी तरह से देखें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हर रेन्ट रेट का सेटिलमेंट श्राफ्टर स्क्रूटिनी के किया जाता है।

श्री भैरवलाल "काला बादल" (अकलेरा) : आपको मालूम हुआ रेकार्ड से कि १० साल के लिये ही लगाया गया था तो उससे ज्यादा समय की जो बढ़े हुए लगान की रकम वसूल की गई है वह वापिस लौटाई जायेगी क्या उन किसानों को ?

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ !

पुलिस एन्काउन्टर में सिपाही की मृत्यु ग्राम लालगढ़

१४३. श्री केदारनाथ गंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि गांव लालगढ़ जिला गंगानगर में सर्वनसिंह से पुलिस का मुकाबिला हुआ और उसमें हरिसिंह नामक सिपाही मारा गया ?

(२) क्या यह पुलिस एनकाउन्टर असफल रहा था ? यदि हां, तो क्यों ?

उपमंत्री गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) :
(१) जी हां।

(२) जी नहीं। एक डाकू राजसिंह गिरफ्तार किया गया था।

श्री केदारनाथ : यह जो हरिसिंह नाम का आदमी मारा गया है उसको क्या कम्पेन्सेशन दिया गया ? उसके बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह दी गई ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जब तक वह पेन्शनेबल एज तक नहीं पहुँचे तो उसकी पूरी तनख्वाह और उसके बाद में पेन्शन उसकी विधवा को। और बेनेवोलेन्ट फण्ड भी है पुलिस में वह पुलिस के अधिकार का है। उसकी एक कमेटी बनी हुई है वह उस बेनेवोलेन्ट फण्ड में से कुछ देते हैं। इस तरह से यह फायदा कानूनी तौर से महकमा इनको देगा।

श्री केदारनाथ : प्रश्न नं० २ में यह पूछा गया कि क्या वह एन्काउन्टर असफल रहा तो क्या वह डाकू सर्वनसिंह भाग गया और जो पकड़ा गया वह कौन हैं ? उसके पास क्या क्या बरामद हुआ ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : डाकू राजसिंह पकड़ा गया और वहां पर जो चीजें बरामद हुई हैं उनमें से एकाउन्ट की एक किताब मिली है। एकाउन्ट की किताब में जो इन्दराजात हैं वह सब्स्क्रिप्शन के हैं। वह चन्दा इकट्ठा करता था किसान पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। उस चन्दे का इन्दराज इस किताब में है। एक तो यह किताब मिली और दूसरा एक टेलिस्कोप मिला, और एक घोड़ी मिली और एक ऊंट मिला। कुछ कपड़े भी थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ऐसे कैसेज तो आपके खिलाफ भी हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जो डायरी मिली है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को चन्दा देने के इन्दराज हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर : उस डायरी से क्या आपको कुछ जानकारी मिली है कि इस डेकोइटी के एबेटमेंट में और कौन कौन हैं और क्या उनके खिलाफ कोई कार्य-वाही की है ? उसके बारे में कोई जानकारी की है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यानी चन्दा जो किसान पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी को देने के इन्दराज हैं तो इसकी कुछ जानकारी हम करना चाह रहे हैं।

श्री रामकिशन (बैर) : यह जो पकड़ा गया है वह किस एरिया का रहने वाला था और उसके खिलाफ कितनी डकैतियों की रिपोर्ट थी।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वह एक्स्कान्डर था। कई डकैतियों की और कत्लों की उसके खिलाफ रिपोर्ट थी। कौन कौन से की थी उसकी जानकारी नहीं है।

श्री रामकिशन : जब आपने जानकारी नहीं की है तो आपने कैसे मान लिया है कि कई मामलों में है।

श्री निरंजनाथ आचार्य : आपके सामने कई मामलात का विश्लेषण तो दूंगा नहीं, लेकिन यह एक्स्कान्डर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपने कम्युनिस्ट पार्टी, आथोराइज्ड पार्टी सेक्रेटरी से यह जानकारी की कि ये रसीदें बोगस हैं या उनकी पार्टी की जिनुआइन रसीदें है ?

श्री निरंजनाथ आचार्य : मैंने कहा कि किसान पार्टी को और कम्युनिस्ट पार्टी को चन्दा देने का यह लिखा हुआ है। अब हम इस कोशिश में हैं कि पहले अपने धरातल को बना लें कि यह चन्दा किधर किधर से आया है। उसके बाद में सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी को प्राइमाफेसी एविडेन्स होने के बाद इन्ट्रोगेट करेंगे इतमिनान से, लेकिन अभी यह इनिशियल जानकारी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसमें जो दस्तख्त हैं पैसा वसूल करने के तो क्या वे कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी के हस्ताक्षर हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हस्ताक्षर होते तो पहले ही दाब लेते। यही तो मुश्किल पड़ रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो यह तथ्य है कि नहीं हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हस्ताक्षर होते तो, अध्यक्ष महोदय, सवाल पैदा नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तथ्य को आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उस पर कोई कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दफा ११४ शहादत कानून के दृष्टिकोण से रेगुलर कोर्स में बहुत से इन्दराजात किये हुए हैं और आउट ला ने किये हैं। यह हमारा अन्दाज है। यह आदमी जो आउट ला है इसको क्यों उठा लाया। यह हमने कयास किया है।

Page No. 11

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्यों कोई मोहर कम्युनिस्ट पार्टी की लगी हुई हैं इस पर रबर स्टाम्प की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह डाकू कई कत्ल के मामलों में फरार था। दूसरों से पूछें तो सहूलियत मिल जाय। यह तो जस्टिस का मामला है। कोई इत्तिला आपकी तरफ से आ जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या केवल इस बिना पर कि किसी प्रेस में कोई छपी है जिसको कोई भी छपा सकता है आपने कहीं पर किसी के खिलाफ एक्शन लिया है और इस तरह का एलिगेशन लगाया जाय इस हाउस के अन्दर ? क्या यह उचित है इस तमाम का इस तरह से इन्फरेन्स लगाना ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अखबार में छपाने का प्रश्न नहीं है। उसके कब्जे में से एक एकाउन्ट बुक निकली है उसमें इन्द्राज हैं कुछ सब्स्क्रिपशन लेने के किसान पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। यहां तक तो यह है। आगे क्या हाल है। इन इन्दराजात से क्या कयास करते हैं, क्या जांच करते हैं। उसकी इनफोर्मेशन पर पूरे अधिकार से नहीं कह सकता। एलिगेशन का सवाल नहीं है। डाकू ने क्यों इन्दराज किया है। इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके अलावा इन्दराजात का आपने जिक्र नहीं किया। और क्या क्या इन्दराजात हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह कान्फिडेन्शल है। जांच होने से पहले आपको कहने से न मालूम क्या क्या गड़बड़ हो जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कान्फिडेन्शल है....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह प्रिविलेज है। न मालूम किस किस का नाम है। अभी आगे उसको देखना है कि क्या क्या है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि राजाओं और ब्रिटिशर्स के जमाने में भी कार्यकर्ताओं के खिलाफ इसी तरह के मुकद्दमें अफीम ले जाने वगैरह के बनाये जाते थे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : राजाओं का जमाना चला गया और कार्यकर्ताओं का जमाना रह गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप लोग भी उसी पद्धत्ति का अनुसरण कर रहे है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वह एकाउन्टबुक छाती से लगाये हुए था।

श्री रामकिशन : क्या उस डायरी में गंगानगर कांग्रेस कमेटी को २००) रु० की एन्ट्री है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : कुछ नाम जरुर हैं। मैं कह नहीं सकता कि सोशियलिस्ट पार्टी का कहीं जिक्र नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : (आसींद) किसी एस० एस० का नाम है क्या ?

Page No. 12

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह एस० एस० तो अभी बनी हुई है।

भूतपूर्व झालावाड़ स्टेट में काश्तकार फण्ड की वसूली

१५४. **श्री गोविन्दसिंह** (पिड़ावा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि फार्मर झालावाड़ स्टेट के समय काश्तकारों से काश्तकार फण्ड की रकम तहसील द्वारा वसूल होती थी ?

(२) यदि हां, तो यह रकम कितनी है ?

(३) क्या सरकार इस रकम को उसी इलाके के काश्तकारें। के हित में खर्च करने का विचार रखती है ?

(४) फार्मर झालावाड़ स्टेट के समय यह रकम (काश्तकार फन्ड) किस काम में आती थी ?

उपमन्त्री राजस्व (श्री रामप्रशाद लड्ढा) : (१) जी हां

(२) यह रकम २,६०,८७४) रु० की है।

(३) इस पर विचार किया जावेगा।

(४) यह रकम काश्तकारों को तकाबी देने के काम आती थी।

श्री गोबिन्दसिंह : क्या राज्य सरकार इस रकम को वहां के काश्तकारों को तकाबी देने के काम में लेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्डा : ऐसा सरकार का विचार है।

श्री गोविन्दसिंह : यह रकम अब तक कहां रखी रही और इसका क्या इन्टरेस्ट मिल रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फिक्स्ड डिपोजिट में केन्द्रीय सहकारी बैंक झालावाड़ में ३॥ परसेन्ट ब्याज पर १,३१,१०६) रु० रखे हुये हैं। बाकी रुपये काश्तकारों को दिये हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह रकम किस नियम के अन्तर्गत वसूल की जा रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब वसूल नहीं की जाती है। झालावाड़ राज्य के समय की जाती थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : कितने सालों की वसूल शुदा रकम हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : झालावाड़ राज्य राजस्थान में मर्ज हुआ उससे पहले की जमाशुदा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितने सालों में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सालों का मुझे पता नहीं लेकिन २,६०,८८४) रु० है।

श्री गोविन्दसिंह : ये रुपये तहसील में रखे है, जब से कि झालावाड़ स्टेट मर्ज हुई तब से क्या राज्य सरकार इन्ट्रेस्ट देने को तैयार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन्ट्रेस्ट का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि काश्तकारों को तकाबी देने के काम में आवे और वह भी झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के काश्तकारों को। कुछ दी हुई है और बाकी झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के किसानों को दी जा सके इस पर विचार हो रहा है।

श्री गोविन्दसिंह : कुछ रकम सहकारी बैंक में आ गई और कुछ तहसील में पड़ी हैं। जो रकम सहकारी बैंक में आ गई है उसका तो इन्ट्रेस्ट मिल रहा है लेकिन जो तहसील में पड़ी है उसका इन्ट्रेस्ट नहीं मिल रहा है तो क्या व्यवस्था सरकार करेगी कि बाकी रकम भी जल्दी ही बैंक में रखी जा सके ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : काश्तकारों को तकाबी देने का विचार रख रहें हैं इस लिये बैंक में रखने का प्रश्न नहीं हैं।

श्री गोविन्दसिंह : तकाबी किसकी मार्फत मार्फत देना शुरु करेंगे, क्या तहसील कीं मार्फत ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सारा विचार कर रहें है किस तरह तकाबी के रूप में देने के लिये किस एजेन्सी को काम में लिया जाय। डायरेक्ट रेवेन्यू एजेन्सी के जरिये पंचायत समितियों के जरिये या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिये। इस सम्बन्ध में विचार करके तय करेंगे।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : यह काश्तकारों की अमानत है या गवर्नमेन्ट की रकम हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गवर्नमेन्ट की रकम है।

श्री गोविन्दसिंह : गवर्नमेन्ट कीं रकम आपने फरमाया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उस समय यह फंड क्रियेट किया था उसका परपज यह था कि काश्तकारों को ऋण के रूप में उधार दिया जाय। यह रकम गवर्नमेन्ट की है।

श्री जुझारसिंह : यह रकम गवर्नमेन्ट की नहीं है। उनकी रकम है और १२.१५ साल से रखे रहने के बाद भी अनयुटिलाइज्ड रहने के पश्चात् भी आप यह फैसला नहीं कर सके कि इसका युटिलाइजेशन किस प्रकार हो। यदि गवर्नमेन्ट इसको अपनी रकम मानती है तो यह जरूरी नहीं है कि इसे सिर्फ झालावाड़ में ही खर्च करे। यह रकम वहां के काश्तकारों की है।

श्री अध्यक्ष : सरकारी रकम होते हुए भी डेफिनेट फंड हो सकता है। कई भूतपूर्व रियासतों में अलग फन्ड निर्धारित किये गये थे उसी तरह इसके बारे में मंत्री जी ने कहा।

श्री गोविन्दसिंह : यह रकम गवर्नमेन्ट की नही है। लैंड रेवेन्यू के साथ किसानों से परसेन्टेज लिया जाता था। इस तरह का एक सरा झालावाड़ में बना है अलग अलग काश्तकारों को तकाबी के रूप में यह रकम दी जाती थी, रकम का जो ब्याज आता था

(श्री गोविन्द सिंह)

वह भी दिया जाता था, इसलिये यह स्टेट की रकम नहीं है। काश्तकारों से रेवेन्यू के साथ चंदा लेकर अलग अकाउन्ट बिल्ड अप किया है। इसलिये यह रकम गवर्नमेन्ट की नहीं है। झालावाड़ के काश्तकारों द्वारा चंदे के रूप में दी गई है।

बने हुए माल का निर्यात करने वाली फर्मों को सुविधाएं

१५५. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में ऐसे कितने उद्योग हैं जो बने हुए माल का निर्यात करते हैं ?

(२) गत तीन वर्षों में इन उद्योगों ने किन किन चीजों का तथा कितना माल निर्यात किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(३) निर्यात करने वाली फर्मों को राज्य सरकार की ओर से क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

उपमंत्री उद्योग (श्री चंदनमल वैद) : (१) तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) तालिका में अंकित है।

(३) राज्य सरकार की ओर से ऐसे उद्योगों को कच्चा माल (रामेटिरियल) की उपलब्धी रियायती दर पर पानी एवं बिजली की प्राप्ती, आयात लाइसेन्स (इम्पोर्ट लाइसेन्स) की उपलब्धी, आर्थिक सहायता एवं ऋण इत्यादि में प्राथमिकता दिये जाने की व्यवस्था है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : तालिका में दिया गया निर्यात क्या फर्म्स की तरफ से किया गया है या सरकार ने दूसरे जरिये से निर्यात कराया है ?

श्री चंदनमल वैद : जो फर्म्स इन चीजों को बनाती हैं वे खुद निर्यात करती है और कुछ दूसरे एक्सपोर्टर्स की मार्फत निर्यात होता है। जिन फर्मों ने निर्यात किया उनके आंकड़े इसमें दिये हैं। बाकी दूसरों की मार्फत निर्यात हुआ है उसकी सूचना इसमें नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : नं० २ में जो फर्म है अब्दुल सुलेमान एण्ड कंपनी उसका हेड ऑफिस बोम्बे में है तो क्या उसका माल बोम्बे में बनता है और वहां से निर्यात होता है या राजस्थान में बनता है ?

श्री चंदनमल वैद : यह कंपनी गोट एण्ड केमल हैयर का निर्यात करती है।

श्री मुरलीधर व्यास : बनता कहां है ?

श्री चंदनमल वैद : गोट एण्ड केमल हेयर राजस्थान में होता है दूसरी जगह बनने का सवाल नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका हैड ऑफिस बोम्बे में क्यों है ?

श्री चंदनमल वैद : हैड ऑफिस बोम्बे में हैं इसका मतलब यह नहीं है कि राजस्थान में इसका कोई ऑफिस नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : नं.१० में बताया है कि सुविधाएं सरकार देती है उसके बारे में यह पूछा गया था कि क्या क्या सुविधाएं किस किस समय दी गई, इसका उल्लेख नहीं है।

श्री चंदनमल वैद : सुविधाओं के बारे में पूछा लेकिन किस किस को क्या क्या दी गई यह नहीं पूछा। डिटेल्स भी दिये जा सकते हैं फिर से पूछें तो।

श्री मुरलीधर व्यास : किन को क्या क्या सुविधाएं दी गई।

श्री चंदकमल वैद : किन किन ने क्या क्या सुविधाए मांगी और क्या दी गई यह अलग प्रश्न है। यदि आप पूछें तो बता दूंगा।

प्रश्न संख्या १५६

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचंद सुराणा।

(अनुपस्थित कृपया कागे देखिये)

श्री गोविन्दसहाय।

खान का ठेका करौली

१५७. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर)**: क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(१) क्या यह सही है कि करौली (वेहरदा) की खान का ठेका जिस आदमी को अभी १६००) रु० में रिन्यू किया गया है उसे प्राप्त करने के लिये कई दरख्वास्तें करीब ५० हजार रुपये तक देने की थीं ?

(२) अगर हां, तो फिर उस खान को नीलाम क्यों नहीं किया गया और इसके कारण सरकार को कितना घाटा हुआ और इसका दोषी कौन है ?

उप मंत्री खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) तीन दरख्वास्तें २२०००) २५,०००) और ३०,०००) तक के लिये प्राप्त हुई।

इस तरह की कई ग्रुप्स की लीजेज थीं। संबंधित ठेकेदारों ने इनको रिन्यू करने के लिये दरखास्तें दी किन्तु उनकी दरखास्तों पर कोई ध्यान न देकर उन्हें नीलाम करने की आज्ञा दी गई। तब कुछ ठेकेदारों ने उच्च न्यायलय जोधपुर में राज्य सरकार की आज्ञा के विरुद्ध रिट दायर कर दिये। जिस पर उच्च न्यायालय ने निषेध आज्ञा जारी कर दी व भूमि पर ठेकेदारों का कब्जा रखा। फिर ठेकेदारों के प्रार्थनापत्र देने पर हाई कार्ट की निषेध आज्ञा को ध्यान में रखते हुए पुनः विचार करके उनके एरिया में से कुछ एरिया कम करवा के उनके स्वीकृतशुदा लीजेज को तीन साल की अवधि के लिए नियमानुसार नवीनीकरण करने का निश्चय किया। इस ग्रुप न० ९ का एक गांव नाहरपुर कम करके ग्राम बेरड़ा का (१५५००) सालाना पर तीन वर्ष के लिये नवीनीकरण कर दिया।

श्री गोविन्दसहाय : इसके लिए जैसा की मंत्री जी ने फरमाया उनकी जानकारी सही नहीं है। इसके लिए दरखास्तें कई आदमियों ने दीं। ये २२०००) २५०००) और ३० हजार की चार आदमियों की दरखास्तें थीं। हाई कोर्ट में रिट दूसरे एरिया के लिए हुई। खान के मामालों में

Page No. 16

(श्री गोविन्दसहाय)

बहुत गड़बड़ियां हैं। लाखों रुपयों का घोटाला है। दूसरे पास की जो खानें हैं उनको ५ साल या १० साल के लिए रिन्यू कर दिया जाता है। राज्य सरकार को इससे बहुत नुकसान होता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, सारा मामला इस बात पर निर्भर था कि एक बार किसी पार्टी को लीज ग्रान्ट करने के बाद लीज पीरियड समाप्ति पर रिन्यूअल दिया जाता है वह सरकार के लिए ओब्लीगेटरी है या ऑप्शनल है। हाई कोर्ट ने यह होल्ड किया कि पहला रिन्यूअल ओबलीगेटरी है, सरकार को देना ही पड़ेगा जब तक उसमें रकम बाकी न हो या ब्रीच का सवाल न हो। क्यों कि इन लोगों के प्रार्थना पत्र समय से पूर्व किये जा चुके थे, हमने नीलाम का ऑर्डर दिया उसके खिलाफ एक पार्टी हाई कोर्ट में चली गई। हाई कोर्ट ने स्टे देकर कब्जा उनका रहने दिया और यह भी निर्णय दिया कि रिन्यूअल ओब्लीगेटरी रखा। ला डिपार्टमेन्ट की राय और हाई कोर्ट के जजमेन्ट को देखकर न चाहते हुए भी रिन्यूअल देना पड़ा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) रिन्यूवल आब्लीगेटरी रखा तो क्या वह दूसरों से कम रकम दे तो भी देना पड़ता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिन्यूअल का मतलब यह है कि ओरिजनल पीरियड के लिये उसको दी जाय। ज्यादा रुपये का प्रश्न नहीं उठता है। दूसरे लोग लाख रुपया ज्यादा देते तो भी नहीं दी जाती यदि लीगली हकदार है क्यों कि हाई कोर्ट ने होल्ड किया है कि रिन्यूअल ओब्लीगेटरी है, गवर्मेन्ट को देना पड़ेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार यह विचार नहीं करती कि राजस्थान मिनरल कंसेशन रूल्स का संशोधन किया जाय ?

श्री गोविन्दसहाय : दूसरी खानों के मामले में भी सरकार की ओर से कमी रही है, नियम नहीं बनाये हैं जिससे कि नीलाम किया जाय। झूमरलाल का २० साल से कब्जा चला आ रहा है उस एरिया के लिये लोगों ने १०. १० लाख की बोली लगाई है और तैयार हैं उनको न देकर १ लाख में दी जाती है। इस लिये नियमों ये सुधार किया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, झूमरमल की लीज में से ३० मील का एरिया कैंसिल कर दिया और नीलाम के जरिये दूसरी पार्टीज को दे दिया क्योंकि उसमें रुपये बाकी थे, ब्रीच की कंडीशन थी इसलिये यह हो सका। दूसरे केसेस में लोग हाई कोर्ट में चले गये और स्टे ऑर्डर ले आये। जब तक हाई कोर्ट का फैसला न हो जाय तब तक सारा एरिया उसके कब्जे में रहेगा। हाई कोर्ट का फैसला अगले महीने में होने वाला है।

श्री विजयसिंह झाला : हम आश्वासन चाहते हैं कि ५० हजार की जगह १६०० रुपये आये तो क्या इससे सरकार को हानि नहीं होती है और हानि होती है तो आप इसको

(श्री विजयसिंह झाला)

क्यों नहीं मानते और आपको कोई लीगल डिफिकल्टी होती है तो उसको क्यों नहीं रिमूव करते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कानून की बात है।

श्री विजयसिंह झाला : आपको इससे हानि होती है तो एक्ट में कुछ कमी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हिन्दुस्तान में कोई और कहीं भी ऐसा कानून नहीं है कि लीज को रिन्यू नहीं किया जाय। एक व्यक्ति बिजनेस में लाखों रुपया खर्च करता है और वह इसी आशय से करता है कि उसको फिर रिन्यूअल मिल जाएगा और हमको रिन्यू करना होता है अगर नहीं करते हैं तो काम नहीं चल सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या आपने फैसले से पूर्व ही यह रिन्यूअल किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह ६२ का फैसला है। बाद में दी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

रेवेन्यू अपीलेट आॅथोरिटी का कैम्प

१५८. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि अपीलेट आॅथोरिटी रेवेन्यू अपना कैम्प बीकानेर में ही रखती है ?

(२) क्या यह सही है कि अपीलेट आॅथोरिटी रेवेन्यू के सम्मुख करीब ८० प्रतिशत केसेज गंगानगर जिले के ही होते हैं ?

(३) यदि हां, तो अपीलेट आॅथोरिटी अपना कैम्प गंगानगर में क्यों नहीं रखती ?

उप-मन्त्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं। राजस्व अपील अधिकारी का हैड क्वार्टर बीकानेर में है और अदालत का कैम्प कोर्ट जोधपुर में होता है, वहां जोधपुर के मामले सुने जाते हैं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कृपया बता दें कि कितना पर्सेन्टेज इसमें गंगानगर का होता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रेवेन्यू अपीलेट अधिकारी के पास कुल २३५ मुकदमें थे उसमें से गंगानगर तहसील के तो करीबन १६ केसेज हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं गंगानगर जिले की पूछ रहा हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के केसेज हैं ६५।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के इतने केसेज हैं तो यह अपीलेट आॅथोरिटी अपना कैम्प गंगानगर में क्यों नहीं रखती ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो तहसीलें बीकानेर के पास पड़ती हैं वे वहां पर जाएं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री चतुर्भुज उपाध्याय !

बसी (चित्तोड़गढ़) से ग्वालियर सड़क निर्माण कार्य

१५६, श्री चतुर्भुज उपाध्याय : (चित्तोड़गढ़) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही कि बसी (चित्तौड़-गढ़) से ग्वालियर (मध्य प्रदेश) तक की सड़क बनाई जा रही है ? अगर हां, तो कितने मील की ? और इसकी स्वीकृति कब हुई ?

(२) क्या यह सही है कि बसी से विजयपुर या गवालियर तक रोड का कुछ हिस्सा बन चुका है ? अगर हां, तो कितने मील पक्की रोड़ तैयार हो चुकी और कितने मील जाना बाकी है ? जो हिस्सा बाकी है वह अब तक किन कारणों से नहीं बन सका ?

(३) कब तक यह सड़क बन कर उपयोग में आने लायक हो जायेगी ?

उपमन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीसिंह नन्दवाना) : (१) जी हां। १० मील ४६ चैन लंबी। इस सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक ८. ११. ६३ को दी गई है।

(२) जी हां। लगभग ६ मील सड़क बन चुकी है और १–४६ चैन मील बनना बाकी है। अर्थाभाव के कारण।

(३) आशा है चतुर्थ योजना में।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : अभी विजयपुर से ग्वालियर का हिस्सा बनना बाकी है यह कब तक पूरा हो जावेगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने निवेदन किया है कि चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में बन कर कम्पलीट होगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

अध्यक्ष, नगरपालिका, कुचामन के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा

१६०. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नांवा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :

(१) क्या यह सही है कि पुलिस अधीक्षक, नागौर के आदेशानुसार थाना कुचामन में सन् १९६२ में श्री रंगलाल आत्मज महादेव जी भीमराज का तत्कालीन अध्यक्ष, नगरपालिका कुचामन के विरुद्ध धारा ४०९ जाब्ता फौजदारी का कोई मुकदमा दर्ज हुआ था ?

(२) यदि हां, तो आज तक उस मामले की तफतीश में क्या प्रगति हुई और अब उस मामले का चालान अदालत में क्यों नहीं पेश किया जा रहा है ?

उपमन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां। भंवरलाल निरीक्षक नगरपालिका कुचामन को रिपोर्ट प्राप्त होने पर सुप्रिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस, नागौर ने मुकदमा थाना कुचामन में दिनांक ८. ६. ६२. को दर्ज करवाया।

(२) अनुसंधान से किसी प्रकार का गबन होना नहीं पाया गया । अतः अन्तिम निर्णय अदम वकूआ में दिनांक १६. ६. ६२ को किया गया ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या रकम नगरपालिका में जमा नहीं हुई थी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

कृषि सहकारी समिति लि० पालू कलां की भूमि पर नाजायज कब्जा

१६१ श्री अमरसिंह (दूदू) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कृषि सहकारी समिति लिमिटेड, पालू कलां, तहसील दूदू नामक कोई समिति मौजूद है ?

(२) क्या यह सही है कि इस समिति की जमीन को किन्हीं व्यक्तियों ने दबा रखी है ?

(३) यदि हां, तो वापस समिति को दिलाने के लिये सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की है ?

उपमन्त्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां ।

(२) हां समिति की ३६६।।ऽ३ बीघा अलॉट की गई भूमि में से ३८६।।ऽ१ भूमि पर ३४ व्यक्तिगत सदस्यों का कब्जा था । अतएव समिति को इस भूमि पर कब्जा नहीं मिल सका । दिनांक २०-११-६२ को तहसीलदार दूदू, ने व्यक्तिगत ३४ सदस्यों को जिनका समिति की ३८६।।ऽ१ भूमि पर कब्जा था, उनको खातेदारी अधिकार दे दिये ।

(३) समिति की ओर से एक प्रार्थना-पत्र सर्व प्रथम दिनांक १३-३-६४ को सहायक रजिस्ट्रार, जयपुर (पश्चिम) के कार्यालय में प्राप्त हुआ । जिसमें समिति ने भूमि पर कब्जा दिलाने की बाबत निवेदन किया । सहायक रजिस्ट्रार ने दिनाक १६-३- ६४ को सहकारी प्रसार अधिकारी दूदू को लिखा कि वे उक्त सम्बन्ध में अपनी विस्तृत रिपोर्ट भेजें । सहायक रजिस्ट्रार, जयपुर ने स्वयं भी उच्च समिति का निरीक्षण दिनांक ६-६-६४ को किया । सहकारी विभाग द्वारा उक्त सम्बन्ध में तहसील अधिकारियों से सम्पर्क भी स्थापित किया गया । लेकिन तहसीलदार, दूदू ने दिनांक २०-११-६२ को ही व्यक्तिगत ३४ सदस्यों को, जिनका समिति की ३८६।।ऽ१ भूमि पर कब्जा था उनको व्यक्तिगत खातेदारी अधिकार दे दिये ।

श्री अमरसिंह : क्या तहसीलदार ने इस प्रकार का नाजायज कब्जा करा कर नाजायज काम नहीं किया था ?

श्री भीमसिंह : परिस्थितियों में उसने ऐसा किया इसकी सारी जानकारी करके अगर नाजायज कार्य किया होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ।

श्री अमरसिंह : इस जमीन पर अभी काश्त कितनों की है ?

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि ३४ आदमियों को है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा) : क्या यह स्वतन्त्र पार्टी के लोगों की है :

एक माननीय : नहीं, यह कांग्रेसवालों की है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नई सड़कों का निर्माण, जिला बाड़मेर

१६२. श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि १६६० में बाड़मेर में हुई केबिनेट की मीटिंग के निर्णयानुसार बाड़मेर जिले में नई सड़क का निर्माण किया जाना था ?

(२) यदि हां, तो इस निर्णय को कार्यान्वित किया गया हैं ? और यदि नहीं किया गया है, तो क्यों ?

(३) वर्ष १६६१ तथा १६६२ में इस जिले में कौन कौन सी सड़कों का निर्माण किया गया है ?

उपमन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) सीवाना से समदड़ी, बालोतरा से पचपद तक की सड़कों को तृतीय योजना में शामिल कर लिया है। अकासर से बाड़मेर तथा तिलवाड़ा से धोरीमाना सड़क का कार्य अर्थाभाव के कारण शामिल नहीं हो सका।

(३) सूची (ख) प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

स्वतन्त्रता आन्दोलन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का लेखा जोखा

१६३, श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) अलग अलग रियासतों के जमाने में सी० आई० डी० पुलिस, राजनैतिक नेता व कार्यकर्ताओं को सी० आई० डी० करके उनके बारे में रिपोर्ट दिया करती थी उससे सम्बन्धित कागजात राजस्थान बनने के बाद किस जगह किसकी देख-रेख में रखे गये हैं ?

(२) आजादी प्राप्त करने के बाद राजस्थान ससकार ने स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन करने वाले कार्यकर्ताओं के कार्य का लेखा-जोखा करने के बारे में अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

(३) उपरमाल बिजौलिया, कुडाल, पचेल, डाबी, पारड, बून्दी, बेगार आन्दोलन किस सन् से किस सन् तक हुआ था और इन क्षेत्रों में आन्दोलन के सुपरवाइजर कौन थे ?

(४) बूंदी बेगार आन्दोलन में पं० नयनूराम शर्मा को बिना मुकदमा चलाये चार वर्ष की कैद की सजा किस के हुक्म से दी गई थी ?

(५) क्या यह सही है कि पं० नयनूराम शर्मा को बिना मुकदमा चलाये ४ साल की सजा देने के बारे में लंदन की पार्लियामेंट में किसी मदस्य के द्वारा प्रश्न पूछा गया था ?

(६) सन् १६१६ से सन् १६४७ अगस्त तक अलग-अलग रियासतों में आजादी

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

लिए लड़ने वाले राजनैतिक नेताओं और कार्यकर्त्ताओं द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी करने के बारे में राजस्थान सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ?

(७) उपरोक्त जानकारी की सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमंत्री, गृह ; (श्री निरंजननाथ आचार्य) : Point of order, Sir. प्रश्न १६३ के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, रूल ३७ (xviii) says, "It shall not ordinarily ask for information on matters of past history".

श्री अध्यक्ष : "Not ordinarily"

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : This cannot be raised now when the question has been admitted by the hon. Speaker. This is challenging the decision of the chair.

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न है वह पास्ट हिस्ट्री का है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : This question cannot be raised.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : First let my point of order be disposed of, then you may...इसमें तीन डिपार्टमेंट आते हैं। इस सम्बन्ध में श्रीमती नगेन्द्र बाला ने भी संकल्प रखा था कि ऐसे व्यक्तियों का, स्वतन्त्रता आन्दोलन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का लेखा-जोखा रखा जाय। इसके लिये एक कमेटी बनाई और खड़गावतजी उनका इतिहास लिख रहे हैं। इसमें बहुत सी सीक्रट रिपोर्ट और रेकर्ड को ढूंढना है। इसमें तीन डिपार्टमेन्ट्स का समन्वय करके तैयार किया जा सकता है यह कार्य ऐसा है जिसमें काफी समय लगेगा। यह कम से कम दो वर्षों का रिसर्च वर्क है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यही जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान में क्रान्तिकारी एवं राजनैतिक नेता हुए हैं जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में कार्य किया है उनके इतिहास के लिये क्या सरकार जागरूक है और सरकार ने क्या किया है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी प्रचार करेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके बारे में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस सम्बन्ध में प्रचार करते रहे हैं और करते रहेंगे। इस विषय में मैं आपका नाम भी जहां तक होगा जोड़ने की कोशिश करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस प्रश्न के कुछ हिस्सों का जवाब तो दिया जा सकता है। सी. आई. डी. का रेकर्ड कहां पर रखा जाता है। प्रश्न के हिस्से (१) का जवाब तो आसानी से दिया जा सकता है। दूसरों में कोई कॉन्ट्राडिक्ट्री बात हो सकती है। उसमें तो दो दस साल के रिसर्च की बात नहीं है!

श्री रामानन्द अग्रवाल : सिवाय प्रश्न के भाग ६ के सब का उत्तर दे दिया जा सकता है।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : यह जो संकल्प श्रीमती नगेन्द्र बाला ने रखा तब यह बात सरकार के दिमाग में आई कि आजादी की लड़ाई में मरने वालों का इतिहास लिखा जाए आप अभी तक सोते थे। जब श्रीमती नगेन्द्रबाला ने संकल्प रखा तो आपने कमेटी बनाने की सोची। जिन लोगों ने आजादी दिलाई उन लोगों की सर्विसेज को लाइट में लाया जावे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इससे पहले स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास श्री खड़गावतजी द्वारा लिखा जा रहा है। पर वह संकल्प कोर्स बुक्स के बारे में था उसके लिये कमेटी बना दी।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : कमेटी बना रखी थी, उसने क्या किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया कि श्री खड्गावत द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास लिखा जा रहा है, जो गुप्त रिपोर्टें हैं वे सब उसमें आयेंगी, सारे कम्प्लीट फैक्ट्स मैंने दे दिये। अगर, अध्यक्ष महोदय, इन सारे फैक्ट्स को इकटठा करने की इजाजत दी जाय तो तीनों डिपार्टमेंट्स को लेकर बैठूं, इनके कोऑर्डिनेशन से इन सारे फैक्ट्स को इकटठा किया जाय तो उनसे सारा इसिहास लिखा जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि आज सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वतन्त्रता आन्दोलन से पहले के इतिहास को छपवाना पसन्द नहीं करते ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह सही नहीं है।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं निवेदन कर दूं यह बिल्कुल गलत है कि इसे छपवाना पसंद नहीं करते। श्री खड्गावत जी द्वारा सारा इतिहास लिखा जा रहा है, पूरा चेक अप होने के बाद प्रकाशित करवाने की भी कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल !

खातेदारी हक-तहसील सराड़ा

१६४. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या सराड़ा तहसील में नजायज कब्जे वाले सभी काश्तकारों को खातेदारी हक प्राप्त हो चुके हैं यदि ? हां, तो अलग अलग गांवों में कितने काश्तकार हैं और कितनों को खातेदारी हक दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि भूमि पर काश्तकारों का कब्जा तीन साल से लेकर पांच साल तक होते हुए की पटवारियों ने जिन्स गिरदावरी रेकार्ड में दर्ज नहीं की है ?

(३) क्या सरकार की ओर से जिन काश्तकारों का कब्जा रेकार्ड में दर्ज नहीं किया है उसकी जांच की गई है ? यदि हां, तो यह गलती किन व्यक्तियों ने की है ?

(४) क्या सराड़ा तहसील में कई ऐसे भी काश्तकार हैं जिन्होंने भूमि पर कब्जा कर मकान बना कर भूमि को आबाद कर कुए खोदे हैं और खाते दर्ज नहीं हैं ?

(५) क्या भूमि के ऐसे भी कुछ मामले हैं जिनमें काश्तकारों का मौके पर पुराना

(श्री देवीलाल)

कब्जा होते हुए भी वो भूमि पटवारियों ने चरणोट में दी है ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) तहसील सराड़ा में काबिल काश्त भूमि पर नाजायज कब्जा वालों को खातेदारी हक दिये जा चुके हैं। ग्रामवार संख्या की सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं। गैर काबिल काश्त वाली भूमि पर जिनके नाजायज कब्जे थे उनको खातेदारी हक नहीं दिये गये।

(२) ऐसी कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(३) शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई तो जांच करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(४) एक ग्राम में ऐसा होना पाया गया है।

(५) चरणोट कायम करने के प्रस्ताव सरपंचों की सहमति से किये गये हैं, प्रस्तावों से यह विदित नहीं होता है कि चरणोट के लिये प्रस्तावित भूमि पर पुराने कब्जे थे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री देवीलाल : जिनके कब्जे होने से रह गये, उनके सम्बन्ध में क्या सरकार कार्यवाही करने को तैयार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस पर हम विचार कर रहे हैं, हमने जो आदेश दिये हैं उससे पूरा हल नहीं निकलता इसलिये उस पर हम विचार करके आदेश देंगे।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : गैर काबिल काश्त भूमि रही थी, उस पर कब्जा कर लिया है.....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वही पूछ रहे है और उसी का उत्तर दिया है।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह सही है कि ऐसे इन्स्टान्सेज दूसरी जगह भी हुए हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां, पाली डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, हमारे ध्यान में हैं।

श्री देवीलाल : क्या तहसील अधिकारियों के पास शिकायतें आई नहीं हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा है कि जमीन पर कब्जा था, वहां इन्वेस्टमेंट कर लिया है, कुआ खुदाने के सम्बन्ध में या और तरह से, और कुआ खुदाने के बारे में, नाजायज कब्जे के बारे में जिन्स किताब में दर्ज नहीं होते हुए भी किया तो इस सम्बन्ध में सर्कूलर निकाला था कि नाजायज कब्जा कर के कुआ भी खुदा लिया है फिर भी नाजायज तौर पर पटवारी ने जिन्स गिरदावरी में दर्ज नहीं किया है तो उस पटवारी को फौरन सस्पेन्ड किया जाय और इस तरह जिसने नाजायज कब्जा किया है उसका कब्जा माना जाय। ऐसा सर्कूलर निकाल दिया है।

श्री देवीलाल : चरणोट में लोगों ने नाजायज कब्जा किया है, क्या इसकी जानकारी होने पर सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि चरणोट पर नाजायज कब्जा कर लिया है, इस मामले पर अलग से कार्यवाही की जायगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): मैं खुद अलॉटमेंट कमेटी का मेम्बर हूं। बनेड़ा में अलॉटमेंट नहीं होने पर भी लोगों ने नाजायज कब्जा कर के कुए खुदवा दिये। और इस सम्बन्ध में एस०डी०ओ०, मांडल, भीलवाड़ा को शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तहसील सराड़ा के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है उसके सम्बन्ध में मैंने जवाब दिया है। सारे राजस्थान के पटवारियों ने क्या किया, इस का इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

श्री देवीलाल : जिन पटवारियों ने चरणोट में जान बूझ कर लोगों को कब्जा दे दिया तो ऐसी शिकायत करने पर क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर चरणोट जानते हुए चरणोट में इस तरह की कार्यवाही जानबूझ कर की है तो उस पटवारी के विरुद्ध जरूर कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

बोहारों के पंजों से ट्राइबल लोगों को छुड़ाने हेतु उठाये गये कदम

१६५. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि योजना कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ट्राइबल लोग बोहरों के पंजों में फंसे हुए हैं और उन्हें बीस पच्चीस प्रतिशत ब्याज चुकाना पड़ता है और कहीं-कहीं तो ५० से ७५ प्रतिशत तक ब्याज वसूल किया जाता है ?

(२) क्या योजना कमीशन ने राय दी है कि उचित जांच की जाय और ब्याज की दर निर्धारित की जाय ?

(३) क्या यह भी यह राय योजना कमीशन ने दी है कि एक विशेष अधिकारी को समुचित अधिकार दे कर बोहरों के पंजों से ट्राइबल लोगों को छुड़ाये जाने की कार्यवाही की जाय ?

(४) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कौन-कौन से कदम उठाये हैं ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमंत्री, योजना (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

विराम

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि योजना कमीशन के किसी अधिकारी ने....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दी नेक्स्ट क्विश्चन हैज बीन काल्ड में जवाब दे रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं। क्या यह सही है कि योजना कमीशन के किसी अधिकारी ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर इन तीन जिलों का भ्रमण कर हाल ही में एक रिपोर्ट दी है, जिसमें इन सब चीजों का उल्लेख किया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : अलग कैसे हैं; इसी से सम्बन्धित है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सम्बन्धित हो तो मैं उत्तर दे दूं पर इस प्रश्न में पूछा है योजना कमीशन की रिपोर्ट। इसके बावजूद माननीय अध्यक्ष उत्तर देने के आदेश दें तो मैं दे सकती हूँ, मेरे पास सूचना है।

श्री अध्यक्ष : दे दीजिये।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : राज्य सरकार की जानकारी में योजना कमीशन की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें आदिवासियों पर ऋण के सम्बन्ध में बोहरों का नियन्त्रण का वर्णन हो। ढेबर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस समस्या का विवेचन किया है तथा कुशलगढ़ में किये गये एक सर्वेक्षण के आधार पर यह उल्लेख किया है कि जहां ऋण नकद रुपयों में दिया जाता है वहां पर ब्याज की दर ३७। प्रतिशत है और जहां ऋण सामान के रूप में दिया जाता है वहाँ ब्याज की दर २५ प्रतिशत से १०० प्रतिशत बताई गई है। आयोग ने सामान्य रूप से यह सुझाव दिया है कि इस सम्बन्ध में और अध्यन की आवश्यकता है।

राज्य सरकार आदिवासियों की ऋण समस्या के प्रति काफी जागरुक है और उनको राहत देने के लिये राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम, १९६१ लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऋण पर आधारित सागड़ी प्रथा का प्रचलन इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से समाप्त समझा गया है। अलावा इसके राजस्थान कृषि ऋणता निवारण (संशोधन) अधिनियम, १९६२ भी अनुसूचित जन-जातियो के ऋण निवारण हेतु एक प्रगतिशील विधेयक है इसके अनुसार कृषकों की परिभाषा में अनुसूचित जन जातियों को भी शामिल किया गया है। अब वे भी अन्य कृषकों की भांति इस अधिनियम में वर्णित ऋण निवारण न्यायालय में अपने ऋण-निवारण के लिये आवेदन पत्र दे सकते हैं और न्यायालय निश्चित पद्धति के आधार पर ऐसे आवेदनपत्रों का निर्णय करेंगे।

अभी गत मार्च में राष्ट्रपति ने राजस्थान ऋणदाता अधिनियम पर स्वीकृति दे दी है इसके लागू होने पर अनुसूचित जन-जातियों को काफी राहत मिल जायगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्या यह सही है कि मनी लैंडर्स बिल पर प्रेसिडेन्ट की कन्सेन्ट हासिल कर लेने पर भी उसे लागू नहीं किया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके सम्बन्ध में आवश्यक नियम बनाये जा रहे हैं।

Page No. 26

श्री रामानन्द अग्रवाल : इतने अर्से पहले प्रेसिडेन्ट की कन्सेन्ट प्राप्त हो चुकी तो अभी तक नियम नहीं बना सके, इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास (ग्रासीन्द) : नियम कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने हाउस को यह सूचना दी है। वैसे यह इस प्रश्न से सम्बधित प्रश्न नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आदिवासियों को वोहरों से राहत दिलाने का प्रश्न है; मनी लैंडर्स बिल इसी से सम्बन्धित है। यह कब तक लागू होगा, आप यह अवधि बतायें।

(६. ०० म० पू०)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, इससे बढ़ कर अन्याय की कोई मिसाल मिल सकती है कि सौ प्रतिशत की दर से सहरियों से ब्याज ली जाती है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि सागड़ी प्रथा के विरुद्ध बिल पास होने के बाद भी अभी तक डूंगरपुर में लोग सागड़ी बाकायदा रखते हैं और सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया है ?

श्री देवीलाल (सराड़ा) : प्रतापगढ़ आदि तहसीलों में हजारों कैसेज हैं और हाउस में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि आज भी हजारों आदिवासी बोहरों के पंजे में फंसे हुए हैं लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। सागड़ी प्रथा के विरुद्ध कानून बन गया है लेकिन फिर भी गांव गांव में सागड़ी रखे जाते हैं।

(शेम, शेम की आवाज)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मैं स्पेसिफिकली भीखा भाई से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ये उनको रिप्रेजेन्ट करते हैं; उनके गांव के हैं; उनके लिए कर क्या कर रहे हैं, वहां क्या हो रहा है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं स्पेसिफिकली भीखा भाई से पूछना चाहता हूं कि क्या वे स्वयं सागड़ी नहीं रखते हैं ?

श्री भीखा भाई (सिंचाई मन्त्री) : जी नहीं मैं सागड़ी प्रथा को समाप्त करने में विश्वास रखता हूँ और सागड़ी प्रथा को समाप्त करने के लिए काम किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप सागड़ी स्वयं रखते हैं मैं आपके सागड़ी से मिल कर और बात करके आया हूँ।

श्री भीखा भाई : मैं सागड़ी रखता हूँ यह बात बिल्कुल गलत है। लेकिन कानून को लागू किया जाय, इस पक्ष में हूँ।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : आप विश्वास रखते हैं तो बतायें कि कितने प्रतिशत सागड़ी प्रथा को समाप्त किया है।

श्री देवी लाल : कमीशन ने रिपोर्ट दी है, उसमें यह था कि इस प्रकार के प्रश्न उठें तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मैं भीखा भाई से स्पेसिफिकली पूछना चाहती

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

हूं कि शत प्रतिशत ब्याज लिया जा रहा है–यह सही है या गलत ?

रामानन्द अग्रवाल : मनी लैण्डर बिल पर बहस हुई थी तो यह आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी बिल लागू हो जायगा। बिल पास हो जायगा। बिल पास हो गया लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है और रूल्स भी नहीं बने हैं।

श्री देवीलाल : वहां जो कर्जा वसूल किया जा रहा है वह ड्योढ़ा वसूल किया जा रहा है। मैं अच्छी तरह प्रूव करके बता सकता हूँ कि कर्जा वसूल करते हैं वह चार महीने में वसूल किया जाता है और हजारों आदिवासी उनके पंजे में फंसे हुए हैं लेकिन गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय केवल यह बतायें कि मनी लैण्डर विधेयक कब तक लागू करने की स्थिति में है ? आज नहीं, कल बता दें, परसों बता दें लेकिन निश्चित वक्तव्य दे दें कि कब तक लागू कर देंगे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई !

खातेदार काश्तकारों की भूमि की नीलामी-तहसील सांचोर

१६६. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : Will the Revenue Minister be pleased to state :

(1) Is it a fact that in Tehsil Sanchore, District Jalore, in rthe year 1963-64 many fields of Khatedar tenants were auctioned to recover arrears under Public Demands Recovery Act ? If yes, under which law ? List of such Khatedars may kindly be placed on the Table of the House.

(2) Is it a fact that auctioning of Khatedari land under P. D. R. Act is not warranted by law ? If yes, how above auctions are justified ?

( ) If auctions found wrong whether Government is prepared to restore the fields to the Khatedar Tenants concerned and what action will Government take against the wrong-doers ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सन् १९६३–६४ में तहसील सांचोर में केवल तीन काश्तकारों की भूमि बकाया वसूली में नीलाम की गई थी जो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अधीन थी, जिन खातेदारों की भूमि नीलाम की गई थी उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) काश्तकारों की भूमि बकाया लगान के सम्बन्ध में पी. डी. आर. एक्ट के अधीन नीलाम नहीं की जाती है ऐसी वसूली की कार्यवाही लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत की जा सकती है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदार को अधिकार था कि वह नीलाम कर सकता था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सर्टेन फॉरमेलिटीज को पूरा करने के बाद।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो उन्होंने गैर-कानूनी नीलाम किया आप यह मानते हैं या कानूनी तरीके से नीलाम किया गया, यह मानते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें एक आदमी ने स्वयं ने लिखकर दिया था कि उसका खेत नीलाम कर दिया जाय। इसलिए एक आदमी का उसके कहने से नीलाम किया गया। एक का उन्होंने नहीं कहा, न लिखकर ही दिया, लेकिन रकम बाकी होने की वजह से, नीलाम किया गया। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस मामले के अन्दर कुछ अवैधानिकता हुई है इसलिए इस अवैधानिकता का मैंने जांच का आदेश दिया है और जो इस सम्बन्ध में कसूरवार पाये जायेंगे उनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इस वक्त इतना ही कह सकता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इन खातेदार टेनेन्ट्स की लैण्ड को थोड़ी रकम के लिए नीलाम करके बोहरों को हैंड ओवर कर दिया गया और जो टेनेन्सी के राइट्स थे वे खत्म कर दिये गये तो क्या गवर्नमेंट उनको कम्पेन्सेशन देगी ? और जो गैर-कानूनी कार्यवाही तहसीलदार ने जल्दबाजी में कर दी है, जिन काश्तकारों की जमीन छीन ली गई है तो राज्य के जरिये जो गैर कानूनी तरीके से उनकी जमीन ले ली गई है उसके लिए कुछ राहत देने का सरकार विचार कर रही है ? जो बेदखल हो गये हैं, जो लैण्ड-लेस टेनेन्ट हो गये है उनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यद्यपि इस केस से उसका सम्बन्ध नहीं है लेकिन जिस प्रकार वे लैण्ड लैस टेनेन्ट हो गये हैं उनको लैंड-लैस टेनेन्ट की हैसियत से, जितनी भूमि गई है, उतनी उनके आस-पास जो अनआकुपाइड गवर्नमेंट लैण्ड है, वह उन पीड़ित लोगों को अलॉट करने के लिए सरकार आदेश दे देगी।

श्री तेजराम गहलोत (सोजत) : वही भूमि उनको वापिस क्यों नहीं दिला दें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कानूनी जानकारी प्राप्त की। मुझे प्रसन्नता होती अगर नीलाम सेट असाइड कानून के द्वारा हो सकता होता। लेकिन कानून के अन्तर्गत गवर्नमेंट के अन्दर ऑक्शन को सेट असाइड नहीं किया जा सकता। इस वजह से यह बात कही है। अगर किसी कानून के अन्तर्गत गवर्नमेंट को अधिकार हो कि वह ऑक्शन सेट असाइड कर सकती हो तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो ऑक्शन बिल्कुल गैर-कानूनी है, जो किसी प्रोवीजन ऑफ दी एक्ट के नीचे नहीं आता है तो बिल्कुल मामूली बात है कि गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर सकती है। आप जानते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड की सेंक्शन के बगैर नीलाम नहीं हो सकता और तहसीलदार ने अपने अधिकार का प्रयोग किया जो कानून में नहीं था और ऑक्शन किया तो उस ऑक्शन को कैंसिल करके वापिस करा सकते हैं वह लैण्ड।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २४१,२४६ और २४७ धारायें हैं उनके अन्तर्गत एग्रीव्ड

Page No. 29

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पार्टी को एक्शन लेना चाहिए था। वह नहीं लिया गया है। गवर्नमेंट का सुप्रोमोटो एक्शन लेने पर नीलाम कैंसिल किया जा सकता है ऐसा कानून में कोई प्रावधान इजाजत दे तो वह कार्यवाही अवश्य कर देंगे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : कलेक्टर ने लिखा है कि गैर कानूनी कार्यवाही की गई है। और कानून को हाथ में लेकर काम किया है। जो कानून के नीचे नहीं आता है जो सरकार की जानकारी में प्रत्यक्ष रूप से आ चुकी है तो क्या काश्तकारों को रिलीफ नहीं दे सकते ? कानून में प्रोवीजन है कि कोई गैर-कानूनी कार्यवाही हुई है तो उसको ठीक किया जा सकता है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : यह स्पष्ट है कि सरकार के अधिकारियों ने गैर कानूनी एक्शन लिया है और मन्त्री महोदय कहते हैं कि कोई कानून में प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर वे कार्यवाही कर सकें। सरकार कानून बना सकती है, असेम्बली का सहयोग ले सकती है। आर्डिनेन्स पास करके जमीन को मुक्त कर सकती है। बाकी जगह सरकार अमेंडमेंट ले आती है तो गलत कार्यवाही को खत्म करने के लिए जनता को राहत देने के लिए अमेंडमेंट क्यों नहीं करती है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अधिकारियों ने गैर कानूनी कार्यवाही की है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया, और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि आदेश दे दिये हैं। और उनके खिलाफ इन्क्वायरी करके जो सजा दे सकते हैं वह दी जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी तक क्या सज़ा दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न आया, इसका जवाब आने पर यह बात मालूम हुई कि अवैधानिकता हुई है। तो अवैधानिकता का जवाब आज दे रहा हूं लेकिन फाइल के ऊपर इन्क्वायरी के लिए लिख दिया है और आगे कार्यवाही करूंगा।

श्री मोतीलाल चौधरी : गवर्नमेंट के पास सुप्रो मोटो एक्शन लेने की पॉवर रहनी चाहिये। आप पॉवर ले लीजिये। मना किसने किया है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): बुनियादी तौर पर सेल नहीं हो सकती।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सेल से ज़मीन तीसरे आदमी के कब्जे में जा चुकी है। अब फिर कब्जा उसके पास से छीनकर ऑनर को दिलाना न्याय के अनुकूल हो सकता है लेकिन कानून के अन्तर्गत जब तक नहीं आये तब तक गवर्नमेंट कैसे दे ?

श्री मोतीलाल चौधरी : कौन से मुल्क में ऐसा कानून है कि अगर सरकारी अधिकारियों ने कानून का गलत उपयोग किया है तो जनता तकलीफ पाये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : ज़नता को राहत देने के लिये ऑर्डिनेन्स नहीं निकालते वैसे ऑर्डिनेन्स सरकार निकाल देती है।

Page No. 30

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आर्डिनेन्स का प्रश्न नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लॉ सकती है।

श्री राम किशन (बैर) : अध्यक्ष महोदय, १६६ तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक दो मिनट में हो जायगा। उसको ले लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, १७१ भी। वह एक–डेढ़ साल के बाद आया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १६६।

तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी

१६६. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) आज तक गंगानगर जिले में कितने व्यक्ति डी. आई. आर. के तहत नजर बन्द किये गये हैं ?

(२) तस्कर व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने और कौन से कदम उठाये और उसमें क्या प्रगति हुई ?

(३) अन्य तस्कर व्यापारियों (जिला गंगानगर) को गिरफ्तार न करने का क्या कारण है ?

उपमंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य : (१) अब तक गंगानगर जिले में कुल २२ व्यक्ति भारत सुरक्षा नियमों के तहत नजरबन्द किये गये हैं।

(२) तस्कर व्यापार को रोकने के लिये गश्त को अधिक प्रभावशील किया गया है। आर. ए. सी. व बोर्डर पुलिस को सचेत कर दिया गया है और पाकिस्तान से प्रवेश करने वालों की जांच कड़ाई के साथ की जाती है।

(३) जो जो तस्कर व्यापारी निगाह में आते हैं उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह जो तस्कर व्यापार करने वाले लोग हैं इन लोगों में पंचायत समिति के प्रधान जैसे लोग भी हैं या साधारण अन्य नागरिक हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : २२ लोग हैं, उनमें आप कह रहे हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इनका डेजिगनेशन मुझे पता नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : व्यापारी वर्ग के लोग कितने हैं और दूसरे लोग कितने हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा विश्लेषण मेरे पास नहीं कि व्यापारी कितने हैं। मेरे पास नामावली है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनको पकड़ने और छोड़ने का तरीका क्या है ? आपने तस्कर व्यापारी छोड़े वे किस आधार पर छोड़े है और पकड़ने का आधार क्या था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पकड़ने का आधार एन्टी-सोशियल एक्टिविटीज डी.

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

आई. आर. में आता है और स्मगलिंग का प्रश्न कामन लॉ ऑफ दी लैंड है। किस आधार पर छोड़े जाते हैं, उनके लिए डी. आई. आर. में प्रावधान है उसका उपयोग करते हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अनाज की कीमतों को बढ़ाकर या और दूसरे प्रकार से ब्लेक करने वाले लोग, मिलावट करने वाले लोग गंगानगर के अंदर बहुत सी तादाद में पकड़े गये हैं, तस्कर व्यापार करने वाले लोग बहुत से पकड़े गये हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है, क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामानंद अग्रवाल !

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : एक प्रश्न और है, मेरा इस संबंध में।

भूप्रबन्ध विभाग के अमीनों के ग्रेन्ड

१७१. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्यारा जस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भूप्रबन्धक विभाग के अमीनों को ६५-१-७०-२-६० का ग्रेड दिया गया है। जबकिभूमि एकीकरण विभाग में सर्वेयरों को ६०-४-११०-५-१५५-७॥-७० का ग्रेड दिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि भू-प्रबन्धक विभाग के अमीनों की और भूमि एकीकरण विभाग के सर्वेयरों की निम्नतम योग्यता मैट्रिक होती है ?

(३) क्या यह सही है कि अमीनों को भी सर्वेयर का काम सीखना पड़ता है और सर्वे का काम भी करना पड़ता है ?

(४) क्या यह सही है कि वन विभाग के अमीनों का ग्रेड ६०-४-११०-१५५-७॥-१७० है और उनका काम भी वन विभाग का सर्वे करना होता है ?

(५) भूप्रबन्धक विभाग के अमीनों का ग्रेड भूमि एकीकरण विभाग के सर्वेयरों और वन विभाग के अमीनों से नीचा रखने का क्या कारण है ?

(६) क्या यह सही है कि भू-प्रबन्धक विभाग के अमीनों द्वारा सर्वेयरों का ग्रेड दिये जाने की मांग की गई है ?

(७) क्या यह सही है कि सरकार ने प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई कमेटी बनाई है ?

(८) क्या इस कमेटी ने कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) भूमि एकीकरण विभाग के सर्वेयरों और वन विभाग के अमीनों की ड्यूटी भू-प्रबन्धक विभाग के अमीनों की ड्यूटी से अधिक कठिन है तथा उनका उत्तरदायित्व भी इनसे अधिक है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(६) जी हां।

(७) जी हां।

(८) कमेटी की सिफारिश राज्य सरकार के विचारधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कमेटी ने क्या सिफारिश की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने अर्ज किया कि यह राज्य सरकार के विचारधीन है। जब तक सरकार इसका फैसला नही करे तब तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने प्रश्न संख्या दो का उत्तर दिया है कि इनकी योग्यता बराबर नहीं होतीं है। क्या यह सही नहीं है कि मीनिमम क्वालिफिकेशन मेट्रिक है इन तीनों की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वेयर कब और कौन नियुक्त किया जाता है उसके दो तीन बड़े मुद्दे हैं। पहला है (1) By transfer of Amins from Settlement who have completed survey of at least two villages independently, including soil classification.

( ) By transfer of Patwaries of Revenue Department with at least five year standing and who have passed Patwar examination and have experience of map correction etc, और डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट जहां तक मुझे सूचना मिली है, अभी तक कोई नहीं किया गया। इसी प्रकार बाइ ट्रांसफर ही आते हैं। तो केवल एजूकेशनल क्वालिफिकेशन का सवाल नहीं है उसके साथ ट्रेनिंग, अनुभव, कर का नॉलेज, वगैरह जो बातें हैं उनका होना भी आवश्यक है एक सर्वेयर के लिये।

श्री रामानंद अग्रवाल : क्या यह सही है कि भू-प्रबन्धक विभाग के अमीनों को सर्वे के काम की परीक्षा भी देनी पड़ती है लेकिन सर्वेयर्स को कोई परीक्षा नहीं देनी है ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : मैंने कहा न कि उनकी डयूटीज और इनकी डयूटीज में बहुत फर्क है। कन्सोलिडेशन डिपार्टमेंट का जो सर्वेयर होता है उसको पार्टीशन वर्क करना पडता है, सारी स्कीम्स को वर्क आऊट करना पड़ता है, इन्डिविजुअल को इन्डिविजुअली टेकानकरना पड़ता है, उसको डेलीकेट सवाल डील करने पड़ते हैं। इसी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। सेटिलमैंट के सर्वे में और उस में फर्क है। कन्सोलिडेशन के सर्वेयर को परिश्रम करना पड़ता है, उसकी डयूटीज आर्डुअस होती हैं, इन्टीरियर में रहना पड़ता है। इस वजह से उनके ग्रेड में और रेवेन्यू के ग्रेड में फर्क है। इसकी यूनिफिकेशन के लिए यह मामला उस कमेटी के सामने आया था और उसकी रिकमन्डेशन पर जब सरकार विचार करेगी, विचार हो हो जाने के बाद सारा मामला सामने आ जायगा।

श्री रामानंद अग्रवाल : क्या यह सही है कि १९५६ से पहले जो इनके बेतन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ग्रेड थे वह एक जैसे थे और भूप्रबन्धक विभाग में सर्वेयर की पोस्ट रखी गई हैं लेकिन एक्चुली कोई सर्वेयर के नाम से एपॉइंट नहीं किया गया और जो सारा काम सर्वेयर को करना चाहिए भू-प्रबंध में, वह अमीन ही कर रहे हैं और इस तरीके से १९५९ के बाद रिवाइज्ड पे स्केल्स रखे, उन ग्रेड्स में बहुत बड़ा अंतर करके अमीनों को बहुत पीछे रखा गया है और सर्वेयर के ३०-३० रुपए बढ़ा दिए गए हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ग्रेड्स में जो अंतर हैं उनके वर्क के नेचर के आधार पर, ड्यूटीज के आधार पर है और इसी सारे मसले पर विचार करने के लिए तो कमेटी मुकर्रर की गई थी ।

श्री रामानंद अग्रवाल : यह कमेटी कब मुकर्रर की गई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, इसीलिए कब मुकर्रर हुई यह प्रश्न ज्यादा महत्व नहीं रखता ।

श्री रामानंद अग्रावल : रिपोर्ट कब दी गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिपोर्ट सरकार के विचारधीन है ।

श्री रामानंद अग्रवाल : कब दी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कुछ समय हुआ । तारीख तो मैं नहीं बता सकता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, १९६१ में कमेटी एपॉइंट की गई थी । तीन वर्ष हो गए । सरकार को तारीख बताने में क्या दिक्कत है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १९६३ में एपाइंट की गई थी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कुछ समय means three years, four years or ten years कुछ स्पेसिफाइ कर दें 'kuchh samaya' is equal to what ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १९६३ में एपाइंट हुई और उस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है । सरकार के पास विचाराधीन है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी उस पर निर्णय होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे पास सरकार के लेटर की एक कापी है १९६१ की जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने कमेटी एपॉइंट कर दी है । I can give you number.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसके बाद में another committee was set up to discuss all these matters in 1963 vide notification dated 8th March, 1963.

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहली कमेटी ने क्या निर्णय दिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सर्वेयर्स के, पटवारीज के, अमीन्स के रिक्रूटमेंट के, ग्रेड के, ये सारे प्रश्न पहली वाली कमेटी से

Page No. 34

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कवर नहीं होते थे, इसलिए सरकार ने १६६३ को बोर्ड ग्रॉफ रिवेन्यू के चेयरमैन की चेयरमैनशिप में जिसमें सेटलमेंट कमिश्नर वगैरह भी थे, कमेटी बनाई थी कि इस मसले पर विचार करे, ग्रौर रिपोर्ट दे। रिपोर्ट सरकार के पास ग्रा गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ८ वर्ष से ये लोग लड़ते ग्रा रहे हैं। क्या सरकार ग्राश्वासन देगी कि कितने समय के ग्रंदर यह फैसला कर दिया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कैबिनेट के ग्रंदर जितना जल्द हो सका निर्णय लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मेरा प्रश्न संख्या १४६ है। तीन सेशन्स से लैप्स हो रहा है। उसको लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

बन्दियों की रिहाई

१४६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि फरवरी, सन् १६६३ में जोधपुर केन्द्रीय कारावास के कुछ बन्दियों को रेमिशन देकर छोड़ा गया था ? यदि हां, तो कितनों को ग्रौर कब ?

(२) इनको रेमिशन दिये जाने की ग्राज्ञा सरकार ने कब दी ?

(३) क्या यह सही है कि जिस रोज इनको छोड़ा गया उस रोज तक सरकार की ग्राज्ञा जारी नहीं हुई थी ? यदि हां, तो फिर जेल ग्रधिकारियों ने किस ग्रधिकार से इनको रिहा किया ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ ग्राचार्य) : (१) जी हां। फरवरी, सन् १६६३ को ४७ बन्दियों को स्पेशल रेमिशन देकर केन्द्रीय कारागृह जोधपुर से छोड़ा गया।

(२) सरकार ने इस रेमिशन की ग्रौपचारिक स्वीकृति (फारमल सैंक्शन) बजरिए ग्राज्ञा नं० एफ ४(१०) (६) दि० २२-८-६३ को दी।

(३) हालांकि लिखित ग्राज्ञा बाद में में जारी हुई थी किन्तु इन बन्दियों को तत्कालीन गृह मन्त्री की मौखिक ग्राज्ञानुसार ता० २६-२-६३ को छोड़ दिया गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि कारावास से तब तक बंदी रिहा नहीं होता जब तब उस संबंध में सरकारी ग्राज्ञा जारी न हो जाय ?

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : ४०१ जाब्ता फौजदारी के ग्रन्तर्गत सरकार को ग्रधिकार है कि वह उन प्रावधानों के ग्रन्तर्गत कैदियों को रेमिशन, पारडन दे सके। इसलिए तत्कालीन गृह मन्त्री जी ने उनको रेमिशन देने की ग्राज्ञा मौखिक दी ग्रौर मौखिक ग्रौर लिखित ग्राज्ञा में कोई फर्क नहीं है जिसको ग्रागे जाकर मेटीरियेलाइज किया गया यानी लिखित ग्राज्ञा दी गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि सरकारी आज्ञा विधान के अनुसार असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी द्वारा जब प्रसारित की जाय तभी सरकारी आज्ञा मानी जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं आपका ध्यान रूल २१ऑफ बिजिनेस रूल्स की ओर आकर्षित करता हूँ। उसमें लिखा है गवर्नर की आज्ञा सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी के माध्यम से दी जाती है। लेकिन ४०१ जाब्ता फौजदारी में प्रावधान है जिसमें लिखा हुआ है कि सरकार रिलीफ दे सकती है, रेमिशन दे सकती है उसके अन्तर्गत गवर्नर की आज्ञा नहीं है। आर्टीकल १६१ ऑफ दी कॉन्स्टीटयूशन है, अगर उसके अंतर्गत रेमिशन और पारडन होता तो आपकी यह आपत्ति बिल्कुल ठीक थी कि गवर्नर के नाम से आज्ञा प्रसारित होनी चाहिए, उसकी स्वीकृति सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी के मारफत होती है, लेकिन ४०१ का प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है। गवर्नमेंट includes Minister जिनके अधीनस्थ यह डिपार्टमेंट होता है उस मिनिस्टर को पूरा अधिकार है कि वह आज्ञा दे दें। इसलिए इसको खामी नहीं माना जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो आपके अनुसार जो फरवरी में मौखिक आज्ञा गृह मन्त्री जी ने दी वह पर्याप्त थी ?

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : मौखिक आज्ञा इक्वल टू रिटन आज्ञा। मेरे अनुसार कानून के अनुसार और नियमों के अनुसार, ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप दोनों बातें क्यों करते हैं ? पहले तो कहते हैं कि ४०१ में रेगुलर आज्ञा थी। फिर कहते है कि उनको रेगुलेराइज कर दिया गया। जब मिनिस्टर काम्पिटेन्ट है आज्ञा देने के लिए तो उसकी आज्ञा से छोड़ दिया गया...

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मौखिक आज्ञा कन्फर्म की।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जो दूसरी आज्ञा रेगुलेराइज करने के लिए दी तो क्या वह गवर्नर महोदय की ओर से जारी की गई थी ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : यह बिल्कुल सही नहीं है। वह मन्त्री महोदय की आज्ञा थी। ४०१ में गवर्नर की आज्ञा का प्रश्न नही आता है। संविधान की धारा १६१ के अन्तर्गत वह है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सन् ६३ में आज्ञा दी गई तो किस धारा के अन्तर्गत दी गई ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : ४०१ जाब्ता फोजदारी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले भी दी जा सकती थी रिटन में ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मन्त्री महोदय ने ४०१ के अन्तर्गत जो मौखिक आज्ञा दी उसको रिटन में कन्फर्म किया गया केवल मात्र।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बन्दी को तब तक रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास कोई लिखित आज्ञा नहीं पहुंचती है ?

Page No. 36

श्री निरंजन नाथ आचार्य : ऐसा कोई नही है।

श्री रामकिशन (वैर) : यह आप कैसे कह रहें हैं ? कैसे छोड़ देंगे बिना लिखित आदेश के ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I pity this knowledge.

श्री निरंजन नाथ आचार्य : I also pity your knowledge. I am perfect in my knowledge.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या नॉलेज है आपको ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (रायसिंह नगर) : आपकी फस्ट्रेटेड नॉलेज है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : गवर्नर और मिनिस्टर का विश्लेषण किया है।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : कभी जेल गये ही नहीं तो क्या जाने ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप एक दफा जेल जाकर देखो ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री अमर सिंह (पचपदरा) : किसी मंत्री महोदय को मौखिक आज्ञा देने का अधिकार हो और उसको पूरा सरकारी मशीनरी फिर कर दे, सीज़र के टाइम पर तो ऐसा हो सकता था लेकिन जहां पर विधान का शासन हो वहां पर कोई मंत्री महोदय यह ख्याल करें कि मौखिक आज्ञा वैधानिक है और उसका पालन सरकारी कर्मचारियों के द्वारा हो जाय यह आश्चर्य जनक बात ही है। यदि यह माना जाय कि उन्होंने उस मौखिक आज्ञा को वैधानिक समझा है तो दुबारा लिखित आज्ञा देने की आवश्यकता ही नही थी और फिर वही काफी होनी चाहिये थी। मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल गलत प्रणाली है कि पहले कोई मंत्री मौखिक आज्ञा दे दें और उसका कोई राज्य कर्मचारी पालन कर दे। स्वस्थ परम्परा यही होगी कि मौखिक आज्ञा का पालन तब तक न किया जाय जब तक लिखित आज्ञा सरकारी कर्मचारी के पास न पहुंच जाय। मैं समझता हुँ कि यह जो कार्य किया गया है वह गलत है और एक इर्रेगुलेरिटी है। सदन इस पर विचार करे। यह ओब्जेक्शनेबल है और अवैधानिक है। आगे के लिए मंत्री महोदय ऐसा न करें इसके लिए सचेत करना आवश्यक है।

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि मैं उस समय होम मिनिस्टर था और........

श्री अमरसिंह : Personalities do not count, Sir.

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक मौखिक आज्ञा का प्रश्न है मैं इतना हीं निवेदन करूंगा कि वैसे आई. जी. प्रिज़न्स को भी दो तीन महीने के लिए अधिकार है। उनको कह दिया गया था कि इन इन कैदियों को छोड़ दिया जाय चूंकि कोई फंक्शन था। शायद ईद थी। मैंने जैल सुपरिन्टेन्डेन्ट को राईटिंग में ऑर्डर्स वहीं पर दिये थे कि इन इन कैदियों को बाई ऑर्डर ऑफ मिनि-

(श्री मथुरादास माथुर)

स्टर छोड़ दिया जाय। मैंने जयपुर में आकर उसको थ्रू प्रॉपर चेनल कन्फर्म कर दिया लिखित में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब आई. जी. प्रिजन्स काम्पिटेन्ट थे आर्डर देने के लिए गवर्नमेंन्ट को आर्डर देने का सवाल ही नहीं था ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं खुद आर्डर दे चुका था। आई. जी. प्रिजन्स का कोई इनिशियेटिव नहीं था। वहां लिख कर उनको छोड़ने को दे दिया और बाद में जयपुर आकर उन्हीं आर्डर्स को कन्फर्म कर दिया थ्रू प्रॉपर चेनल।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : आपकी वर्षगांठ पर यह आज्ञा दी ?

श्री मथुरा दास माथुर : मुझे तो वर्षगांठ की तारीख भी याद नहीं है। वह ईद थी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री ज्वालाप्रसाद : क्या मौखिक आज्ञा से रूल ६ के अन्तर्गत गिरफ्तार करके जेल में बन्द किया जा सकता है ?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट ४ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

प्राथमिक शिक्षा पर व्यय

१४७. **श्री मोहनराज (बाली)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सन् ६२-६३ व ६३-६४ में प्राथमिक शिक्षा हेतु निर्धारित कुल धनराशि प्राथमिक शिक्षा के लिए खर्च नहीं की गई ? यदि हां तो ऐसी कितनी राशि है ? दोनों वर्षों की पृथक पृथक बताने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि इन वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के मद में जो धनराशि बचाई गई उसे राज्य के कुछ शहरों में कालेज व यूनिवर्सिटी में नाट्य गृह, उद्यान, क्रीडा स्वीमिंग पूल आदि बनाने में खर्च किया गया ? यदि हां, तो इस खर्च का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान तृतीय योजना में निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेगा ? तृतीय योजना तक निर्धारित लक्ष्य व आज तक की प्रगति के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ।)

हायर सेकन्डरी स्कूलों का जूनियर सेकन्डरी स्कूलों में परिवर्तन

१५६. **श्री मानिकचन्द सुराणा,** (कोलायत)— क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे !

(१) गत वर्ष व इस वर्ष कितनी हायर सेकन्डरी स्कूलों को राज्य सरकार ने जूनियर सेकन्डरी स्कूलों में परिणित कर दिया है ? ऐसी सभी स्कूलों के नाम व स्थान की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त हायर सेकन्डरी स्कूलों को जूनियर सेकन्डरी स्कूलों में परिणित

Page No. 38

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

करने के फलस्वरूप राज्य सरकार को खर्चे में कितनी बचत हुई ?

(३) क्या यह सही है कि इन स्कूलों का स्तर घटाने का मुख्य कारण विद्यार्थियों की संख्या की कमी थी ? और क्या इस स्थिति का आभास राज्य सरकार को इन स्कूलों को खोलते समय नहीं था ?

(४) क्या राज्य सरकार उक्त बचत से राज्य में नई हायर सेकन्डरी स्कूलें खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां तो कहां कहां ?

उत्तर

(१) गत वर्ष जुलाई, १९६३ को कोई हायर सेकन्डरी स्कूल को जूनियर सेकन्डरी स्कूलों में परिणित नहीं किया। इस वर्ष जुलाई, १९६४ से ४ हायर सेकण्डरी स्कूलों को जूनियर हायर सेकण्डरी स्कूलों में परिणित किया गया जो कि इस प्रकार है—

१-गवर्न० हा० से० स्कूल, सिवाना (जालोर)

२-गवर्न० हा० से० स्कूल, अहोर (जालोर)

३-गवर्न० हा० से० स्कूल लावा (टोंक)

४-गवर्न० हा० से० स्कूल. लिखमीसर (गंगानगर)

(२) बचत के बारे में जून, ६६ तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

(३) जी हां, इन स्कूलों का स्तर घटाने का मुख्य कारण विद्यार्थियों की कमी था। शाला को पदोन्नत करते समय विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या की शर्तें रखी जाती हैं और यह आशा की जाती है कि निर्धारित संख्या पूरी हो जावेगी।

(४) जी नहीं। अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मवेशियों के लिए चरागाह भूमि, जिला जयपुर

३१. श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल, (सिकराय)—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर जिले में कितने ऐसे ग्राम हैं जिनमें चरागाह भूमि कतई नहीं है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(२) उन ग्रामों की पशु-संख्या क्या है ?

(३) क्या इन ग्रामों में सिवाय चक भूमि नहीं है जो चरागाह में दी जा सके ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार आस-पास की सिवाय चक भूमि से इन ग्रामों को मवेशियों के चरने हेतु चरागाह नहीं दे सकती है ?

(५) यदि हां, तो क्या सरकार यह परामर्श स्थानीय तहसीलों को भिजवाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) १२६०.६ है।

(३) जी हां। ४४१ ग्रामों में सिवाय चक भूमि नहीं है।

(४) पास के ग्रामों में भी सिवाय चक भूमि उपलब्ध नहीं है।

५) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकाल ग्रस्त क्षेत्र

३२. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राज्य में सन् १९६४ में किन किन जिलों में अकाल घोषित किया गया है ? और किन किन आधारों पर ?

(२) कहां कहां वर्षा न होने के कारण व कहां कहां शीत लहर के कारण अकाल घोषित किया गया है ?

(३) इन अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गई है और कितनी धनराशि तकावी व लगान माफी के रूप में छोड़ी गई ?

उत्तर

(१) राज्य में सन् १९६३-६४ (संवत् २०२०) में १४ जिलों की ५५ तहसीलों के ४१०३ गांवों को वर्षा की कमी के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो जाने पर अभावग्रस्त घोषित किया गया था। जिलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

राज्य के कुछ हिस्सों में शीत लहर के फलस्वरूप रबी सम्वत् २०२० की फसल नष्ट होने से ८ जिलों की ३८ तहसीलों के कुल २३१९ गांवों को भी दिनांक ३१ अक्तूबर, ६४ तक अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

जिलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२ भाग १ से स्पष्ट किया जा चुका है।

(३) अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायतार्थ खर्च की गई धनराशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खेती व इस्तमरारदारी की भूमि-उदयपुर म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र

३३. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) उदयपुर म्युनिसिपलिटी के क्षेत्रों में कुल कितनी खेती की जमीन है ?

(२) इस क्षेत्र में कितनी इस्तमरारदारी की जमीन है ?

उत्तर

(१) उदयपुर म्युनिसिपैलिटी के क्षेत्र में कुल १६५६ एकड़ खेती की जमीन है।

(२) बन्दोबस्त जमाबन्दी तथा पटवारी के रेकार्ड में कोई इस्तमरारदारी रकबा दर्ज नहीं है।

बिला नाम काबिल काश्त पड़त—चित्तौड़गढ़ एवं गंगरार तहसील

३४. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ एवं गंगरार तहसील के सिंचित क्षेत्र में बिला नाम काबिल काश्त पड़त है ? अगर हां, तो क्यों और कितनी-कितनी किस-किस गांव में है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या इस जमीन के उपयोग के विषय में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जहां, प्रिमियम की दर मुकर्रर होना दरकार है वहां उसके बाद ही जमीन काश्त के लिए एलॉट की जा सकेगी। सरकार जल्दी ही इस सम्बन्ध में निर्णय लेगी।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

भूमि का अलॉटमेंट—तहसील गिरवा

३५. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गत तीन वर्षों में गिरवा तहसील में कितने व्यक्तियों को भूमि एलॉट की गई है और कितनी काबिल काश्त भूमि फालतू है ? जो किसानों को एलॉट की जा सकती है ? कितनी दरख्वास्तें ऐसी पड़ी हैं जिन पर भूमि अभी एलॉट नहीं हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या गिरवा तहसील में किन्हीं एक्समिलिट्री सर्विसमैन की दरख्वास्त भी भूमि एलॉटमेन्ट के लिए आई है ? अगर हां, तो कितनों को भूमि मिल चुकी है और कितने किसानों को नहीं मिली है ?

(३) जिन एक्समिलिट्री सर्विसमैन को भूमि नहीं मिली है। सरकार उनके लिये भूमि देने का क्या उपाय सोच रही है ?

उत्तर

(१) गत तीन वर्षों में सन् ६१, ६२, ६३ में तहसील गिरवा में ८०२॥। बीघा ४ विस्वा भूमि ४४७ व्यक्तियों को एलॉट की गई। ५५३ बीघा भूमि काबिल काश्त जो फर्द नं० २ खफीफ टुकड़ों में बचती है जो किसानों को एलॉट की जा सकती है।

३१ प्रार्थना पत्र भूमि एलॉटमेन्ट के पेंडिंग है जो सन् ६३-६४ के हैं और इनमें भूमि एलॉटमेंन्ट की कार्यवाही जारी है। सूची साथ में संलग्न है।

(श्री राजस्व मन्त्री)

(२) तहसील गिरवा में एक्स मिलिट्री सर्विस मैन के १७ प्रार्थना पत्र भूमि एलॉटमेन्ट के लिये पेश हुये जिनमें से ४ व्यक्तियों को ४६ बीघा भूमि एलांट की जा चुकी है। बकाया १३ व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र जहां उन्होंने जमीन चाही वहां पर जमीन उपलब्ध नहीं होने से अन्य स्थान पर भूमि की निशांदेही कर प्रार्थना पत्र पेश करने बाबत सूचित किये गये हैं।

(३) जिन एक्स सर्विसमैनों को भूमि नहीं नहीं मिली उनकी तरफ से जहां भूमि हो पसन्दकर प्रार्थना पत्र पेश होने पर भूमि एलॉट करने की कार्यवाही हो सकेगी।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

नए उद्योगों के लिए लाइसेन्स, जिला अजमेर

३६. श्री पोहूमल ईशरदास (अजमेर सिटी) : Will the Industries Minister be pleased to state :—

(1) What Industries (new or expansion) have been granted licences in Ajmer District since 1957 ?

(2) Which of them have started functioning ?

(3) What step is the Government taking to see that others too start functioning soon ?

(4) What more Industries the Government propose to start during Third Five Year Plan !

(5) Whether Government has recommended to the Government of India for such new industries in Ajmer Distict ?

उत्तर

(१) तीन उद्योगों को नये लाइसेन्स दिये गये हैं।

(२) दो ने कार्य शुरू कर दिया है। तीसरे का भी पुरानी मशीनरी पर काम चालू है।

(३) प्रश्न नहीं उठता। फिर भी त्रैमासिक प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी जाती है व उनकी (उद्योगों की) कठिनाइयां दूर की जाती हैं।

(४) कोई नहीं। निजी सेक्टर में एक पार्टी ने अजमेर में एक्सरे व टेस्टिंग इक्विपमेंट बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है।

(५) जी हां।

नए स्कूल खोलने के आदेश

३७. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अप्रेल व मई, १९६४ में राज्य में कितनी नई मिडिल, जूनियर हायर सेकण्डरी व हायर सेकण्डरी स्कूलें खोलने के आदेश दिये गये और यह स्कूले किस-किस जिले में कहां-कहां खोलने के आदेश दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) भीलवाड़ा जिले में अप्रेल व मई, ६४ में कहां-कहां किस-किस तरह की स्कूलें

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

खोलने के आदेश दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

१. इस वर्ष जो जो प्राथमिक शालायें माध्यमिक शाला तथा कनिष्ठ उच्चतर माध्यमिक शाला में परिणित की गई है उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। कोई शाला उच्चतर माध्यमिक शाला में परिणित नहीं की गई।

२. भीलवाड़ा जिले में जो शालायें ६४ में उन्नत की गई वे भी सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झालावाड़-झालावाड़ रोड की बस सर्विस

३८ श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झालावाड़ से झालावाड़ रोड व झालरापाटन से झालावाड़ रोड १६ डाउन देहरादून एक्सप्रेस व २० अप देहरादून एक्सप्रेस की सवारियों के लिए झालावाड़ ट्रांसपोर्ट कम्पनी को कितनी बसों का परमिट मिला हुआ है ?

(२) झालावाड़ से झालरापाटन से उपरोक्त झालावाड़ रोड स्टेशन के लिए रवानगी का क्या समय निर्धारित किया हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि झालावाड़ व झालरापाटन से झालावाड़ रोड के लिए अलग अलग बस चलाए जाने के बजाए एक ही बस चलाई जा रही है जो झालावाड़ से झालरापाटन होकर झालावाड़ रोड जाती है और झालावाड़ रोड से झालरापाटन होकर ही वापस आती है ?

(४) क्या यह सही है कि एक ही बस उपरोक्त मार्ग पर चलाने से झालावाड़ से झालावाड़ रोड व झालावाड़ रोड से झालावाड़ वाले यात्रियों का घण्टा व्यर्थ खर्च होता है और बस में ज्यादा यात्रियों के कारण यात्रियों को काफी कष्ट होता है।

उत्तर

१. झालावाड़ से झालावाड़ रोड के लिये ३ परमिट हैं इनसे से दो परमिट वाया झालरापाटन व १ परमिट सीधा है। झालरापाटन से झालावाड़ रोड पर कोई परमिट नहीं है उपरोक्त तीनों परमिट झालावाड़ ट्रांसपोर्ट कम्पनी के नाम से हैं।

२. सब गाड़ियां झालावाड़ से रवाना होती हैं। एक गाडी सीधी झालावाड़ रोड जाती है और दो झालरापाटन होकर। गडियों का समय निम्न प्रकार है :

१. झालावाड़ से झालावाड़ रोड सीधी, रवानगी झालावाड़

१. ८. ३० घन्टे

२. १६. ३०

२. झालावाड़ से झालावाड़ रोड वाया झालरापाटन, रवानगी झालावाड़

१. ८. ००
२. १४. ३०
३. १६. ००
४. २१. ००

३. यह सही नहीं है कि दो के बजाय एक ही गाड़ी चल रही है। हां यह सही है कि झालावाड़ से झालावाड़ रोड सीधी

(यातायात मंत्री)

चलने वाली बस बन्द है। बाकी दोनो बसे जो झालावाड़ से बाया झालरापाटन झालावाड़ रोड जाती है सही मार्ग पर चल रही हैं। जो गाड़ी बन्द है उसके खिलाफ कार्यवाही जारी है।

४. ऐसी कोई शिकायत सरकार के नोटिस में नहीं है।

(९.२७ म. पू.)

चमरपुरा ग्राम में डकैती के सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव पर उप मंत्री, गृह द्वारा वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : कुछ स्थगन प्रस्ताव सरकारी पक्ष की ओर से स्पष्टीकरण हेतु रखे गये थे। मंत्री महोदय कृपया उन पर उत्तर दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, चमरपुरा के ग्राम के समीप जो डकैती हुई उसके सम्बन्ध में माननीय जोधसिंहजी ने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसके सम्बन्ध में निम्न स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता हूं :

ग्राम चमरपुरा में दिनांक ३.८.६४ को या इसके पास कोई डकैती या लूट की घटना नहीं हुई।

परन्तु दिनांक २२-२३ जुलाई १९६४ की रात्री में करीब १६ डकैतों का एक गिरोह चमरपुरा ग्राम के समीप घने जंगल में एकांत में स्थित श्री भोरा मीना की ढाणी पहुंचा और ढाणी से लगभग २०००) रु० के मूल्य की सम्पत्ति लूट कर बीरा मीना के लड़के श्री रामसिंह उम्र १८ साल, को साथ ले गया। जाते वक्त डाकू रामसिंह के रिश्तेदार को यह कह गये कि लड़के को २०,००० रु० मिलने पर छोड़ा जा सकेगा। इस घटना की सूचना थाना मासलपुर पर प्राप्त होते ही थानेदार मासलपुर मुकदमा ३९५। ३६५ भारतीयदंड संग्रह दर्ज कर उपलब्ध दल के साथ तुरन्त ही घटना स्थल पर रात्री में ही पहुँचा और डकैतों का पीछा किया। पीछा करते करते थानेदार ग्राम छांगपुरा थाना सरमथुरा के जंगल में पहुंचा घने जंगल और पहाड़ों की वजह से आगे खोज नहीं चले।

थाना मासलपुर से रेडियोग्राम द्वारा आर. ए. सी स्टेशन करौली पर सूचना प्राप्त होते ही वहां के इन्चार्ज दिनांक २३.७.६४ ई० को ही मजबूत पार्टी के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मासलपुर, सरमथुरा और बाड़ी थानों के समस्त प्रदेशों की छान-बीन की किन्तु डाकू-दल का पता नहीं लग सका।

एस. पी. सवाई माधोपुर स्वयम् दिनांक २४.७.६४ ई० को छांगपुरा पहुंचे और आस पास के प्रदेशों को ढुंढवाया किन्तु डाकू-दल का पता नहीं लगा।

अनुसंधान से यह डकैती मध्यप्रदेश के कुख्यात डाकू दल जंगा एवं रायतर द्वारा की जाना मालूम हुआ जो मध्यप्रदेश से थाना सरमथुरा के झीरी भोमपुरा ग्राम के हल्के के पास से चम्बल पार कर दाखिल हुआ और घटना के पश्चात् उसी रास्ते से दमोई के जंगल में दाखिल हो गया।

(श्री निरंजननाथ ग्रचार्य)

ग्रथक प्रयासों के बावजूद भी ग्रभी तक डाकू-दल ग्रौर भगाये हुए लड़के का पता नहीं लग पाया है। प्रयास जारी है।

इस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु पर्याप्त ग्रार. ए सी. की टुकड़ियां नियुक्त हैं ग्रौर ग्रातंक जैसी कोई स्थिति नही है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्या यह सही है कि एक लड़के का ही सवाल नहीं है। एक लड़के के साथ-साथ डाकू ८ ग्राद-मियों को भी ग्रपने साथ पकड़ कर ले गये जिनको बाद में जंगल में लेजा कर छोड़ दिया गया ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ऐसा ज्ञात नहीं हुग्रा।

श्री विजयसिंह झाला : ग्राप कहते हैं कि दो तीन बार पुलिस के ग्रादमी गये थे तो कितनी कितनी फोर्स गयी थी ?

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : पूरी कम्पनी थी।

श्री विजयसिंह झाला : कुल कितने ग्रादमी इस क्षेत्र में पुलिस के लगे हुए हैं ?

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : एक कम्पनी के करीब हैं।

श्री विजयसिंह झाला : ग्रध्यक्ष महोदय, पहले भी यह प्रश्न सदन में उठा था एक बार कि इस क्षेत्र में डाकुग्रों का ग्रातंक बढ़ रहा है। पहले भी इस क्षेत्र में डाकुग्रों की एक कान्फ्रेन्स हुई थी ग्रौर ग्रब एक कान्फ्रेंस ग्रौर हुई है। डाकुग्रों का ग्रातंक छाया हुग्रा है। एक लड़के को डाकू लोग भगा कर ले गये ग्रौर उसको छोड़ने के लिए ३० हजार रुपया मांग रहे हैं। ग्राप उसका पता नहीं लगा रहे हैं। ग्राप इसको ग्रातंक भी नहीं मानते हैं। ग्रादमियों को सरे ग्राम डाकू उठा ले जायं ग्रौर ग्राप उनकी कान्फ्रेन्सेज होती हैं ग्रौर ग्रातंक फैला हुग्रा है उसको ग्रातंक भी नहीं मानते हैं ग्रौर पता भी नहीं चलाते हैं तो ग्राप को कोई उड़ा कर ले जायगा तब पता चलेगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : झाला सरदार को उड़ा कर ले जाय। मुझे तो नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : एक लड़के को डाकू उड़ा कर ले गये। ग्राप उसका पता नहीं लगा रहे हैं। ग्रापको उपमंत्री जी डाकू उड़ा कर लेजायेंगे तब पता लगेगा कि क्या हालत होती है ?

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : झाला सरदार का पता ही नहीं लगेगा।

श्री हरिशंकर (धौलपुर) : मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ इस प्रकार से स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य दे देने से कोई मतलब नही निकलता, क्योंकि उस पर विचार विनिमय तो हो नहीं सकता। मैं निवेदन करूंगा कि २ ग्रगस्त को वसेड़ी के ग्रन्दर इसी प्रकार की साजिश की थी बाजार को लूट लिया जाय। वहां के लोगों ने सामूहिक रुप से सम्मिलित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उस वक्त वसेड़ी में केवल

Page No. 45

(श्री हरिशंकर)

दो पुलिस के आदमी थे एक तो हैड कान्स्टेबिल और दूसरा कान्स्टेबिल। कान्स्टेबिल तो बन्दूक लेकर पहरा दे रहा था और हैड कान्स्टेबिल अन्दर रिपोर्ट लिख रहा था। उसने रिपोर्ट लिखने पर यह कहा कि मेरे पास पुलिस के और सिपाही नहीं हैं जिससे कि मैं आप लोगों की रक्षा कर सकूं।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि थानों में जिस प्रकार से पुलिस की व्यवस्था होन चाहिये उस प्रकार की व्यवस्था आप करने की कृपा करें तो यह स्थिति पैदा न हो।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : इसका मुझ को ज्ञान नहीं है जो तथ्य माननीय सदस्य ने रखे हैं उनकी जानकारी कर लूंगा।

श्री विजयसिंह झाला : आप तो इसको भी आतंक नहीं मानते हैं आखिर आपकी परिभाषा के अनुसार आतंक कौन सा है?

श्री हरिशंकर : हम तो वहां पर सुचारु व्यवस्था की बात कहते हैं।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : व्यवस्था तो उचित है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): अज्ञानी का बढ़ना नहीं होता है इसलिये ज्ञान करो, ज्ञान करो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : डकैतों ने सभा की, कान्फ्रेन्स की अपना विधान बनाया। यू. पी. और मध्य प्रदेश के अन्दर जब यह प्रश्न उठा तो वहां के मन्त्री महोदय ने यह माना है। धौलपुर में डाकुओं की सभा हुई है उसको उन्होंने रिएलाइज किया है। इस किस्म से डाकुओं द्वारा आर्गेनाइज होकर, पुलिस के साथ में मिल कर, आर्गेनाइज्ड रूप में डाके डाले जा रहे हैं, यह प्रश्न जब उठा तो उसके बाद में कई गम्भीर डाके पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े डाके पड़े हैं। इस चीज को एनेलाइज कीजिये आपको यह मानना पड़ेगा कि यह आर्गेनाइज हो रहे हैं फिर भी राजस्थान सरकार कोई गंभीर स्टेप नहीं उठा रही है ....

श्री निरंजन नाथ आचार्य : भाषण शुरू हो गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वहां एस. पी. के लेवल का आदमी रहना चाहिये। मंत्री महोदय तो इसको आतंक भी नहीं मानते लोगों को उठाकर ले जाया जाता है फिर भी आतंक नहीं मानते वे तो स्थिति को और भी गंभीर बनाने के पक्ष में मालूम होते हैं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सम्मेलन करने की बात कहते हैं उसके लिये पहले भी स्टेटमेंन्ट दिया गया था कि यह कथन निराधार एवं मिथ्या है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : उसके बाद तो दूसरी कान्फ्रेन्स हुई है।

Page No. 46

श्री निरंजन नाथ आचार्य: ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यू० पी० मध्यप्रदेश वाले मानते है राजस्थान सरकार नहीं मानती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय सदस्य जब यह कह रहे हैं कि ऐसी कान्फ्रेंस हुई थी। जहां तक हमारी जानकारी का संबन्ध है हमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। बार बार माननीय सदस्य कान्फ्रेंस का जिक्र करते हैं आखिर उनके पास क्या आधार है क्या सबूत है जिससे वे इतने पर्टीकूलर हैं। अगर वे हमें बता दें तो इसकी जानकारी करने में सहूलियत होगी। हमारा तो यह कहना है कि यह गलत बात है ऐसी कान्फ्रेंस नहीं हुई है। आखिर कान्फ्रेंस होती है तो उसकी प्रोसीडिंग लिखने वाला कोई होगा, वहां कौन-कौन बैठते हैं यह भी पता होगा माननीय सदस्य को।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): जबआप यह कहते हैंकि डाकुओं की कान्फ्रेंस नहीं हुई तो अखबारों में जो समाचार निकले हैं उनका कन्ट्रोडिक्शन आपने कभी करवाया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हर समाचार पत्र के समाचार जो गलत हों उनका कन्ट्राडिक्शन करना आवश्यक नहीं है। सदन में पहले भी कह दिया गया था कि इस प्रकार की कान्फ्रेंस की बात निराधार व मिथ्या है। जब कोई माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं तो उसको गम्भीरता पूर्वक लेकर विस्तार में जाने की कोशिश करते हैं। अभी भी हम कहते हैं कि इस प्रकार की कान्फ्रेंस की जो बात कही जा रही है वह निराधार है।

श्री विजयसिंह झाला : न तो इसमें गंभीरता पूर्वक जांच ही की गई है····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : जब मध्य-प्रदेश सरकार और यू० पी० की सरकार ने इसको माना है कि धौलपुर में कान्फ्रेंस हुई है तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं मानती ?

डाकुओं द्वारा राजौरा में की गयी लूटपाट के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमंत्री, गृह): दिनांक २-३ अगस्त, १९६४ के मध्य रात्रि के लगभग १२ बजे एक डाकू दल (संख्या १२) १२ बोर बन्दूक, पांच तमन्चों एवं लाठियों से सुसज्जित होकर ग्राम राजौरा जो धौलपुर से लगभग १० मील दूर है थाना कोतवाली धौलपुर, में आये और श्री रामदयाल जाट के मकान की दीवार पर चढ़ गये। उन्होंने ६ गोलियां चलाई और लगभग रु० ३०९४ के मूल्य की सम्पत्ति (कपड़े व गहने वगैरह) लूट ली।

ग्रामवासियों ने उनका मुकाबला किया। उनसे मुकाबला करने में फतेहसिंह (ग्रामवासी) के दो लकड़ी की चोटें आई। परन्तु डाकू भाग गये। भागते हुए डाकुओं की एक देशी जूती की जोड़ी व एक थैला, जिसमें एक डायरी व पेन्सिल थे, घटना-स्थल पर ही रह गये डायरी देखने से पता चला है कि ये अपराधीगण थाना मालपुरा (आगरा) के निवासी थे। इनके अपराध

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

करने का तरीका न तो संगठित दस्युदलों जैसा ही था और न नकबजनों जैसा ही। वे पास के ग्राम में मेहमानों के रूप में आकर संपत्ति इत्यादि का विवरण एकत्रित करके अपराध करते हैं। इस अपराध की सूचना ग्रामवासियों ने थाने में दिनांक ३-८-६४ को लगभग ८ बजे प्रातः काल दी।

सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची व आवश्यक कार्यवाही की। तफतीश जारी है अपराधियों को पकड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : डायरी जो कब्जे में आयी हैं उससे भी आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सके जबकि उसमें आगरे के निवासी बताये गये हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वहां के रहने वाले नहीं हैं उसमें जो वे टेकनिक यूज कर रहे हैं उसका ब्योरा था।

श्री विजयसिंह झाला : आपकी टेकनिक की तो बलिहारी हैं आप किसी को उड़ा लेने पर भी आतंक नहीं मानते। यह दूसरी घटना है फिर भी आप उन डाकुओं का पता नहीं लगा सके हैं। डाकू कहां के रहने वाले हैं। इससे बड़े निकम्मेपन की आपके विभाग के लिये और क्या बात हो सकती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : निकम्मापन तो आप की जबान पर लगा हुआ है। मैंने जो स्थिति बतायी है जो एबस्कोन्डेड हैं हैं उनकी जानकारी का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : आज जब कि यह विभाग मुख्य मन्त्री का विभाग है उसका यह हालचाल है। मुझे इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि भूतपूर्व गृह मन्त्री महोदय के समय जहां कहीं भी इस तरह के वाकेआत होते थे तुरन्त कार्यवाही होती थी। लेकिन जब से यह विभाग मुख्य मन्त्री के हाथ में गया है उसके बाद तो जो भी डाकुओं की घटना हुई है आदमियों को उड़ाया जाता है उसको भी आप आतंक नहीं मानते हैं। डायरी मिल गई डाकुओं की जगह का पता चल गया फिर भी पुलिस विभाग उनको पकड़ नहीं सका।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्यों को मैं इस बारे में अधिक कहना नहीं चाहता, जो भी उनको कहना था वे कह चुके हैं। कम से कम उनके मुंह से पिछले गृह मन्त्री की तारीफ तो निकली।

श्री भैरोसिंह : लेकिन मुझे अफसोस तो इस बात का है अपोजीशन ने तो पिछले गृह मन्त्री की तारीफ की लेकिन मुख्य मन्त्री महोदय की तरफ से उनकी तारीफ में एक शब्द भी नहीं निकला।

श्री मोहनलाल सुखाड़िता : मैं तो अपने मन्त्रियों की तारीफ ही किया करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : परटीकुलरली आप उनकी नहीं करेंगे दिल से। आप ने तो उनसे विभाग ही छीन लिया। यही जाहिर करता है कि आपने उनकी तारीफ कितनी की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उससे भारी अन्तर पड़ गया हो ऐसी बात नहीं है।

सवाई माधोपुर में ३१ जुलाई को हुई मारपीट की घटना सम्बन्धी वक्तव्य

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मन्त्री गृह) : अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में हालत इस प्रकार पाये गये हैं कि दिनांक ३१ जुलाई व १ अगस्त की दरमियान रात को एच० सी० केदारनाथ व एच० सी० नरपत सिंह सवाई माधोपुर रेल्वे स्टेशन से तांगे में लौट रहे थे । श्री चौथमल भड़भूंजे की दुकान के नजदीक कुछ मनुष्यों ने जिनमें चौथमल, आनन्दीलाल, शम्भूदयाल व ब्रज मोहन कान्स्टेबिल भी थे, तांगे को रोककर केदारनाथ को खींच लिया और उसको मार पीट की । नरपतसिंह यह देखकर थाने में पहुंच गया और वहां से कुछ कान्स्टेबिलों को लेकर घटना स्थल की ओर रवाना हुआ । घटनास्थल पर पहुंचने से पता लगा कि वो लोग केदारनाथ को पकड़कर अस्पताल, उस के नशे में होने के बाबत जांच कराने ले गये हैं । अतः वह भी अपनी पार्टी सहित अस्पताल की ओर रवाना हुआ । केदारनाथ को वह अस्पताल से जबरन छुड़ाकर थाने पर ले गया । केदारनाथ ने थाने में पहुंच कर एफ० आई० आर० नं० ७७ दिनांक १-८-६४ दफा ३६४।३४२ आई० पी० सी० चौथमल, आनन्दीलाल, शम्भूदयाल, ब्रजमोहन के खिलाफ दर्ज कराई । थानेदार ईश्वरसिंह ने मुकदमा दर्ज कर, तफतीश श्री लालसिंह को सौंप दी । उसी रोज श्री चौथमल व ब्रजमोहन कान्सटेबिल को गिरफ्तार कर लिया गया ।

दिनांक २-८-६४ को सुबह करीब ६ बजे कलेक्टर को सूचना दी गई कि अस्पताल के बाहर जहां ब्रजमोहन भर्ती था, परिस्थिति खराब है, अतः कलेक्टर मय होम इन्स्पेक्टर मौके पर पहुंचे और श्री ब्रजमोहन को देखा । उसके जिस्म पर बाहरी कोई चोट नहीं पाई गई । लोगों ने यह शिकायत की कि श्री चौथमल द्वारा जो रिपोर्ट थाने पर की गई थी दर्ज नहीं की गई है तो कलेक्टर ने उसी समय दरख्वास्त लेकर मुकदमा रजिस्टर कर फौरन तफतीश का आदेश दिया । तफतीश तुरन्त चालू कर दी गई । जिससे जनता में सन्तोष हुआ ।

एस० पी०, सवाई माधोपुर दौरे से लौटने पर रेकार्ड देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ब्रजमोहन व चौथमल की गिरफ्तारी पर्याप्त शहादत लिये जाने के पहले ही एस० एच० ओ० द्वारा करली गई थी । इस त्रुटि के कारण श्री ईश्वरीसिंह को सस्पेन्ड कर दिया गया है व जांच की जावेगी । श्री ब्रजमोहन व श्री केदारनाथ के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होने के कारण उन्हें भी सस्पेन्ड कर दिया गया । श्री नरपत सिंह को भी दौरान तफतीश दोषी पाया गया है अतः उसके खिलाफ भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

नगर में पूर्ण शान्ति है, और पुलिस द्वारा दोनों मुकदमों में तफतीश शीघ्रता से की जा रही है ।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर): इस संबंध में जो सूचना माननीय मन्त्री महोदय ने दी है वह अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है ।

जो शुरू में आपने बताया कि चौथमल भड़भूंजा के घर के पास केदारनाथ पुलिस कान्स्टेबल को कुछ लोगों ने पकड़ा और उसके शराब के नशे में होने के बारे में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अस्पताल में ले गये मुआयना कराने के लिये और उसने फिर रिपोर्ट दर्ज कराई, अपनी एफ. आई. आर. जिसमें पीटने वगैरह की बात जाहिर की गई। इसकी बुनियाद पर आनन्दी लाल वगैरह को गिरफ्तार किया गया। इस तथ्य के बारे में माननीय उप-मन्त्रीजी ने यह नहीं कहा कि यह तथ्य गलत है।

वास्तविकता यह है कि चौथमल भड़-भूंजा के घर में केदारनाथ और नरपतसिंह इन दोनों ने उसकी धर्मपत्नी से बलात्कार करने का प्रयत्न किया और इस बात की सूचना पब्लिक मीटिंग में मिलने पर लोग वहां पर गये और उन्होंने उनको पकड़ा। वे शराब के नशे में थे। उनको अस्पताल में ले गये। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक की तरफ से जो एफ. आई. आर. दर्ज कराने की कोशिश की गई, उसे दर्ज नहीं किया गया। स्वयं थाने में आये हुए श्री ब्रज-मोहन ने, जो सी. आई. डी. का सिपाही था पुलिस को इस हरकत को देखकर शिकायत की। तो उसके खिलाफ भी एफ. आई. आर. दर्ज करके एस. एच. ओ. ने गिरफ्तार किया। बिजली का करेन्ट उसके रात को लगाया गया जिससे वह बेहोश हो गया।

दूसरे दिन अस्पताल में डाक्टर के सामने उस ब्रजमोहन को भी और उन लोगों को वहां पर पुलिस की तरफ से पीटा गया। इस पर वहां पब्लिक में उत्तेजना फैली और उस उत्तेजना के फलस्वरूप कलेक्टर ने पहले तो आश्वासन दिया कि एस. एच. ओ. को भी सस्पेन्ड कर दिया जावेगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जावेगा। पर इसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया और फिर पब्लिक ने दुबारा वहां पर हड़ताल की, भूख हड़ताल पर बैठने की धमकी दी तब एस. एच. ओ. को सस्पैण्ड किया गया। चौथमलके जो रिश्तेदार थे आनन्दीलाल वगैरह और जो ब्रजमोहन सी. आई. डी. का आदमी था जिनके खिलाफ झूठे केस बनाये गये उनको विथड्रा करने का आश्वासन भी दिया गया पर अभी भी उन लोगों को नहीं छोड़ा गया है और जो नरपतसिंह और केदारनाथ जिनके खिलाफ यह एलीगेशन है कि उन्होंने चौथमल भड़भूंजा की औरत से बलात्कार करने का प्रयत्न किया उसमें उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिये था, नहीं किया गया। गिरफ्तार उनको किया गया, पर माननीय उप-मन्त्रीजी ने यह नहीं बताया कि उनको किस कसूर में गिरफ्तार किया गया है, जब कि वही है सारी बुनियाद इस झगड़े की।

इसको छिपाकर यह कहा जा रहा है कि इन नरपतसिंह और केदारनाथ के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या एक्शन लिया गया और किस अभियोग में लिया गया? और यह जो दूसरा केदारनाथ हैं इसको किस अभि-योग में पकड़ा गया है? इसका स्पष्टीकरण करें और यह बताएं कि चौथमल की औरत के साथ बलात्कार का जो अभियोग लगाया जनता ने उसमें कहां तक सच्चाई है?

श्री निरन्जन नाथ आचार्य: इस सम्बन्ध में तफतीश आरम्भ है। माननीय सदस्य ने जो वर्णन रक्खा है वह चौथमल का वर्णन है। उसके बयान भी लिये गये

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हैं और उसकी ताईद से तफतीश चल रही है। इसलिये तफतीश के दौरान में फैक्ट्स ऑन दी फेस और एविडेन्स के सम्बन्ध में अधिक कहना उपयुक्त नहीं समझूंगा इसलिये कि कहीं तफतीश के प्रोसीजर और तरीके पर इसका असर न पड़े। हमने निस्पक्ष रूप से दोनों पक्षों से सम्बन्धित प्रश्न की जांच के लिये कदम उठाये हैं।

रहा सवाल रेप का प्रश्न का। इस सम्बन्ध में भी मैं अभी मौन रहना उपयुक्त समझता हूं क्योंकि अगर यह रेप प्रमाणित नहीं होता है तो दूसरे नाजुक सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिये अच्छा हो कि रेप, लैस देन रेप, समथिंग अदर देन रेप के बारे में अभी कुछ न कहा जाय। इसलिये इस सम्बन्ध में मैंने जो स्टेटमेंट दिया है, वही पर्याप्त है इस भय से कि इसका असर जस्टिस पर और तफतीश पर न पड़ने पावे। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : केदारनाथ और नरपतसिंह को किस अभियोग में सस्पेन्ड किया गया है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : चौथमल के बयान के आधार पर। इसमें तफ़तीश अभी जारी है और ज्यों ज्यों तफतीश बढती जावेगी, अभियोग में परिवर्तन होता जाता है।

पंचायत राज स्टडी टीम, १९६४ के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं रिपोर्ट ऑन दी स्टडी टीम ऑफ पंचायत राज, ६४ की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ।

कार्य सलाहकार समिति के १६ वें प्रतिवेदन का उपास्थान

श्री मथुरादास माथुर : मैं कार्य सलाहकार समिति के १६ वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के १६ वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के १६ वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकार)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

राज्य की खाद्य स्थिति पर अग्रेतर वाद्र-विवाद

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (बासपुर) : अध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न की महगाई अत्यधिक ही नहीं, किन्तु ऐसी मंहगाई कभी भी हुई हो, नहीं सुनने में आया। हर एक सरकार का यह प्राथमिक कर्त्तव्य है यह फर्ज है कि जनता के लिये रोटी की व्यवस्था करे।

इस प्राथमिक कर्त्तव्य में मेरे ख्याल से सरकार असफल रही है, यह निर्विवाद बात है।

मैं समझता हूँ कि सरकार ने रोजी रोटी की दुर्व्यवस्था जो की है, वह जनता के

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

प्रति एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। यह समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। यह समस्या केवल राजस्थान की समस्या ही नहीं है और मैं इस समस्या को. एक कदम और आगे बढ़कर यदि यह कहूं कि यह समस्या राष्ट्रीय संकट की समस्या है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

खाद्य मंत्री जी की यह घोषणा कि जब तक नई फसल नहीं आवेगी तबतक मौजूदा भावों में कमी नहीं हो सकेगी, एक निराशामय घोषणा है। इस विषय और इस जटिल समस्या के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार की असावधानी अदूरदर्शिता, हठ-धर्मी, गलत नीतियां, रिश्वत खोरी और व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आज राजस्थान पर यह संकट आया है। अकाल के कारण भी सरकार की कठिनाई कुछ हद तक बढी है। इसके साथ अलबत्ता मेरी कुछ सहानुभूति हो सकती है।

मेरा निवेदन है कि राजस्थान की दो करोड़ जनता के लिए यदि एक पौंड प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से अन्न की व्यवस्था की जावे तो यह हमारी आवश्यकता के प्रतिकूल नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि दो करोड़ जनता के लिए दो करोड़ प्रति दिन खाद्यान्न हमें चाहिये इस हिसाब से २६ लाख १४ हजार ८० टन प्रति वर्ष अन्न हमें चाहिये। हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ये आंकड़े, मैं समझता हूं, पर्याप्त हैं क्योंकि समस्त राजस्थान की जनता को, चाहे वह निरामिषभोजी हो, चाहे आमिषभोजी हो, इसमें शामिल कर लिया गया है। इनमें उनका सब का समावेश कर लिया गया है।

इसलिए वस्तुस्थिति के अनुसार मैं समझता हूं कि २६ लाख टन राजस्थान के लिए सालभर के लिए पर्याप्त होना चाहिए। खाद्य मन्त्री जी ने कल भी यह कहा कि उनके पास इस वर्ष के खाद्यान्न के उत्पादन के आंकड़े नहीं हैं। मैंने तलाश किये जो भी आंकड़े मुझे मिले उनके अनुसार मैं उन आंकड़ों के विषय में कुछ मुद्दे लेकर सदन के समक्ष रखने की चेष्टा करूंगा।

उत्पादन के सम्बन्ध में सन् १९६१-६२ में बताया गया कि हमारा उत्पादन ५५ लाख टन था। सन् १९६२-६३ में बताया गया कि उत्पादन ५० लाख टन था। जिलावार उत्पादन के आंकड़ों का विवरण राजस्थान एग्रीकल्चर डायरी १९६४ के पृष्ठ २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ के अनुसार मैं बता रहा हूं। १९६२-६३ में ५० लाख टन उत्पादन हुआ है। उसका ब्रेक-अप इस प्रकार है: चावल ०. २९ लाख टन, मक्का ७. ४६ लाख टन, ज्वार ४. ०६ लाख टन, बाजरा ९. २६ लाख टन, गेहूं १०. ६८ लाख टन जौ ५. २२ लाख टन, छोटी मक्का जिसे स्माल मिलेट्स कहते हैं ०. २६ लाख टन, चना ७. ३३ लाख टन पल्सेस रबी और खरीफ में मिलाकर ४. ४८ लाख टन और तूर ०. १० लाख टन। इस तरह से टोटल ४९. ८५ लाख टन होता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें से यदि एक्सपोर्ट २० परसेन्ट के हिसाब से मानें तो १० लाख टन हम कह सकते हैं और वेस्टेज और सीड्स के लिए १० परसेन्ट के हिसाब से ५ लाख टन हम कह

(श्री लक्ष्मणसिंह महारावल)

सकते हैं। इसके अनुसार ३० लाख टन, १० लाख टन एक्सपोर्ट और ५ लाख टन का अन्न खराब होना और बीज व्यवस्था के लिए अन्न रखा जाये उसके कारण एस्टीमेट किया जाये तो इसका योग ४५ लाख टन सब मिलाकर के ऐसे वर्ष के लिए होता है कि जिस वर्ष के अन्दर अकाल नहीं पड़ा। सरकार के इस कहने से मैं सहमत नहीं हूं कि हमारी खपत ४० लाख टन है। मैं समझता हूं कि हमारी खपत २६–३० लाख टन से अधिक नहीं हो सकती। इसके अनुसार कम से कम १० लाख टन का इधर उधर हो जाना, १० लाख टन का घपला होना मैं कहता हूं एक अवश्यमेव विचारणीय चीज है। मेरा एस्टीमेट अगर दूसरे पक्ष पर देखा जाये तो इस प्रकार है मैं समझता हूँ कि ७० लाख व्यक्ति राजस्थान में ऐसे होगे कि १६ औंस प्रति दिन अन्न जिनको चाहिए। इसमें वह पुरुष ही सम्मिलित है कि जो मध्यमवर्ग के हैं, जो मजदूर हैं और जो निरामिश भोजी हैं। उसके साथ ही साथ मेरा अनुमान है कि ७० लाख व्यक्ति ऐसे हैं कि १५ औंस प्रति दिन जिनको अन्न चाहिए। उसमें उसी तबके मजदूर और मध्यमवर्ग की स्त्रियां हैं जो कि निरामिश भोजी हैं। उसके साथ ४० लाख व्यक्ति मैं ऐसे समझता हूं कि जिनके लिए १३ औंस खाद्यान रोजाना चाहिए। इसमें बालक, बालिकायें शामिल हैं जो भी निरामिश भोजी हैं और २०–२५ लाख व्यक्ति मैं ऐसे समझता हूं कि जिनके लिए १२ औंस अन्न प्रति दिन पर्याप्त है। इसमें सामिश भोजी हैं और स्त्री पुरुष और बच्चे सभी शामिल हैं। इस तरह से मेरा अनुमान है कि राजस्थान की आवश्यकता २०–३० लाख टन अन्न से अधिक नहीं है। इसलिए मैं फिर से इसे दोहरा देता हूँ कि १० लाख टन गड़बड़ में इधर उधर होता है। इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं आकर्षित करूंगा कि यह बहुत बड़ी अन्न की समस्या सरकार के लिए विचारणीय है। अगर १० लाख टन का घपला है तो यह यदि हमारा उत्पादन ५० लाख टन है तो उसका २० परसेन्ट होता है, यदि हमारा उत्पादन ४० लाख टन है तो उसका २५ परसेन्ट होता है। सरकार को इस संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं उनके अन्दर यह बताया गया है कि इस साल ५० लाख टन से उत्पादन ४० लाख टन हुआ है अकाल के कारण कुछ ही दिन पूर्व मंत्री महोदय ने यह कहा कि ३२ लाख टन ही उत्पादन अकाल के कारण हुआ है। या तो ४० लाख जो सरकार का दिया हुआ आंकड़ा है वह सही है या फिर मंत्री महोदय ने जो ३२ लाख टन का आंकड़ा बताया वह सही है। दोनों ही आंकड़ों में बहुत बड़ी तवाफत है और दोनों ही सही नहीं हो सकते। मैं आशा करता हूं कि उत्तर देते समय मंत्री महोदय इस संबंध में प्रकाश डालेंगे।

स्पष्टीकरण के रूप में यदि यह भी मैं निवेदन करूं तो उचित होगा कि यदि दालें और चना इस ३२ लाख टन में उन्होंने शामिल नहीं किया है तो सम्भवतः मैं मानने के लिए तैयार हूं कि यह ३२ लाख टन का आंकड़ा सही है। लेकिन क्या दालें और चना खाद्यान्न नहीं हैं? क्या यह जनता के प्रति दिन के व्यवहार करने की वस्तु नहीं है? इसका समावेश भी १६ औंस प्रति दिन के अन्दर ले लिया है। मैं समझता हूं कि

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

इसका समावेश इस रूप से होना चाहिए था और होना सर्वथा उचित ही है। इस हिसाब से यह स्पष्ट है कि सरकार या तो अपने आपको धोखा दे रही है या उसके पास ऐसे तथ्य हैं कि जिनके द्वारा वह सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। वास्तव में मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसके द्वारा पेनिक हो, जिसके द्वारा हम विकल हो उठें, जिसके द्वारा हम घबरायें। सरकार प्रकृत यह दुष्काल अगर मैं कहूं तो सर्वथा उचित होगा। मानवकृत दुष्काल स्थिति यह है, यह मैं सदन के अन्दर निवेदन करूं तो मैं समझता हूँ कि उचित होगा। पुराने जमाने में दुष्काल पड़ते थे, महामारी आती थी, फौजें घूमती थीं, गांव के गांव लूटे जाते थे लेकिन अध्यक्ष महोदय कभी यह सुनने में नहीं आया कि जो आज की स्थिति है वैसी स्थिति कभी आई हो, आज के जो भाव हैं वह कभी भी पहले पुराने जमाने में नहीं हुए। राज्य की दूषित नीतियों और गलत आदर्शों पर चलने के कारण और हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर अंध-विश्वास करके हम जो चले हैं उसी का यह सीधा परिणाम है। और इसको और भी विषम, व्याप्त भृष्टाचार धीरे धीरे करता जा रहा है।

पिछले सेशन में फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग आॅर्डर पारित किया गया। उसमें विरोधी पक्ष के द्वारा कई बातें कहीं गई। वह आॅर्डर पारित हुआ। उसमें निर्धारित किया गया था कि खुदरा और थोक व्यापारी अमुक अमुक स्टॉक रख सकेंगे। इस आॅर्डर को पता नहीं किस कारण से मई के महीने में विड्रा कर लिया गया। उस समय मैं भीलवाड़ा में था। वहां पर संसदीय उपचुनाव हो रहा था। व्यापारी वर्ग सरकार से रुष्ट था। खुले आम विरोधी पक्ष का वे प्रचार कर रहे थे। सम्भवतः सरकार ने यह उचित समझा हो कि उनको राजी करने के लिये फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग आॅर्डर को सरकार ने विथड्रा किया। भीलवाड़े की विजय उनको मुबारक हो, लेकिन मेरे ख्याल से यह जनता की रोजी और रोटी के साथ में मखौल है, और इसकी मैं निन्दा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि तथ्यहीन और सिद्धान्तहीन रूप से अगर सरकार इस तरह से काम करेगी, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़कर अवसरवादिता और भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है?

अभी अध्यक्ष महोदय, सुना गया है कि यहां राजस्थान में एक क्रय-विक्रय-संघ स्थापित किया गया। उस क्रय-विक्रय-संघ के द्वारा गुड़ किस भाव से यू० पी० में खरीदा गया? कहते हैं कि ५०-६० लाख का एक सौदे के अन्दर घोटाला है। मैं नहीं कह सकता किस हद तक यह बात सच है, लेकिन प्राइमाफेसी यह तो एक सामान्य बुद्धि का आदमी भी सोचेगा कि अगर इतने बड़े घोटाले का आरोप सरकार के ऊपर लगाया जाता है तो इसकी फौरन निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिये। अगर जांच नहीं होती तो मैं सदन मे एक बार पहले भी कह चुका हूँ और उसी बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि सरकार जानबूझ कर अपने आदमियों को बचाने का भरसक प्रयास करती है और जनहित का कोरा थोथा नारा लगाकर कहती है कि आज हम समाजवाद लाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से समाजवाद तो नहीं गया यह एक भ्रष्ट अधिनायकवाद की स्थापना धीरे धीरे हो रही है। कभी भी नहीं सुना होगा कि गुड़ के भाव शक्कर से

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

भी बढ़ जांय तो आज गुड़ के भाव शक्कर से बढ़ गये और शक्कर के दर्शन दुर्लभ हो गये। मेरे ख्याल में यह एक तरह की अन्धाधुन्धी है। सरकार को इस क्रय-विक्रय-संघ के द्वारा जो गुड़ की खरीद यू० पी० के अन्दर हुई है मैं समझता हूँ कि उसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

राजस्थान की सीमा के क्षेत्रों में अन्न चोरी छिपे बाहर जा रहा है या नहीं इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने दो ही दिन पूर्व इस सदन के अन्दर कहा है कि अन्न चोरी छिपे मध्यप्रदेश या गुजरात में सीमा के क्षेत्रों से जाता है या नहीं उनको पता नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ यह सुनकर कि यदि उनको ऐसी मोटी और महत्वपूर्ण बात का पता नहीं तो मैं पूछना चाहूंगा कि किस को पता होना चाहिए ? यह तो एक तरह से बगल में छोकरा और शहर में ढिंढोरे की सी बात है। आपको पता लगाना चाहिए और अगर चोरी छिपे जाता है अन्न तो कड़े से कड़े प्रबन्ध के द्वारा आपको रोक करनी चाहिए। तस्कर व्यापार में लगे हुए समाज-शत्रुओं को मैं समझता हूँ बड़े से बड़े सरकारी अधिकारियों का सहयोग प्राप्त है। अगर यह सहयोग प्राप्त नहीं होता तो उनकी क्या मजाल कि ऐसी किसी सहायता के बगैर वह तस्कर व्यापार खाद्यान्न का करें। गुजरात में अन्न जाय, मध्यप्रदेश में अन्न जाय यह मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है।

अभी कुछ दिन पूर्व डूंगरपुर जिले से मक्की बाहर जाती है इस बारे में आम शिकायत थी। बहुत से उदयपुर जिले के क्षेत्रों से भी मक्की गुजरात में जाती है, सलूम्बर, सराड़ा, पलासिया, कोटड़ा, आदि क्षेत्रों से, बांसवाड़ा जिले से मक्की चोरी छुपे बाहर जाती है। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मक्की आदिवासियों का स्टेपल फूड है। मक्की उनका खाद्य है। अगर उसका अहमदाबाद आदि जगहों में जाकर स्टार्च बनाया जाता है तो मेरे ख्याल से यह एक नाकाबिले बर्दाश्त चीज है। सरकार को इस सम्बन्ध में रोकथाम करना चाहिए।

यह सब घृणित बातें मैं समझता हूं राज्य के कर्मचारियों के सहयोग के द्वारा हो रही हैं। इसमें कुछ हद तक नेताओं का भी हाथ होना सम्भव है, और इसमें रुकावट होना परमावश्यक है। एक डूंगरपुर खास में दुकानदार है मेहता ब्रदर्स के नाम से वह खाद्यान्न का निर्यात करता हैं। १५ महीने पहले वह एक गरीब व्यक्ति थे। आज एक दम उनके पास ४-५ ट्रक हो गये। थोड़े ही दिन पहले रतनपुर नाम के स्थान के अन्दर एक लॉरी पकड़ी गई थी। उसके अन्दर मक्की की बोरियां भरी हुई थीं। नीचे उसके कहते हैं कि खाखरे के पत्तों में लिपटी हुई शराब की बोतलें भरी हुई थीं, और उस लॉरी को पकड़ा गया और घन्टे भर के बाद में तत्काल छोड़ दिया पुलिस ने। अगर इस तरह के घोटाले होगये तो हम इस विषम परिस्थिति के ऊपर काबू पा सकते हैं यह भी एक विचारणीय प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ ही दिन पहले मैं बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ तहसील में गया था। वहां पर आदिवासियों ने मुझे कहा कि हम घास खाकर पेट भरते हैं। मैंने यह बात नहीं मानी, किन्तु उन्होंने मुझे समझाइश के रूप में मेरे कहने पर ४-५ सेर आड़

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

के पत्तों को उबाला और उसके साथ में आधा सेर या तीन पाव मक्की का या जौ का आटा डाल दिया और नमक डालकर उसको खाया। थोड़ा सा मैंने भी खाया तो उससे कुछ राहत तो जरूर हो जाती है, लेकिन उसके परिणामस्वरूप पेट में दर्द भी होता है, बीमारी भी होती है और हर तरह की मेरे खयाल से दिक्कतें आती हैं।

एक लॉरी में चोरी का माल डूंगरपुर में पकड़ा गया। उस लॉरी को लाया गया और वहां पर डूंगरपुर में पुलिस स्टेशन में उसको रखा गया, और उसकी सरकार ने कोई हिफाजत नहीं की। आज इस जमाने में जब कि कण २ के लिए लोग भिखारी हैं और भूखमरी व्याप्त है, सरकार से उस अनाज को वहां पर रख छोड़ा इस तरह से कि कुछ ही दिन बाद में उसमें सीलन और सड़न लग गई। मेरे ख्याल से अगर सरकार को कोई कार्यवाही भी करनी थी तो कानूनी रूप से कार्यवाही वैसी ही कर सकती थी, लेकिन जो अनाज पकड़ा गया तो उसको व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखना परमावश्यक था। इसके बारे में सरकारी कर्मचारियों को वृत्ति बिल्कुल उपेक्षा और लापरवाही की है। मैं कहता हूं कि यह बहुत ही निन्दनीय स्थिति है।

हमारे डूंगरपुर जिले में कितनी ही विधवाएं ऐसी होंगी अध्यक्ष महोदय जिनको २४ घन्टों में वन स्क्वायर मील, एक दफा खाना मिलता है मेरे ख्याल से यह एक समाजवादी राज्य या समाजवाद स्थापित करने का ध्येय रखने वाला राज्य यदि है और उसमें यदि यह स्थिति है तो घृणित है और दुर्दान्त स्थिति है। मैं सरकार से स्पष्टतया यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आदिवासियों के लिये मक्का की व्यवस्था करें मक्का वहां रोकें सरकार बफर स्टॉक बनावे नहीं तो एक स्थिति सम्भवतः आ सकती है जब लोग भूख के मारे मरने लगे तो महामारी होगी, चोरी नकवजनी और डाके होंगे लोग तंग आये और क्या होगा। आपको समय रहते हुए चेतावनी देता हूं और आशा करता हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, सरकार के बहरे कानों पर उसका कुछ न कुछ असर होगा।

आज भ्रष्टाचार, अवसरवादिता का मैं समझता हूँ यह पवित्र गांधीजी की संस्था कांग्रेस एक गढ़ बन गई है जिसमें भी सब तो नहीं लेकिन ऐसे सैकड़ों व्यक्ति होंगे जिनको होडिंग करना है, जिनको टैक्स इवेजन करना है और इसके साथ यदि कांग्रेस संस्था को चंदा देना है तो वे लोग आज मौज कर रहे हैं और घी शक्कर खा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जैसा कि कुछ समय पूर्व कहा गया, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन कहां तक इसमें सच्चाई थी यह निश्चित नहीं कह सकता लेकिन माननीय सदस्यों ने चर्चा उठाई धौलपुर वाले सेठजी के बारे में। और भी बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जो मौका परस्ती में कांग्रेस में जाकर शायद पर्दे के पीछे शिकार करते होंगे। यह भ्रष्टाचार सबसे बड़ा शत्रु नं० १ है और दूसरा शत्रु यह इन्फलेशन है।

किसान संभवतः होडिंग करते हों, खास कर अब मेरे ख्याल से किसानों में भी धीरे धीरे यह वातावरण उत्पन्न होने लगा है। मैं किसानो को इसका दोष नहीं देता यह सरकार की दूषित नीति के फलस्वरूप

Page No. 56

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

है। किन्तु यह स्पष्ट है ५० से ६० परसेन्ट यदि किसान होर्डिंग भी करता है तो वे ८-९ महीने नहीं करेंगे १० महिनों से अधिक होर्डिंग वे नहीं कर सकते क्योंकि फिर नई फसल आती है तब उनके पास होर्डिंग की गुंजाइश नहीं रहती, जगह नहीं रहती इसलिये वे उस समय तक उसको निकालेंगे अवश्य। लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि सरकार को जान लेना चाहिये कि ४० या ४५ परसेन्ट संभवत: ऐसे किसान होंगे जिन्होंने होर्डिंग करने की व्यवस्था को हो और वह भी मजबूर होकर। शायद आप समझते होंगे कि मैं स्वार्थ की चीज कहता हूं लेकिन मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, आप समझें तो समझें, मुझे विशेष परवाह भी नहीं है। पहले किसान अनाज बेचता होगा तो चांदी सोने को घर में गाड़ता था। आज नोट का महत्व किसान के लिये अन्न के मुकाबले में घटिया है, कम है,। किसान समझता है कि नोट मैं गाड़ नहीं सकता। वह सारे दिन खेत में रहता है, नोट यदि घर के अंदर रखता है तो वह समझता है कि यह अरक्षित है इसलिये आज किसान अन्न के होर्डिंग को तरजीह देता है अन्न को विशेष महत्व देकर नोट को वह कम महत्व देता है। इसलिये किसान यदि होर्डिंग करना शुरू करता है तो कुछ हद तक तो सरकार की दूषित नीति के कारण। आपको थोडा बहुत तो प्रकृति के नियम के अनुसार चलना चाहिये। कवेंन्शनल मेथड के अनुसार चलना चाहिये: स्वर्ण में आप मिश्रण करते रहेंगे, जनता के भावना के विपरित चलने लगें यह उचित नहीं होगा प्रीमेच्योर है, इस पर विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं यह समस्या राजस्थान सरकार की ही नहीं है, केन्द्र की नीति से संबंधित है लेकिन सरकार को चाहिये यदि यह सरकार केन्द्रीय सरकार का अविभाज्य अंग है तो केन्द्रीय सरकार को कम से कम सूचना दे कि वस्तु स्थिति देश की, खास कर के राजस्थन की इस प्रकार की है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो मैं ऐसा समझता हूँ कि केन्द्रीय सरकार की खुशामदखोर जी हजूरी यह सरकार है लेकिन आप का जो प्राथमिक कर्त्तय है उसका पालन पूरी तरह से नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने वन मेन एम्बड्समेन के रूप में एक सदाचर आयोग का गठन किया है। मैं समझता हूं यह ठीक कदम है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन आखिरकार लोगों की महत्वा-कांक्षा होती है, दबाव भी आते हैं, एक व्यक्ति चाहे जितना भी निष्टावान हो कुछ हद तक पक्षपात भी कर सकता है, दब सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है आप उस पर विचार कर सकते हैं। राज्य-पाल महोदय, गवर्नर को अवश्यमेव जनतंत्र की स्वस्थ प्रणाली के अनुसार कांसटिट्यूशनल हेड होना चाहिये। यह नितान्त आवश्यक है कि राज्यपाल के अधिकार मिनिस्टर्स में निहित हों। लेकिन हम एक कन्वेंशन भी बना सकते हैं। इस कन्वेंशन के द्वारा राज्यपाल यदि चाहे तो कोई भी मिसल तलब कर सकते हैं, उस मिसल का निरिक्षण मात्र कर सकते हैं, सलाह के रूप में मंत्रियों को कुछ कह सकते हैं। यदि सलाह के रूप में मंत्रियों को सलाह देना अनुचित समझें तो केन्द्रीय गृह मंत्री, प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति को गुप्तरूप से लिख सकते हैं कि वस्तु स्थिति अमुक राज्य की क्या है, इस संबंध में अध्यक्ष महोदय, यदि इस सुझाव के संबंध से सरकार कोई इस सुझाव को कार्य-

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

रूप में पहिणत करने के लिये ठोस कदम उठायेगी तो एक साइकालोजिकल स्थिति पैदा होगी, मनोवैज्ञानिक स्थिति पैदा होगी जिसके द्वारा कुछ हद तक भ्रष्टाचार में रुकावट हो सकती है। इस बारे में दास कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर कुछ हमारी पार्टी के पत्र स्वराज्य में प्रकाश डाला गया है उसे भी मैं सदन के समक्ष पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

There is a significant but pathetic passage in the Das Commission report on the role played by the Punjab Governor. As head of the State he tried to investigate into certain charges of misdeeds made against Pratap Singh Kairon's son. Every time he had attempted to act information was withheld and the appropriate files were not made available to him. When he turned for information to the Chief Minister, Mr. Kiron said 'In view of the orders of the Minister-in-charge and the openion of the Legal Remembrancer, I have nothing else to say.' The utter helplessness of a Governor under the Consttutiton was thus clearly brought to light, and this should naturally raise a fundamental issue of far-reaching importance, whether the head of a State should remain so powerless.

The role of a Governor has been elaborately discussed in the report of the joint committee on Indian Constitutional Reforms which formed the basis of the Government of India Act of 1935. The report says that in grave issues concerning law and order and in the interests of proper administration, the Governor should have access to files, even of a confidential nature and that he should have the right to summon secretaries. The committee did not ove rule a contingency when a political party commanding a brute majority in the legislature might ride roughshod over public opinion, in which case the Governor should intervene. said the report: 'Obviously the Governor must continue to have the unquestionable right to send for and to see any officer any time, though no doubt under the new order such personal communication betwesn the Governor and the Secretaries would not occur without the knowledge of the ministers concerned.

इसके अतिरिक्त एक यह भी पैसेज मैं पढ़कर सदन के समक्ष सुनाना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से।

Dr. Rajendra Prasad, it might be mentioned, had asked legal experts to study the extent of powers conferred on the President. The need for such a study in regard to the position of State Governors has now become all the more essential.

खाद्यान्नों के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय जो विदेशों में चर्चा है उस सम्बन्ध में भी मैं सदन का दो मिनट का समय आपकी आज्ञा से लेना चाहूंगा।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

The following is taken verbatim from US News and World Report of July 13 :

Inflation in India has reached staggering proportions. In six months the cost of living has risen 20 percent. In a year tbe price of rice is up 30 percent; wheat 20 percent; sugar 50 percent.

Mile-long queues form in New Delhi to buy sugar at the equivalent of 25 cents a pound. Average families in India now spend 70 Percent of income on food alone. Many of the country's 450 million people are going hungry.

Lifeline of India now is the US surplus wheat sold to India on credit. India's Government has just started to control food prices and supply. Home production of food, clothing and other necessaries, is static, stagnant. But there is no sign of a cust back in India's development programme financed by new taxes deficit financing, foreign loans and grants.

अध्यक्ष महोदय, एक कम्पेरिटिव स्टेटमेंट भी है, जो २ अगस्त को टाइम्स आफ इंडिया में निकला है, वह भी मैं सदन के समक्ष और खास करके मंत्री महोदय के समक्ष ध्यान आकर्षित करने हेतु रखना चाहूंगा ।

The prices of foodgrains, pulses, edible oils, gur and sugar have recorded an unprecedented rise during the past one year. A survey by our market reporter shows that some coarse grains now cost about 100 percent. More than during the corresponding period last year, and are costlier than wheat. Gram and some pulses are about 75 percent dearer. Mustard and groundnut oil prices have soared by 50 to 60 percent.

The following are the comparative wholesale prices of important commodities prevailing in July this year and last year.

(Prices per quintal)

	July 1963	July, 1964.
Jowar.	28.00 to 32.00	57.[illegible]0 to 67.00
Barley.	3[illegible] to 34.00	64.25 to 66.[illegible]0
Bajra.	36.00 to 3[illegible].00	59.00 to 60.[illegible]5
Maize.	33.50 to 36	60.5[illegible] to 6[illegible].25
Gram.	42.50 to 44.25	71.00 to 72.31
Wheat.	4[illegible].50 to 52.25	48.25 to 59.00
Moong.	56.00 to 7[illegible].00	104.5[illegible] to 110.00
Moth.	28.50 to 31.00	67.0[illegible] to 68.50
Masoor	5[illegible].00 to 63.00	80.50 to 87.00
Mustard Oil	206.00 to 212.00	335.00 to 386.00
Groundnut Oil	180.86 to 190.25	268.00 to 281.50
Til Oil.	176 84	273.50
Sugar	116.75 to 119.00	138.65 to 139.95
Gur	80.00 to 83.00	98.00 to 100.00
Shakkar	86.00 to 88.00	108.00 to 110.00

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों से अनुमान हो सकता है कि स्थिति कितनी गम्भीर है। शनैः शनैः १५ वर्ष के अन्दर हमारी गलत नीतियों के परिणाम सामने आ रहे हैं। किसानों के प्रति सरकार की उपेक्षा की नीति है और खास तौर से राजस्थान के किसान के ऊपर जो सरकार ने टैक्स लगाये हैं शायद समस्त देश में किसी जगह भी किसानों के ऊपर इतने टैक्स नहीं लगे हुए हैं– क्या लगान, क्या सैस, क्या बैटरमेंट लेवी इन सबके उपरान्त आपने फिर सरचार्ज लगाया है और फिर खाद्यान्नों पर सेलसटैक्स भी सरकार ने लगाया है। एक तरफ तो यह, दूसरी तरफ उत्पादन की वस्तुएं, खेती के औजार, खाद, फर्टीलाइजर, पॉवर, डीजल इन सबके भाव दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप भी अन्न की कीमतें बढ़ी हैं। आपकी पॉलिसी, राजस्थान सरकार की पॉलिसी, अध्यक्ष महोदय, यह है कि टैक्स लगाना, टैक्स लगा कर उन टैक्सों को निरन्तर बढ़ाये जाना और बढ़ाते हुए विरोधी पक्ष की एक बात भी नहीं मानना और अपनी हठधर्मी अख्तियार करना, बहुमत के आधार पर मनमानी करना। आज मैं समझता हूं कि करोड़ों रुपये देश में ब्लेक मार्केट के सरक्यूलेट हो रहे हैं और जब तक यह ब्लेक मनी जो आपके यहां पर चल रही है उसको आप नहीं रोकेंगे, जब तक आप इन करोड़ों रुपयों को मुहैया नहीं करेंगे और ये चलते रहेंगे, जब तक इसको खतम नहीं करेंगे, इस पर कुछ काम नहीं करेंगे तब तक इनफ्लेशन बढ़ेगा और आवश्यकता की चीजों के भाव बढ़ेंगे और बराबर बढ़ते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो सरकार की नीति की चर्चा हुई है वह भी सदन की चर्चा मेरे कथन की पूर्ति करती है। भूमि एलॉटमेंट की व्यवस्था कतई संतोषजनक नहीं है। यह भी अनुभव किया है कि सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है और मन माने तरीकों से भूमि के एलॉटमेंट किये जाते हैं। शायद यह सरकार की भावना हो कि बफर क्रीएट करना हो और मन माने तरीकों से एलॉटमेंट कर दिया जावे। इसमें भी बेकार भूमि के सम्बन्ध में तनिक मात्र भी ध्यान नहीं दिया जाता है। वह भी ढिलाई से भरा है और यह व्यवस्था भी मैं समझता हूँ कि बहुत दूषित है।

उत्पादन के सम्बन्ध में अगर सरकार के विचार ठीक हों, नेक हों तो भी कर्मचारी उन विचारों को कार्यान्वित नहीं होने देते यह मेरा कटु अनुभव है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि सलूम्बर तहसील का एक गांव गीगला है जो जयसमन्द के पास है, जयसमन्द का पानी नहर के द्वारा निकाला जाता है तो हजारों बीघा जमीन डूब से खुल जाती है और अनादि काल से कई सदियों से वहां पर यह व्यवस्था होती चली आ रही है कि वह जमीन भूमिहीन लोगों को दी जाती है और दी जाती रही है। मगर धीरे धीरे रिश्वत खोर कर्मचारियों ने भूमिहीन लोगों को जमीन कम देना प्रारंभ किया और उन लोगों को भूमि देना शुरू किया जिनके पास पहले से भूमि मौजूद है। मेरा उन लोगों से कोई विरोध नहीं है कि उनको भूमि नहीं दी जाए मगर पहले उन लोगों को मिलनी चाहिये जो भूमिहीन हों। अगर ८० घरों का एक तबका मान लिया जाए तो ८० घरों

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

के एक तबके को जिसके पास २००, ४०० या ५०० बीघा जमीन है उसको ७० : ८० बीघा जमीन रोहन में दे दी गई। वहां पर दूसरा ८० घरों का तबका है उसके लोग हैं जिनको २० या ३० बीघा जमीन दी गई जिनके पास कि जमीन नही है। यह सरकार की नीति है। इन लोगों को में डिप्टी मिनिस्टर के पास में लाया और उप-मंत्री ने जो उत्तर दिया वह कायदे के अनुसार था और उससे मुझे सतोष हुआ। लेकिन मुझे अफसोस है कि उनका आदेश जाने के बाद भी वे कर्मचारी उनके आदेश को सच्चे ढंग से कार्यान्वित करेंगे भी या नहीं। अगर उनका आदेश सही ढंग से कार्यान्वित होगा तो में सरकार का आभारी हूंगा ही। लेकिन मुझे इसमें सन्देह है कि उनके आदेशों को कार्यान्वित किया जावेगा। इसलिये यह जो आपा धापी की नीति है वह नुकसान देह दिखाई देती है और इस सम्बन्ध में सरकार को विचार करना चाहिये। और हजारों टन अन्न होता है वह आपस की लड़ाई की वजह से और भूमिहीनों को जमीन दे दी जाती है तो उनकी खड़ी फसल में मवेशियों को छोड़ कर चरा दिये जाते हैं इससे बहुत नुकसान होता है। ये सब बातें हैं और इसमें सरकार को कोई न कोई कठोर नीति अपनानी चाहिये, फर्म एक्शन होना चाहिये, सरकार की व्यवस्थित नीति होनी चाहिये और जो न्याय के अन्तर्गत रूल्स बने हैं उनका पालन होना चाहिये। मै समझता हूँ कि इस गीगला की समस्या को जल्दी से जल्दी सरकार को हल करना चाहिये।

इसके अलावा इस सदन में मैंने पहले भी सीलिंग के बारे में जिक्र किया कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का आपने सीलिंग किया है। मैंने यह भी कहा था कि पोलेन्ड में २०० स्टेन्डर्ड एकड़ का सीलिंग लागू हुआ है। आपने ५:६ वर्षो तक यह कच्चे धागे से बंधी हुई तलवार स्वोर्ड आॅफ डेमोक्लीज़ छोड़ दी। जब सुप्रिम कोर्ट से आपके यथाकथित कानून को अवैध घोषित किया तो आपने १७ वीं बार अपने विधान का संशोधन किया और उन १४० भूमि सुधार सम्बन्धी कानून को आपने वैध कर दिया। आपने भूमि के फ्रंगमेन टेशन को माना है, बड़े फार्म हैं उनको कम किया जाये ठीक हैं आप जो चाहें कर सकते हैं लेकिन मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि २० एकड़ में क्या कोई किसान कमा सकता है। लेकिन खैर जो आपने यह तलवार कच्चे धागे से बांध कर लोगों पर लटका कर छोड़ दी है यह स्वोर्ड आॅफ डेमोक्रीस किसानों पर टेन्गल करता हुआ छोड़ रखा है, इससे किसानों की व्यवस्था अरत व्यस्त रहती है कि न मालूम कब भूमि उनके हाथों से चली जावे। आज जावे या कल चली जावे, इस तरह की भूमि की अस्थिरता उनके दिमाग में रहती है और ऐसी हालत में मेरे ख्याल से यह एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहा जा सकता। यह साउन्ड या अन साउन्ड अस्तव्यस्तता और अव्यवस्था, आप अपने हृदयप र हाथ रख कर सोचिये कि क्या यह भी कोई नीत है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार जयपुर) : आपका हृदय पर हाथ रखने से क्या आशय है। हृदय तो सब रखते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे ख्याल से जिस तरह बन्दर और मगरमच्छ

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

की कथा आती है उसमें बंदर जिस तरह से कहा है कि वह अपना हृदय जामुन के पेड़ पर रख आया उसी तरह तो आज सहकारिता जो भ्रष्टाचार की जननी सिद्ध हो चुकी है, उसमें सरकार ने लाखों रुपया कोपरेटिव की योजना में बहा दिया है और इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। इसके अलावा पैदावर के सही आंकड़े सरकार को उपलब्ध नहीं होना और अधिकारियों में अनुभव का नहीं होना और व्यापारियों में असंतोष. ऐसी अस्त व्यस्त स्थिति के कारण भाव बढेगें। आज सरकार व्यापारियों से सहयोग की अपील करती है तो वह सहयोग ले मगर सरकार को चाहिये कि वह सद् भावना रखे। सब व्यापारी बड़े छोटे बराबर नहीं हो सकते। जो कानून की अवहेलना करे उनको दंड नहीं दिया जावे। लेकिन आज मैं सरकार से जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आज अधिकांश व्यापारियों के पास फूड ग्रेन अब नहीं रहा है। बहुत कम लोगों के पास सभतः होगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह अभी भी निवेदन है कि इसके लिये जिला स्तर पर एड्वाइजरी कमेटी बनाई जावे जो आपके आदेश कागजों और मिसलों पर रहते हैं उस तरह से इस कमेटी का गठन नहीं होना चाहिये। उस कमेटी को पॉवर्स होने चाहिये कि वह सारी बातों पर विचार करके इसका सही हल निकाल सके। आज हम देखते हैं कि अधिकांश सरकारी कर्मचारी सरकार की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उल्लघंन करते हैं और अधिकारी स्वयं हैं वे किताबी नॉलेज रखते हैं, कलाकार की तरह से किताबों में लिखे हुए तरीके की बातें करते हैं और इस लिये जो करना चाहिये वह नहीं कर पाते हैं। उनको करना चाहिये कुछ और करते हैं कुछ और ही। वास्तव में बीमारी कुछ और होती है और उसका निदान कुछ और ही करते हैं। अतः इस सम्बन्ध में सरकार को विचार करना चाहिये और जो कुछ मौजूदा हालत हो रही है उसके बारे में रुकावट करने का तरीका निकालना चाहिये।

इसके अतिरिक्त आपने प्लानों को जो प्रायोरिटी दी है वह भी बिल्कुल गलत तरीके से दी हैं। खेती के मामलों मे आपने कुछ नहीं किया है। यदि मैं यह कहूँ कि खेती की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्लानिंग में आपका नगण्य सा प्रयत्न है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने अणु शक्ति के उत्पादन के लिये, हेवी इन्डस्ट्रीज के लिये, इस्पात के कारखाने आदि के लिये करोड़ों रुपये खर्च किये हैं मगर आपने खेती के लिये बहुत कम खर्च किया है। इसी का यह कारण है कि आज इजरायल और पाकिस्तान जैसे देशों से हमें भिखारी होकर अनाज मांगना पड़ रहा है, यह बड़ी दुखद समस्या है। मैं समझता हूं कि आपको खेती की समस्या को सुधारने के लिये प्लान मे अधिक से अधिक रुपये देने चाहिये और इसको प्रोत्साहन देना चाहिये। आप फोर्सिंग दी पेस (Forceing the pace) करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास इसके लिये साधन नहीं हैं। आपके पास अनुभवी व्यक्ति नहीं हैं, आपके पास इसको करने की तत्परता भी नहीं है कि जिससे आप इसको इतनी रफ्तार से जल्दी कार्यान्वित कर सकें। इसके अतिरिक्त आपके पास यह जानने की कि किस सम्बन्ध में आपने कितनी प्रगति की है, या कितनी अप्रगति हुई है उसका सिंहावलोकन करने की कोई व्यवस्था भी नहीं है।

Page No. 62

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तो इस तरह से प्रोसेसिंग तो जैसे मेरे ख्याल से देश के लिये घातक है। मैं मानता हूं :

cut your coat according to cloth and slow and steady wins the race.

एक सिद्धान्त के अनुसार आप चलिये और यह ब्लैक मनी है इसके रोकने की पॉलिसी को अख्त्यार नहीं करेंगे, वर्षों तक इस पॉलिसी को अख्त्यार नहीं करेंगे तो देश की जनता की नब्ज ठीक तौर से सरकार के हाथ में नहीं आयेगी।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि गवर्नमेंट एक कार्पोरेशन स्थापित करना चाहती है गेहूं और चावल के सम्बन्ध में। अच्छा है, गवर्नमेंट अगर कार्पोरेशन स्थापित करे तो इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे तो इतना ही कहना है कि यहां पर चावल से हमें कोई विशेष प्रयोजन नहीं, गेहूं का व्यवहार भी नगण्य रूप से जनता यहां करती है। आपको तो मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा और चना के बारे में विचार करना चाहिये। हमें इतनी बड़ी कार्पोरेशन से क्या मतलब, इसकी व्यवस्था कुछ भी हो राम भरोसे खाते हो, पर जब तक स्टेपल फूड ऑफ राजस्थान है उसके सम्बन्ध में व्यवस्था नहीं करते हैं तो आपकी योजना बिल्कुल बेकार और सड़ी गली योजना होगी।

अशोक महता ने बड़े साहस के साथ आपकी योजना के सम्बन्ध में जो शब्द कहे हैं, वह भी मैं सदन के सामने रखूंगा। उस योजना के सम्बन्ध में, जिसको कांग्रेस जन गीता का गुटका समझ कर स्मरण करते थे, आज अशोक महता साहस पूर्ण रूप से यह कहते हैं :

The fact of the plan implementation being defective was recognised, but had to be equally recognised was that planning was equally defective. The plan stratigies scatchy and non-existant......

सुनिये :

unless these were set right, it will be difficult to succeed in the plan.

हिन्दुस्तान टाइम्स ६ अगस्त में यह निकला है। मंहगवारी के दलदल से मोक्ष पाने के लिये इस प्लान में परिवर्तन पर्याप्त रूप से आवश्यक है। कृषि, सिंचाई और कुटीर उद्योगों को आप प्रायोरिटी दीजिये और इसके साथ ही साथ डिफलेशन को लाने के लिये, ब्लैक मनी को मोप अप करने के लिये आपकी जो यह फिजूल खर्ची है एक्स्ट्रा वेगेन्सी, लेविशली एक्स्ट्रावेगेन्सी है उसमें भी बोटल नेक को टाइट करिये और एक्स्ट्रावेगेन्सी, फिजूल खर्ची को कम कीजिये।

दूसरे खाद्यान्नों की कीमतों को घटाने के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कल भी मन्त्री महोदय इस समस्या को टालने का प्रयास बहुत होशियारी से कर रहे थे। जन हित के खाद्यान्नों के सम्बन्ध में घोषणा नहीं करें तो मैं आपको आमादा या मजबूर या प्रेस नहीं करता मगर आपकी नीति होनी चाहिये कि आप बफर स्टाक्स क्रियेट

Page No. 63

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करें, वितरण व्यवस्था पर कठोर निगरानी रखें। अगर कठोर निगरानी नहीं रखेंगे तो करप्शन फिर फैलेगा। मन्त्री महोदय कहते हैं कि ५००० गांव अकाल ग्रसित हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि ३००० चीपग्रेन-शाप्स आपने खोली हैं। मैं समझता हू कि ३००० चीप ग्रेन शाप्स नगण्य हैं। वस्तुस्थिति को देखते हुए तिगुनी, चार गुनी दुकानें करनी चाहिये, मुकम्मिल व्यवस्था पर अनाज बेचने की कोशिश करें, वहां कीमतों को आप सब्सिडाइज करें, यह घाटा भुगत कर कुछ अमुक निर्धारित समय तक, उस अन्न को मुकर्रर दर पर बेचें, तभी सरकार की शक्ति और दृढता का परिचय मिलेगा, लोगों में पेनिक है, व्याकुलता है उसमें भी शान्ति और स्थिरता आयेगी। जब तक कोई ठोस कदम इस सम्बन्ध में नहीं ले पाते तब तक सरकार की थोथी नीति के प्रति दिन प्रति-दिन जनता में दुर्भावना बढती जा रही है। और मैं यह बात विरोधी पक्ष में होने के नाते, यह बात कह कर मजाक नहीं करता, देश की इस गम्भीर स्थिति पर आप काबू पावें।

अन्न का यातायात राज्य के अन्दर बिना रुकावट के हो, इसका मैं पक्षपाती हूं लेकिन चोरी छुपे वह बाहर जाय उसका पक्षपाती मैं नहीं हूं। लोग टर्म बेसिस के ऊपर कन्ट्रोल प्रणाली को धीरे धीरे शनैः शनैः आप घटावें क्योंकि यह अनुभव है, सबका अनुभव है कि जिस चीज का आप कन्ट्रोल करते हैं वह अन्डर ग्राउन्ड चली जाती है। क्या गुड़ क्या शक्कर सबका यही हाल हुआ। गुड़ के सम्बन्ध में मिश्रण स्वर्ण के अन्दर भी मिश्रण किया, रूल्स ऐसे लाये कि जब तक सोने में मिश्रण नहीं हो तब तक बिक नहीं सकता, तो, यथा राजा तथा प्रजा, नीयत नहीं तो बरक्कत कहां, आज धनियां, चीनी, आटा, तेल, गुड़ सब में मिश्रण ही मिश्रण तो कोई कन्वेन्शनल मैथड़ नहीं रहता, कन्वेन्शनल मैथड्स आपको करने चाहिये। गुड़ और शक्कर की व्यवस्था की तरह अगर गेहूं की व्यवस्था हुई तो गुड़ और खांड के बिना तो किसी तरह ब्याह शादी भी हो जायेंगे पर गेहूं नहीं हुआ तो लोग मारने को दौड़ेंगे। तो इस सम्बन्ध में आपको अभी से विचार करना चाहिये।

स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स के सम्बन्ध में आपकी योजना है वह सम्भव और प्रकृति के विपरीत योजना है, जो प्रकृति के नियमों के विपरीत चलता है उसको मुंह की खानी पड़ती है स्टेट ट्रेडिंग करना है तो कन्वेन्शनल बेसिस पर करिये, छोटे ट्रेडर्ज को साथ लीजिये। अगर स्टेट ट्रेडिंग करेंगे, सभी व्यापारियों का अन्न का व्यापार खत्म कर देंगे तो अराजकता होगी। अभी भी यह विषय एक विवादास्पद विषय है कि फूड को ट्रेडिंग स्टेट अपने हाथ में ले या नहीं ले। टी० टी० कृष्णमाचारी सुब्रह्मण्यम् और अशोक महत्ता इस सम्बन्ध में एक राय के नहीं हैं। पर कुछ भी हो राजकीय खाद्यन्न के बारे में केन्द्र की जो नीति होगी उसी को राज्य सरकारों को क्रियान्वित करना पड़ेगा। क्यों नहीं राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से कहतीं कि यह सम्भव नहीं है। यह कहने में क्या डर हैं। अगर कुछ हद तक स्टेट ट्रेडिंग रखें, छोटे व्यापारियों को साथ लेकर उन्हें आजादी दें तो वह बुरा नहीं। स्टेट ट्रेडिंग आये तो स्टेट ट्रेडिंग की मूल भूत जो मेरे

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

दृष्टिकोण में आवश्यता है उस सम्बन्ध में मैं दो शब्दों में सदन को अवगत करा देना चाहता हूं। अगर सरकार इस योजना को क्रियान्वित करती हैं तो किसानों का अन्न खलिहानों में जा कर ही राज्य कर्मचारियों को खरीदना पड़ेगा। उसी वक्त वहां खलिहानों में ही तुलाना और उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। बहुत से गावों में एक साथ फसल पकती है, सौ सौ दो दो सौ गांवों में एक साथ फसल कटनी शुरू होती है और अगर स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स करना है तो एक आर्मी की आर्मी आपको राज्य कर्मचारियों को रखनी पड़ेगा, अनाज को तुलाना, उसी समय पैसा चुकाना, यह सब काम एक साथ करना पड़ेगा। साथ ही इतने अनाज के लिये वेअर हाऊसेज बनाने पड़ेगें, सड़के बनानी पड़ेगी। आपकी सड़कों की हालत आज यह है कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाटर से तहसील हैड क्वाटर को भी नहीं मिला सके हैं तो गांव गांव में जा कर, खलिहानों में जा कर स्टेट ट्रेडिंग को सफल बनाने के लिये खलिहानों में ही अनाज को तुला कर, उसके दाम चुका कर ट्रकों में लाना असम्भव हो जायगा। और अगर व्यापारी चाहेंगे ऊंचे दामों पर खरीदना, तो किसान का अनाज आपके पास नहीं आएगा, वह व्यापारी को देगा। इसमें भी भ्रष्टाचार होगा और भ्रष्टाचार के अलावा ये कर्मचारी लोग जिनको बुलावे पर बुलावा गांवों से आएगा, ये दूसरे नम्बर के भ्रष्टाचारी बन जाएगें और आपकी योजना सारी असफल हो जायगी। मैं चेतावनी देता हूँ जैसे भूतपूर्व कृषिमंत्री यू. पी. के चौधरी चरणसिंह ने कहा है स्टेट ट्रेडिंग इन फूडग्रेन्स इम्प्रेक्टीकेबल है और इससे करप्शन बढ़ेगा। आपको व्यापारियों का सहयोग अवश्य प्राप्त करना चाहिए, उनके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। सरकार ने गेहूँ के भाव मुकर्रर किए। गेहूँ के भाव मुकर्रर करते हुए सदन से एक शब्द भी नहीं कहा। यही तो आपकी निष्ठा का सवाल है जो स्वस्थ जनतन्त्र की परम्परा से संबंधित है। खैर इस संबंध में मुझे विशेष नहीं कहना है लेकिन जब यह सदन मौजूद था तो सदन को कॉन्फीडेंस में न लेते हुए केन्द्र के आदेशों को ही कार्यान्वित किया तो ठीक है। लेकिन बजट सेशन के समय गेहूं के भाव निर्धारित करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि न्यूनतम ४६ रुपये प्रति क्विंटल होगा और अधिकतम भाव ५१ रुपए प्रति क्विंटल। अभी आपने घोषणा की है कि न्यूनतम भाव ५३ रुपए प्रति क्विंटल होगा और अधिकतम ६४ रुपए प्रति क्विंटल होगा। अध्यक्ष महोदय, आज जयपुर के अन्दर बाजार में ५१–५२ रुपये से ६२–६३ में गेहूँ मिल रहा है। दुकानदार ही जनता के प्रति सद्भावना रखकर सरकार की घोषणा से सस्ता अन्न बेच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सरकार को घोषणा ही करनी थी तो मौजूदा भावों के अनुसार ही करती। यह भी एक अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। इस तरह भावों में बराबर अदला बदली करके अस्थिरता लाना सरकार की प्रतिष्ठा को कम करता है और दुर्भावना फैलाता है। हम सरकार की दिक्कतों को नहीं बढ़ाना चाहते किन्तु सरकार की नीति वास्तविकता के प्रतिकूल है, ऐसी नीति है जिससे अस्थिरता आती है, जनता का अहित होता है। इस कारण हमें इसकी कड़ी से कड़ी आलोचना करनी पड़ती है। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की खाद्य स्थिति पिछले कई वर्षों से निरन्तर गम्भीर बनती जा रही है। यह स्थिति राष्ट्रीय स्थिति है और उसका मुकाबला करने के लिए यह स्वाभाविक है कि अपने प्रदेश की पूरी जनता और जनता के प्रतिनिधि सब मिलकर इस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ उपाय ढूंढें। राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने तथा खाद्यमन्त्रीजी ने कई बार इस सदन में और सदन के बाहर विरोधी दलों से इस बात की अपेक्षा की कि वे आज स्थिति का राजनैतिक लाभ नहीं उठाएं और सरकार को सहयोग दें। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के समक्ष जब इस प्रकार की भीषण समस्या हो तब कोई भी राजनैतिक दल इस बात की इच्छा प्रकट नहीं करेगा कि इस स्थिति का राजनैतिक लाभ उठाया जाय। लेकिन सरकार के सामने भी यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या कभी सरकार ने आज तक इस बात की चेष्टा की है कि वह राजनैतिक दलों को कानफीडेंस में लेकर उनसे सहयोग प्राप्त करे। मुझे याद है कि सन् १९५९ में राजस्थान में इसी प्रकार की स्थिति बनी थी। और राज्य सरकार ने उस स्थिति का मुकाबला करने के लिए स्टेट लेविल पर, डिवीजनल लेविल पर और जिला लेविल पर कुछ एडवाइजरी कमेटीज का निर्माण किया था। उन कमेटीज के समक्ष राज्य सरकार ने अपनी वास्तविक स्थिति रखी कि समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। उन मसलों पर विचार किया और मैं यह कह सकता हूं कि विरोधी दलों के सहयोग से हमने उस स्थिति का कुछ सीमा तक मुकाबला किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज की इस स्थिति में सरकार ऐसे प्रश्न पर मौन है और जब सरकार की गलत कार्यवाहीयों को लेकर विरोधी दल जनता की भावनाओं को सरकार के सामने रखने की चेष्टा करे तो उल्टे यह आरोप उन पर लगाया जाय कि विरोधी दल उसका राजनैतिक लाभ उठाने की चेष्टा करते हैं। मैं माननीय मुख्यमन्त्रीजी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने आज तक विरोधी दलों से जो सहयोग नहीं लिया उसके लिए वह पश्चात्ताप करें और भविष्य में विरोधी दल इन समस्याओं के समाधान के लिए उनको सहयोग दें, इस बात की अपील करें तो कोई विरोधी दल ऐसा नहीं होगा जो इसका राजनैतिक लाभ उठाने की चेष्टा करेगा और सरकार को सहयोग नहीं देगा। सरकार भी अपनी नीतियों में विरोधी दलों की भावना को अकोमोडेट करे तो हम सब मिलकर इस प्रकार का रास्ता निकाल सकते हैं जिसके जरिए कुछ राहत जनता को मिल सके।

राजस्थान की खाद्य स्थिति पर विचार करने के साथ साथ यह भी विचार करना पड़ेगा कि आज राजस्थान की जनता की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है और उस आर्थिक स्थिति के अनुपात में खाद्य स्थिति किस सीमा तक गम्भीर बन गई है और उसका किस प्रकार से निराकरण किया जा सकता है। सबसे पहले, इस आर्थिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत करने से पहले मैं राजस्थान की पर कैपीटा इन्कम के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार के उत्पादन में आंकड़े बहुत डिस्प्यूटेड हैं लेकिन जो

(श्री भैरोंसिंह)

आंकड़े इस खाद्य स्थिति के बारे में सरकार की ओर से नोट के अंदर दिए हुए हैं उन आंकड़ों को वर्तमान स्थिति में अधिकृत मानकर उनके आधार पर राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर कैपीटा इन्कम के रूप में कितनी गिरी है उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ :

१९६१-१९६२ में पर व्यक्ति आय ३४२ रु० थी ।

१९६१-६२ में उत्पादन ४९ लाख टन हुआ था ।

१९६२-६३ के अंदर उत्पादन ४९ लाख से गिरकर ४४ लाख टन हुआ और जिसका स्वाभाविक परिणाम, जिसको सरकार ने भी स्वीकार किया है, ३४२ रु० प्रति व्यक्ति आय से गिरकर ३२६ रु० रह गए ।

१९६३-६४ में यह उत्पादन ४४ लाख टन से गिरकर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ३२ लाख टन पर आया । १२ लाख टन अनाज की कमी हुई और उसका स्वाभाविक परिणाम यह निकलता है कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय जो १९६१-६२ में ३४२ रु० थी, वह १९६२-६३ में ३२६ रु० और १९६३-६४ में वह गिरकर ३२२ रु० रह गई ।

ऐसी स्थिति में राजस्थान की जनता की क्रय शक्ति घटना स्वाभाविक है । जब लोगों की क्रय शक्ति घटती है तो लोगों की आर्थिक स्थिति ज्यादा डांवाडोल बनती है यह भी अर्थशास्त्र का माना हुआ सिद्धान्त है ।

इसी के साथ साथ राजस्थान के लोगों की क्रेडिट के मामले में सर्वे हुई है । उस सर्वे के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ६२ परसेंट लोग कर्जदार हैं और जो उनके द्वारा कर्ज लिया गया है उनका ६० परसेंट हिस्सा यानी कर्जे का ६० परसेंट उन लोगों ने जीवनोपयोगी चीजों के लिये और खाद्य सामग्री के लिये खर्च किया । राजस्थान के लोगों के सामने यह दूसरा संकट है । एक तरफ उनकी आमदनी गिर रही है और दूसरी तरफ वे कर्जदार होते जा रहे हैं । यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या बढ रही है और उसके कारण जो कुछ भी उत्पादन होता है उसका पूरा लाभ नहीं उठा सकते । मैं ऐसा समझता हूं कि जो आंकड़े दिये हैं वे ये हैं कि राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या वृद्धि के मुकाबले में ४.४ परसेंट बढी है जब कि प्रोडक्शन ४.८ हुआ है । जो खाद्य का उत्पादन हुआ है वह ज्यादा हुआ है और इस कारण यह बहाना बना कर नहीं चल सकते कि जन संख्या के अधिक बढ़ने के कारण उत्पादन पर फर्क पड़ा है और देश में इस कारण अधिक महगाई बढ़ी है ।

इसके साथ साथ यह भी विचार करना आवश्यक है कि लोगों की क्रय शक्ति घटी है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय घटी है, लोग कर्जदार होते जायें और जो कुछ आमदनी है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है ? इन पिछले बीस वर्षों में जो हमारे रुपये की कीमत है वह ८३ परसेंट गिर गयी है और यह कहना चाहिये कि आज का रुपया केवल १७ नये पैसे के बराबर रहता है । इस स्थिति में यह स्वाभाविक है कि लोगों की क्रय शक्ति बढी है । जहां तक जीवनोपयोगी चीजों का सवाल है उनके भाव निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं और हिन्दुस्तान के जो होल सेल प्राइस

(श्री भैरोंसिंह)

इन्डेक्स हैं वे ११६.७ से बढ कर १३० तक चले गये हैं। जनवरी से मई तक के ये इन्डेक्स हैं। प्राइस इन्डेक्स बढा है। लोगों की क्रय शक्ति इस दृष्टि से बढ़ी है लेकिन उनकी आर्थिक आमदनी बढ़ी नहीं है किन्तु वह तो घटी है और लोगों पर कर्ज का भार बढ़ा है और बढ रहा है। इस सारी स्थिति में आवश्यक चीजों के भावों को देखें तो आज जो यह स्थिति जनता की है वह आगे चल कर न मालूम क्या होने वाली है। जीवनोपयोगी चीजें जो हमारे जीवन के लिये आवश्यक होती हैं, जिनके बिना जीवन चलना असंभव है उनके भाव १०० से १८० परसेन्ट तक बढे है। ६०० परसेन्ट मसाले। मूंग, मसूर आदि दालों में १०० परसेन्ट की बढोतरी हुई, गुड़ मे १८० परसेन्ट की बढोतरी हुई, तेल वगैरह में ५७ से ७५ परसेन्ट की बढ़ोतरी हुई। अनाज के भावों को ही लीजिये। मैं पिछले वर्ष का अभाव बताकर विशेष अन्तर बताने के लिये सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा। पिछले अप्रेल के महीने में इसी सदन में हमने खाद्य समस्या पर बहस की थी उस समय जो भाव थे उनको लेकर आज के भावों से तुलना की जाय तो ५५ से ६५ परसेन्ट अनाज में वृद्धि हुई है, जवार में ३८ से ४५ परसेन्ट बढोतरी हुई, जौ में ४२ से ५३ परसेन्ट बढोतरी हुई, बाजरा में ४० से ५० परसेन्ट की बढ़ोतरी है और इसी प्रकार मक्का और मूंग के भावों में बढोतरी हुई है। ये सारे भाव बढे हैं और उनके आधार पर हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार एक तरफ उत्पादन के आकडे बता कर दूसरी तरफ घाटा बता कर कि खपत जन संख्या अधिक हो जाने से अधिक हो गई सरकार लोगों को संतोष कराना चाहती है, भरसक कोशिश की लेकिन उत्पादन नहीं बढा और खपत ज्यादा हो गई। जहां तक खपत का सवाल होता है ४४ टन का ब्योरा दिया है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह पूर्णतया गलत है और किसी लॉजिक पर सही नहीं उतरता है। सरकार ने किस आधार पर ४४ लाख टन का परिणाम निकाला कि इतनी खपत होगी ? मैं विश्वास से कह सकता हूं कि जैसा विरोधी दल के नेता ने भी बताया कि ३२ लाख टन से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन सरकार अपनी अयोग्यता और अकर्मण्यता को छिपाने के लिए सरकार इस प्रकार की कोशिश कर रही है कि पहले खपत ज्यादा बतायी जाय और उत्पादन कम बताय जाय जिस से यह भ्रम पैदा हो जाय कि उत्पादन कम हुआ है और इस कारण से यह विषमस्थिति बनी है।

जहां तक उत्पादन के आंकड़े आये और खाद्य मन्त्री ने वर्तमान आंकड़े बताये यह भी इतना बड़ा जजाल है कि जिसकी इन्क्वायरी करने की बड़ी आवश्यकता है। राज्य सरकार आंकड़े किस समय, किस प्रकार और किस मतलब से बताती है इन चीजों में बड़ा अन्तर है। यदि भारत सरकार से सहायता लेनी हो तो आंकड़े कम बताये जायं, राजस्थान की जनता को यदि गुमराह करना हो तो आंकड़े कम बताये जायं। दोनों

(श्री भीमसेन पदासीन)

११.०५ म० पू०

स्थितियों में राजस्थान सरकार ने आंकड़े प्लानिंग बोर्ड के सामने पेश किये हैं, योजना

(श्री भैरोंसिंह)

और प्रोग्रेस रिपोर्ट में आंकड़े दिये हैं, एग्रीकल्चर डायरी में आंकड़े बताये हैं और राजस्थान के स्टेटिस्टिक्स की ओर से जो आंकड़े बताये गये हैं उन सबमें आपको वेरियेशन्स मिलेंगे। यदि इसको चुनौती दी जाय तो इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं कि सरकार गलत आंकड़े क्यों बताती है।

सरकार ने अभी बताया कि गये वर्ष का उत्पादन ३२ लाख टन हुआ खाद्य स्थिति के विषय में सरकार ने एक नोट प्रस्तुत किया है उसमें बताया है मौजूदा उत्पादन ३२ लाख टन का है ६१–६२ में ८ लाख टन और ६२–६३ में २·५० लाख टन कुल ११·३४ लाख टन सरप्लस हुआ। वह दो वर्ष में दिखाया। उसको अकाउन्ट फोर नहीं किया और ३२ लाख टन बता दिया और यह जोड़ा जाय तो हमारी स्थिति आती है ४३ लाख टन। यदि ४४ लाख टन का उनका खर्चा स्वीकार कर लिया जाय और सही स्थिति को देखा जाय तो ४४ लाख टन की खपत है और ४३·५० लाख टन से लगाकर ४४ लाख टन उत्पादन हुआ है और खपत और उत्पादन का बैलेन्स बनता है उस हिसाब से तो किसी प्रकार की स्थिति खराब होने की बात नहीं आती है। उन्हीं के आंकड़ों से यह सरप्लस होता है और उन्हीं के आंकड़ो पर ६२–६३ में निर्यात हुआ है, चना, जौ, मक्का, बाजरा आदि निर्यात हुआ है और गेहूं का आयात हुआ वह माइनस कर दिया जाय तो २१ लाख टन का निर्यात हुआ है। ६३–६४ में ३२ लाख टन बताया कि कुल उत्पादन हुआ तो ६२–६३ में उत्पादन हुआ इसको कम करके चलें और १५ लाख टन अनाज का निर्यात समझ लें तो १७ लाख टन मौजूद रहता है और इस अनुमान को भी छोड़ दिया जाय और हमारी सरकार की ओर से जो ६४ के जनवरी, फरवरी और मार्च के आंकड़े दिये है निर्यात के वे दो लाख टन के लगभग आते हैं यदि उनको पूरे वर्ष में फैलाया जाय तो ८ लाख टन का निर्यात होगा। इससे कोई इन्कार नहीं किया जा सकता। ३२ लाख टन में से यदि इसको कम किया जाय तो २४ लाख टन खाद्यान्न होता है और नोर्मल ट्रेड के जरिये से १५ लाख से कम निर्यात नहीं होगा और उसको माइनस करते है तो १७ लाख टन वर्तमान स्थिति में रहता है और इस आधार पर स्थिति यह है कि सरकार अपने आंकड़ों पर ही सरप्लस बनती है। यह सरकार अपने ही आंकड़ों से घाटे में जाती है जिसकी कोई स्थिति नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि जो भी आंकड़े बनाये जाय उनके बनाने से पहले देश की वास्तविक स्थिति को कम से कम सोच समझ कर जनता के सामने और जनता के प्रतिनिधियों के सामने रखना चाहिये। मैं तो सरकार की बड़ी अयोग्यता मानता हूं। सरकार ने डेलिबरेटली ६३–६४ के आंकड़े सदन में नहीं दिये। मैं इसको सदन की बहुत बड़ी मानहानि समझता हूं। सरकार यह कहती है कि बाकी के निर्यात के आंकड़े है, सरकार यह कहती है कि ६४ की जनवरी से अगस्त तक के हमारे पास निर्यात के आंकड़े है लेकिन ६३–६४ के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, ६ महिने के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि सरकार के पास आंकड़े ऐसे हैं कि निर्यात अधिक हुआ, बेलेन्स कम रहा और उसको छिपाने के लिए ही सरकार ६३-६४ में कितना निर्यात हुआ

(श्री भैरोंसिंह)

उसके आंकड़े सदन में प्रस्तुत नहीं करना चाहती।

सभापति महोदय, उत्पादन क्यों गिरता है क्या इसके लिए सरकार ने कभी विचार किया है ? प्लानिंग के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। क्या कभी विचार किया होगा कि देश और प्रदेश का यह उत्पादन क्यों गिरता जा रहा है ? राजस्थान कृषि प्रधान देश है ८० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर रहती है। और इस प्रदेश में जमीन की कमी नहीं उस पर भी यदि खाद्यान्न का उत्पादन गिरता है तो यह स्वाभाविक रूप से परिणाम निकाला जा सकता है कि इससे किसानों को किसी प्रकार का इन्सेन्टिव क्रिएट करने की स्थिति में नहीं है। इन सब का स्वाभाविक परिणाम यह निकलता है कि राजस्थान में खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी हुई है। वाटर पोटेन्शियल मेजर, माइनर मिडियम प्रोजेक्ट के जरिये जहां हम खाद्यान्नों के उत्पादन की ओर बढ़ने की बांते करते हैं उस में करीब १०॥ लाख एकड़ के करीब एरिया आता है। उसमें से ४॥ लाख एकड़ का आज तक उपयोग नहीं किया है यह इस बात का सबूत है कि पैसा खर्च करने पर भाखरा राजस्थान नहर, चम्बल, जवाई, पोंग डेम आदि पर खर्च करके भी जो उससे उत्पादन होता है उससे भी हमारी खाद्यान्न की स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है।

घग्घर से आने वाली बाढ़ के सम्बन्ध में जब गत सत्र में विधान सभा में कहा गया तो खाद्य मन्त्री महोदय ने उस योजना को तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूर्ण करने को कहा लेकिन अभी कुछ रोज पहले जो वक्तव्य उन्होंने दिया उसमें यह कहा कि अभी तीन साल तक इसका खतरा बना रहेगा। इसी प्रकार खाद्य मन्त्री महोदय ने यह भी बताया कि गंग केनाल में पिछली बार पानी कम आया इससे भी राज्य सरकार को घाटा हुआ। आज यह किसी की जिम्मेदारी है ? राजस्थान का जो शेयर पानी का है वह राजस्थान के किसानों को मिलना चाहिये। यह किसकी अयोग्यता का सूचक है किसी की अकर्मण्यता का सूचक है ! सभापति महोदय, यही एक अकेला कारण खाद्य मन्त्री महोदय के लिए काफी था, राज्य सरकार की कमजोरी के कारण पंजाब सरकार ने राजस्थान के हिस्से का भी पानी यूज कर लिया और गंगानगर के किसानों में त्राहि त्राहि मचा दी जिसका असर राजस्थान की उत्पादन की स्थिति पर ३ करोड़ के घाटे के रूप में पड़ा। उससे बड़ी शर्म की चीज हमारे खाद्य मन्त्री के लिए और क्या हो सकती है जिनके कारण आज राजस्थान को खाद्यान्न के बारे में संकट का सामना करना पड़ रहा है।

वाटर लॉगिंग की समस्या भी वैसी की वैसी बनी हुई है। चम्बल की नहर से जो सिंचाई होती है वहां के किसान त्राहि त्राहि कर रहे हैं पिछले वर्ष खाद्य मन्त्री महोदय ने मार्च के महिने में इस सदन के अन्दर घोषणा की थी कि घग्घर के मामले में हमारा भारत सरकार और पंजाब सरकार के साथ समझौता हो रहा है और निकट भविष्य में हमारे द्वारा रखी हुई स्कीम के अनुसार काम हो जायगा भारत सरकार ने हमारी स्कीम मंजूर कर ली और थर्ड फाइव

(श्री भैरोंसिंह)

ईयर प्लान में घग्घर से जितना नुकसान होता है उसकी रोकथाम की जा सकेगी। तीन चार दिन पहले खाद्य मन्त्री ने इसके लिये कह दिया कि अभी इसको पूरा होने में तीन साल का समय और लग जायगा। जो फरवरी के महीने में बात कहते थे वह अगस्त के महीने में सही नहीं उतरती है। इससे जनता में अविश्वास बढ़ता जाता है। आप जिस चीज को साल भर में पूरा करने की सोचते थे वह साल पूरा खत्म ही नहीं हुआ उससे पहले ही उसका पीरियड दो साल बढ़ा दिया और जब दो साल खत्म होने आते हैं चार साल का नाम लेकर इस प्रकार से बचने की कोशिश करते हैं।

माइनर इरिगेशन में इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है कि अगर इस पर अधिक से अधिक धन खर्च किया जाय तो इससे इमीडियेट रिटर्न मिल सकता है। माइनर इरिगेशन पर पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में जो रुपया निर्धारित किया था वह लेप्स हुआ है। जितना रुपया रखा गया था उस रुपये का पूरी तरह से उपयोग हुआ होता तो आज खाद्यान्न की कमी की कोई संभावना नजर नहीं आती। इसके अलावा भी कुछ और दिक्कतें हैं जिनके कारण खाद्यान्न के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है वे भी फन्डामेन्टल दिक्कतें हैं राजनैतिक आधार पर किसानों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। आज राजस्थान का ही नहीं भारतवर्ष का किसान यह समझ कर नहीं चलता है कि जिस जमीन पर वह मेहनत करता है जिस जमीन को अपने साधनों से उपजाऊ बनाने की कोशिश करता है उस जमीन को कभी कन्सोलिडेशन ऑफ लैण्ड के नाम पर कभी सीलिंग के नाम पर, कभी कॉन्स्टीट्यूशन में अमेन्डमेन्ट लाकर किसान के दिमाग में यह प्रभाव डालते हैं कि वह जिस जमीन पर काबिज है वह उसके पास रहेगी भी या नहीं। वह इस अस्थिरता के कारण उस जमीन में इनवेस्टमेन्ट करने की चेष्टा नहीं करता उसको उस इनवेस्मेंट की गारन्टी नहीं है क्योंकि वह सोचता है कि मुझे कोऑपरेटिव फार्मिंग के नाम पर, कंसोलीडेशन के नम पर, सीलिंग के नाम पर, कॉन्स्टीट्यूशन में अमेंडमेन्ट लाकर और टीनेन्सी कानून में संशोधन लाकर कभी भी अपनी जमीन से बेदखल किया जा सकता है। इससे किसान अपनी जमीन पर इनवेस्टमेन्ट नहीं कर पाता। ऐसी हालत में उत्पादक किसान से आप यह चाहते हैं कि वह खाद्यान्न बाजार में लाकर बेचे। आज जब राजस्थान में ७२ प्रतिशत किसान हैं जो जमीन से उत्पादन करते हैं, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाय और आप उनसे यह आशा करें कि वे सस्ते भावों पर व्यापारियों को अनाज बेचें और वह कन्जूमर तक पहुंचे तब उसके बेचने और कन्जूमर के खरीदने के भावों में अन्तर हो जाय जिससे न किसानों को लाभ मिले और न उपभोक्ता को ही लाभ मिले। होर्डर्स और ब्लेक मार्केटियर्स और मिडिल मैन ज्यादा मुनाफ़ा कमाये। जिन किसानों के पास कृषि ही एक मात्र साधन है वहां उपज बढ़ाना चाहते हैं तो किसानों के पास जमीन पर इन्वेस्टमेंन्ट करने के लिए जब तक नहीं बचेगा वह उस जमीन पर खर्च नहीं कर सकेंगे अच्छा बीज लाने के लिये अच्छे इम्प्लीमेंट्स लाने के लिए पैसा चाहिये आखिर वह कहां से आयगा। जब तक वह बचा नहीं पायेगा तो उसमें लगा नहीं सकेगा। कर्जे की व्यवस्था आपने की है लेकिन आप इसे स्वीकार करें या न

(श्री भैरोंसिंह)

करें कोआपरेटिव बैंक से जो कर्जा दिया गया है, वास्तव में खेती के उत्पादन बढाने में वह मेरी राय में पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा जो पैसा है वह सारा कन्जम्प्शन के काम में खर्च हो जाता है उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और किसान काफी मात्रा में बैंकों के मार्फत कर्जदार बन गये हैं। किसानों को सुविधा तब ही हो सकती है जब कि उनके रोजमर्रा काम आने वाली चीजों को उनको सस्ते दामों पर मुहैया की जाय। किसानों के काम आने वाली चीजें हैं केरोसिन आइल, गुड़, माचिस तम्बाखु, कपड़ा, चाय, वेजीटेबल प्रोडक्टस ये चीजें हैं जो किसान के रोजमर्रा काम आने वाली हैं। भारत सरकार का बजट उठाकर देखें उसके साथ जो बाउचर पेपर दिया गया है उसमें साफ लिखा है ६१–६२ के अन्दर केरोसिन से १२.८४ लाख को ड्यूटी थी ६३-६४ में ५१.४६ लाख हो गई। शुगर, ४७ से बढकर ६० करोंड़ की ड्यूटी हो गई। माचिस, १८.२२ तमाखू ६६ थी वहां १ अरब १५ करोड़। चार की १६ करोड़ हो गई कपड़े १. १८ करोड़ हो गई बेजीटेबिल प्रोडक्टस में ६.१७ ड्यूटी हो गई इसी प्रकार सीमेन्ट की हो गई। इन चीजों का किसान के दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इन चीजों के काफी मूल्य बढ जाने से किसान की आवश्यकता की चीजों के बहुत दाम बढ़ गये हैं। जहां उसके दैनिक जीवन की चीओं के भावों में आशातीत वृद्धि हुई है वहां जो खाद्यान्न पैदा करता है उसको सस्ते भावों में लेकर जो शोषणकारी वृति आप लेकर चल रहे हैं उससे आप किसान पर जबरदस्त अन्याय करना चाहते हैं। किसानों से सस्ता अनाज लें और उनकी आवश्यकता की चीजों को मंहगे भाव में दें यह कदापि उचित नहीं है। आपको चाहिये कि भारत सरकार द्वारा इन चीजों पर जो एक्साइज ड्यूटी ली जाती है या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेलसटैक्स लिया जाता है म्युनिसिपैलिटीज द्वारा जो आक्ट्रोय ड्यूटी है उसको माइनस करके इस बात की व्यवस्था करेंगे ताकि किसानों की उपयोग की चीजें सस्ती मिल जायं। अगर जीवनोपयोगी चीजें उसको सस्ती मिलेंगी तो वह उसमें जो ज्यादा खर्चा करता है वह उसे बचाकर उत्पादन बढ़ाने में लगायेगा, इन्वेस्टमेंन्ट करेगा और उत्पादन बढायगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में हमारी सरकार को यह दृष्टिकोण समझने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष अप्रेल के महीने में जब राजस्थान सरकार के सामने यह समस्या आयी व्यापारी फुडग्रेन लाइसेन्स के कारण परेशान होकर व्यापार को चलाने के लिए तैयार नहीं थे उस समय खाद्य मन्त्रीं ने बड़े जोश मे आकर कहा कि व्यापारी अगर व्यापार नहीं करते हैं तो न करें हमारी सरकारी मशीनरी सक्षम है। हमारी सरकारी मशीनरी ने पुरजोर तैयारी कर ली है। हमने पूछा कि मशीनरी आपने तैयार कर ली होगी। भाव आपने क्या तय किये ? तो बताया कि गेहूँ के भाव १४), १५) और १६) रु० मण होंगे और इन्हीं भावों के हिसाब से हम खरीदेंगे। यह किस दिन कहा ? अप्रेल में। अप्रेल के तीसरे वीक में नया अन्न आता है। उसके पहले आपने भाव तय किये गेहूँ

Page No. 72

(श्रीभैरों सिंह)

खरीदते के। यह जनवरी से सरकार की तैयारी चल रही है। कुछ मण्डियों में सरकार ने कमेटियां बनाई, मशीनरी का निर्माण किया और सरकार ने अपना यह इन्टेन्शन शो किया कि हम अमुक अमुक प्रकार के खाद्यान्न की खरीद फरोख्त को रेगुलेट करना चाहते हैं। सरकार ने प्रचार किया। गजट में नोटिफिकेशन निकाला। कमेटी कांन्स्टीट्यूट की गई। जनवरी से सरकार का इरादा चलता आ रहा है कि अनाज की खरीद फरोख्त करेंगे। इसे रेगुलेट करेंगे और १४) १५) और १६) रु० मण के भाव से अनाज खरीदेंगे। हमने उस समय पूछा कि आपके खरीद और बिक्री के भावों में फिर अन्तर कितना रहेगा ? तो खाद्य मन्त्री ने तो नहीं, पर योजना मन्त्री कहा था कि चार रुपया मन से यह अन्तर ज्यादा नहीं हो सकता और इस सैशन में जब सरकार से पूछा गया कि आपको इस योजना के अनुसार आपने कितना अनाज खरीदा है तो उसको शर्म आ गई। कहा कि हमने तो केवल ५० क्विन्टल अनाज खरीदा है।

जिस राजस्थान की दो करोड़ जनता के लिए यह सरकार ४४ लाख टन खाद्यान्न की खपत बताती है उसकी उस ४४ लाख टन अनाज की आवश्यकता की समस्या के इलाज करने के लिए यह सरकार ५० क्विन्टल अनाज खरीदती है और वह भी बूंदी जिले की एक तहसील से।

सरकार की इस ढिलाई का खाद्यान्न की स्थिति पर राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ा ? अब जो प्रभाव पड़ा वह सामने है। हार खाकर इस सरकार ने आज भाव तय किये हैं ६४) रु० क्विन्टल और ५३) रु० क्विन्टल गेहूं के लिए। मैं खाद्यमन्त्रीजी आपको कहना चाहता हूं कि एक मई को जो आप बढ बढ कर बातें कर रहे थे और आपके मुंह से ये शब्द निकले थे कि १४) १५) और १६) रु० मण में हम गेहूं खरीदेंगे और ये भाव सरकार के होंगे और आपके ही मुख से आज ६५) रु० क्विन्टल के भाव निकल रहे हैं। यह क्यों ?

मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा आपके लिये शर्म की कोई चीज नहीं हो सकती। अगर आपको कुछ भी शर्म आती है तो राजस्थान की इस दो करोड़ जनता को भूखों मत मारो और इस कुर्सी को छोड़ कर चले जाओ।

आप अशान्त जनता और गरीब किसान की बात चलाकर पक्ष में प्रचार कर उसको तो देखना चाहते हो, और बाकी के लोगों को सस्ती चीजें मिलें इसकी व्यवस्था नहीं करना चाहते। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने इस महगाई को रोकने के लिए, व्यापारियों के गलत कदम पर ब्रेक लगाने के लिये बफर स्टाक खाद्यान्न का क्यों नहीं किया ? कई सदस्यों ने इनके लिये कहा था। कहा था कि बफर स्टॉक मेन्टेन किया जाय। बफर स्टॉक सरकार द्वारा बनाया जाय। महगाई को रोकने के लिए एक ट्रेडर के रूप में सरकार अगर दखल करती है इस रूप

(श्री भैरोंसिंह)

में तो हमें किसी को आपत्ति नहीं है। सरकार को इसके लिए अपना बफर स्टॉक मेन्टेन करना चाहिये ताकि अनाज के भाव बढ़ें तो उस बफर स्टॉक को रिलीज करके भावों को कन्ट्रोल किया जा सके। मैं कहता हूँ १४, १५ और १६ रुपये मन की बात छोड़ दें। अप्रेल के शुरु में ५५) रु० क्विन्टल गेहूं ओपन मार्केट में बिकता था। जिस समय यह मार्केट प्राइस थी उस समय उसके आधार पर भी अगर सरकार अनाज खरीद कर बफर स्टॉक मेन्टेन करती तो सभापति महोदय, आज इसकी आवश्यकता नहीं होती कि सफेद गेहूं का भाव आपको ६५), ६४ रु० और लाल गेहूं का भाव ५३) रु० तय करना पड़ता। पर आपने तो ज्यादा से ज्यादा से पेचीदगियां पैदा कीं।

इसके लिये आप यह कहते है कि राजस्थान का हमने गेहूं का जोन बनाया है। भारत सरकार ने बम्बई को, गुजरात को, और राजस्थान को गेहूं के लिये अलग से जोन माना है। आपने स्वीकार किया है है कि आपके यहां से कोर्स अनाज का निर्यात होता है आपने स्वीकार किया है कि आपके यहां गेहूं का आयात हुआ है। में पूछना चाहता हूं कि जिसका आयात होता है उस को आपने बाहर जाने दिया उसका निर्यात होने दिया तो इससे आपने जानबूझकर राजस्थान की सेवा की इस तरह जाने देकर या उसको कष्ट पहुंचाने की व्यवस्था की। आप यदि यह जानना चाहते है तो राजस्थान का स्टेपल फूड क्या है यह में बता देता हूं। जौ, चना, बाजरा, है, जवार है, मक्का है, यह राजस्थान का स्टेपल फूड है। आपमें ताकत थी तो आप भारत सरकार के पास जाते आप यह इन्सिस्ट करके ताकत के साथ उससे कहते कि राजस्थान में गेहूं का आयात होता है, राजस्थान से कोर्स अन्न का निर्यात होता है। हमें कोर्स अन्न का जोन बनाना चाहिये। आपने कोर्स अन्न के जाने की बात नहीं कीं। आपने गेहूं के जाने की बात स्वीकार कर ली। परिणाम इसका क्या निकला ?

बम्बई का सेपरेट जोन बनाया गया जिस समय यह बना उसके एक महीने बाद वहां १६०) रु० क्विन्टल गेहूं बिका और गुजरात में १०५) रु० क्विन्टल बिका और राजस्थान में उस समय ५५) रु० क्विन्टल का भाव था। ५५) रु० क्विन्टल राजस्थान में हो और उसके पड़ोसी राज्यों में १०५ बिके और उसके दूसरे पड़ौसी राज्य में १६०) रु० में बिके तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि राजस्थान का गेहूं वहां जाय स्मर्गलिंग के द्वारा और राजस्थान की भ्रष्ट मशीनरी कोई उस स्मलिंग को नहीं रोक सकती। हमारे यहां इस स्मगलिंग के सेन्टर हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, कोटा और गंगानगर। ये कुछ ऐसे पड़ौसी जिले हैं जिन के द्वारा स्मर्गलिंग रात दिन होता है। उस को आप की सरकार की यह भ्रष्ट मशीनरी रोक नहीं सकती। आपने यह जोन्स की व्यवस्था की है। कुछ तात्कालीक लाभ के लिये। पर इसके साथ साथ क्या आप भारत सरकार से निवेदन नहीं कर सकते थे कि यदि जोन्स बना दिये और अड़ोस पड़ोस के राज्यों में इस तरह अनाज के भाव ऊंचे रहें, गेहूं की कीमतें ऊंची रही तो निश्चित रुप से स्मर्गलिंग होगा, जिसको रोका नहीं जा सकता।

Page No. 74

(श्री भैरोंसिंह)

मैं कहना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार यह तय करे कि हम यह कह दें कि हमें गेहूं के बारे में फुड जोन की आवश्यकता नहीं है। हमें कोर्स ग्रेन की आवश्यकता है। पर मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार पर उन तत्वों का प्रभाव है जो अमीर हैं, गेहूं खा सकते है, जो गेहूं के लिये खर्च कर सकते हैं। गरीबों का प्रभाव इस सरकार पर नहीं है। कोर्स ग्रेन गरीब को सस्ता मिले, इसकी इस सरकार को चिन्ता नहीं। पर अमीरों के खाने की वस्तु सस्ती मिले, बस एक मात्र इसकी चिन्ता है। इसलिये गेहूं का राजस्थान का जोन बनाकर आयात की पद्धति के द्वारा इस के भावों को रोक कर यहां के अन्न के भावों बढ़ाने में एक प्रकार की संकट की स्थिति पैदा की हैं कोई अन्न का निर्यात जारी रखकर उसके भावों को बढ़ाकर की संकट स्थिति गरीबों के लिये पैदा कर दी है। मैं इसके लिये कहना चाहूंगा कि अब सरकार यह कहे कि सारे घाटे को पूरा करने के लिये हम तो आयात करेंगे। इम्पोर्टेड व्हीट मिलता है पर खाद्य मन्त्रीजी को यह बताने में शर्म आती है कि बाकी प्रदेशों में आयत किया हुआ कितना मिलता है और राजस्थान को कितना मिलता है। पर हमारी सरकार यह नही कह सकती। क्यों नही कह सकती ? इसकी सीधी मिसाल एक हमारे सामने है।

जैसे चीनी के आयात में मध्यप्रदेश, गुजरात, पंजाब बराबर अपनी जनसंख्या के अनुपात से चीनी ले जाते है और उतनी ही जनसंख्या होते हुए भी राजस्थान को कम मिलती है। दूसरे प्रान्त वाले राजस्थान से ज्यादा चीनी लेते हैं जनसंख्या के अनुपात से। इसी प्रकार से ये बाकी के प्रदेश राजस्थान सरकार के मुकाबले में भारत सरकार पर ज्यादा दबाव डालकर इम्पोर्टेड व्हीट भी ले जाते हैं।

पर हमारी यह सरकार इम्पोर्टेड व्हीट उनके बराबर लेने के लिये दबाव नहीं डाल सकती। इसी का परिणाम निकलता है कि जहां पांच लाख टन की आवश्यता है वहां हमें मिलता है केवल ·८३ लाख। और साथ साथ आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारी डिमाण्ड है ५।। लाख की और हमें मिलता है इसके विपरीत केवल ·८३ लाख टन।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह स्टेट की मांग के अनुसार तो सेन्टर ने नहीं दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको ज्यादा मालूम है।

श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा : ये फिगर्स आपने कहां से निकाले ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सप्लीमेन्टरी बजट में है। पान खाने से काम नहीं चलता है।

श्री भैरोंसिंह : आपने और मैंने बैठकर रात को निकाले थे ये आंकड़े। यहां बैठकर अब क्या पूछते हो ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह गठबन्धन का पता लग गया। यह गठबन्धन कब से चल रहा है ?

श्री भैरोंसिंह : यह सारी समस्या का समाधान करने के लिये सरकार ने क्या किया ? जनवरी से लेकर अब तक सरकार के कितने आॅर्डर निकले है उनको तरतीब वार मैं सदन के सामने रखता हूं । पहले जनवरी में नोटिफिकेशन निकला गजट में कि हम कुछ मण्डियों में अनाज का क्रय विक्रय रेगलेट करना चाहते हैं और इसके लिये कमेटीयां भी बनाई । इसके बाद में तीन जनवरी, ६४ को नोटिफिकेन यह हुआ । इस के बाद व्हीट जोन बने । फिर फूड ग्रेन लाइसेंसिंग आॅर्डर आया । इसमें फिर तीन अमेन्डमेन्टस आये । इसके बाद में इन्टर डिस्ट्रक्ट मूवमेंन्ट को रोका गया । ७ मई को इसे वापिस लिया गया इस इन्टर डिस्ट्रिक्ट मूवमेन्ट के आर्डर को । इसके बाद कोर्स अन्न बाहर न जा सके इसका १८ जून को आदेश दिया । नोटिफिकेशन जारी किया गया और तीन जुलाई को इस नोटिफिकेशन को वापिस ले लिया । इस सरकार के जितने आदेश होते हैं, बदकिस्मती यह है कि ये टिकते नहीं ।

आप शुरू से देख लीजिये । जब से यह फूड ग्रेन लाइसेन्सिग आॅर्डर जारी हुआ उस समम से अब तक हमारी सरकार ने जितने भी आदेश दिये हैं उनमें से कोई भी २१ दिन से ज्यादा नहीं चला । एक कहावत हमारे यहां चली हुई है कि हाकिम चले जाते हैं, पर हुक्म नहीं जाते । पर हमारे यहां बदकिस्मती यह है कि हाकिम वैसे ही रहते हैं पर हुक्म चले जाते हैं । यह सरकार एक आदेश भी अपना ऐसा नहीं बता सकती जिसका कम्पलायेन्स जिसका एग्जीक्यूशन लगातार एक महीने तक किया हो। फूडग्रेन लाइसेन्सिग आॅर्डर जारी किया और इस अल्पकाल में ही इसमें तीन अमेन्ड-मेन्ट कर दिये । इसके बाद आपने इन्टर डिस्ट्रिक्ट मूवमेन्ट को रोका, पर उसे भी सात दिन के बाद वापिस ले लिया । राजस्थान से कोर्स ग्रेन के निर्यात को रोकने के लिये आपने १८ जून को आॅर्डर निकाला और तीन जुलाई को वापिस ले लिया । ये आपके इस तरह के आॅर्डर, यह आपकी ढिलमिल नीति यह आपकी हुक्म बदलते रहने की वृत्ति हमारे दिमागों में भ्रम पैदा करती हैं और जनता में पैनिक क्रीएट करती हैं । फिर ऊपर से यह भी कहने में शर्म महसूस नहीं करने कि इस कठिन समस्या का आगामी दो माह तक कोई समाधान नहीं हो सकेगा । यह साबित करता है कि इस सरकार ने इस सारी स्थिति की गम्भीरता को नहीं पहचाना है और केवल इस प्रकार से रूटीन कोर्स में मानो जैसे यह खाद्य की स्थिति पैदा होगई है, फाइलों के आॅर्डरों से ही इसका मुकाबला करने की तैयारी मात्र दिखा रहे हैं ।

अभी दो आदेश और निकाले कि एक उत्पादन कर्त्ता ५० क्विन्टल और अन्य व्यक्ति २५ क्विन्टल से ज्यादा अपने पास स्टॉक नहीं रख सकते । इसके बाद में दूसरा आॅर्डर जो निकाला उसमें भाव तय किये ६४ और ५३ रुपये के । अब इन सारी चीजों से व्यापारियों में कन्फ्यूजन हुआ, उत्पादनकर्त्ता के दिमाग में कन्फ्यूजन हुआ । उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सभापति महोदय, हमारी सरकार ने एक पर्चा निकाला । यह पर्चा हिन्दी में निकाला । मैं समझता हूं कि यदि पर्चे के ऊपर सारी बातो का स्पष्टीकरण किया जाये— कोई आपत्ति नहीं हो सकती लेकिन स्पष्टीकरण इस ढंग से किया गया कि अंग्रेजी का और हिन्दी

(श्री भैरोंसिंह)

का अनुवाद अंग्रेजी के हुक्म और हिन्दी के इस ट्रान्सलेशन को दोनो को एक साथ पढ़ा जाये तो अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भी उसको ठीक तरह से समझ नहीं सकता और उसके दिमाग में भी कन्फ्यूजन रहेगा और वह कन्फ्यूजन निकल नहीं सकता। लेकिन सरकार यह चाहती ही थी कि हमें लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन करना है और इसकी जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर नहीं ली। किसी भी दिन जाकर नहीं कह सकते हैं कि पर्चा उस तारीख का है। कहने का मतलब यह है कि इसके ऊपर किसी तरह की तारीख नहीं दी गई कि किस तारीख को यह पर्चा निकाला है। तारीख नहीं दिये जाने का कारण यही है कि कन्फ्यूजन को लेकर हमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सके। अगर आज की स्थिति में इसको पढ़ें तो आपको सब बातें अपने आपमें स्पष्ट रूप से सामने आ जायेंगी। अब ऐसी स्थिति में फूड ग्रेन्स लाइसेंसिग ऑर्डर को देखें....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पर्चे में क्या लिखा है ?

श्री भैरोंसिंह : आप पैसे खर्च करिये और पर्चा पढ़िये।

फूड ग्रेन्स लाइसेंसिग आर्डर का २१ तारीख का नोटिफिकेशन है उसको १ मार्च से एन्फोर्स करना चाहते हैं, १८ मार्च को हमने पब्लिकेशन कराया और फिर १ अप्रेल के लिए हमने पोस्टपोन कर दिया। उसमें तीन अमेन्डमेन्ट्स आ गये। अब उनका प्रभाव कम पड़ता है। राजस्थान के खाद्य मंत्री जी और राजस्थान के मुख्य मंत्री जी दोनों इसी सदन में १० तारीख को यह कह कर गये थे कि हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं है, हम चट्टान की तरह खड़े हैं, हम अडिग हैं और हर परिस्थिति का मुकाबिला करने के लिए तैयार हैं। यहीं पर उनको सदन के माननीय सदस्यों ने कहा कि आपका यह फूड ग्रेन्स लाइसेंसिग ऑर्डर डिफेक्टिव है और यह अननेसेसरी हार्डशिप क्रियेट करेगा, व्यापार के जो नेचुरल चैनल्स हैं उनको रोकेगा और अनाज जो किसानों के पास से निकलकर मण्डियों में आना चाहिए वह मण्डियों में नहीं आयेगी, यह एक जबरदस्त पेनिक क्रियेट करेगा। इसके अलावा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह यह बतायें कि जिस समय यहां फूड ग्रेन्स लाइसेंसिग ऑर्डर आया उसमें सिक्योरिटी का एक प्रावधान था और हमने उसी समय कहा था कि इसको हटा दिया जाये और यदि हटाया नहीं जाता है तो इसमें कमी की जाये। लेकिन उस समय मन्त्री महोदय ने इस बात को नहीं माना और उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं कि १० तारीख के बाद कैसे कमी हो गई और १० तारीख को कमी क्यों नहीं हो सकती थी ? कैसे आपको सूचना आ गयी, कैसे आपको एहलान हो गया, किसने कह दिया कि सिक्योरिटी को कम किया जाये ? यदि आपको यह सिक्योरिटी का अमाऊन्ट कम ही करना था तो इस सदन में उसके लिये आप कहते। हमारे यहां राजस्थान में सिक्योरिटी का अननेसेसरी प्रॉबीजन रख दिया गया। यह सिक्योरिटी का प्रॉवीज़न पैसे के हिसाब से कोई मेटिरियल नहीं है लेकिन सम्मान की दृष्टि से यह मैटिरियल अवश्य है। उस समय इसको नहीं हटाया गया और बाद में

(श्री भैरोंसिंह)

धीरे धीरे आपने इसमें दो अमेन्डमेन्ट्स किये। फर्स्ट और सेकिण्ड दोनों में उस सिक्योरिटी के मनी को हटाने की व्यवस्था की। इसके साथ ही साथ सभापति महोदय, मै यह भी कहना चाहूंगा कि यह सब कुछ क्यों हुआ।

फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग आॅर्डर में जो फर्स्ट अमेन्डमेंट आया उसमें हमारी सरकार ने एक और व्यवस्था की है एग्जम्पशन की कुछ लोगों के लिए ...

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उदासीन).

कुछ लोगों को और कुछ संस्थाओं को एग्जेम्प्ट करने के लिये आपने अमेन्डमेन्ट के द्वारा व्यवस्था की। इससे क्रय विक्रय संघ के ऊपर इसका असर नहीं होगा। कौनसी ऐसी संस्थायें होंगी, कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके लिए आपने एग्जेम्पशन की व्यवस्था की है। इसके लिए आपने लोगों के मन में एक अट्रेक्शन पैदा कर दिया कि जो हमको खुश रखेगा, जो सरकार को खुश रखेगा तो हम एग्जेम्हशन कर सकते हैं जो क्लॉज बिलकुल अननेसेसरी था उसको आपने इसके अन्दर इनकारपोरेट करके लोगों के सामने एक चक्करदार स्थिति पैदा कर दी कि सरकार को खुश रखो और एग्जेम्पशन लो। जो गांव के कच्चे आड़तिये हैं और गांव के छोटे व्यापारी हैं मैं उनका विरोध नहीं करता। लेकिन जिस समय आपने फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग आॅर्डर जारी किया यदि उस समय लागू कर देते तो कच्चे आड़तियों की मार्फत यह अनाज जो मण्डियों में नहीं आया, कहीं बाहर रह गया, लोगों ने बाहर ही स्टॉक बना लिया—यह स्थिति पैदा नहीं होती और अनाज मण्डियों में आता। इसकी असफलता को हमारी सरकार ने महसूस किया है। पहले यह कहते थे कि व्यापारी होर्डर हैं। अब इसके लिए हमारी सरकार ने यह किया है कि व्यापारी और उत्पादन कर्त्ता और अन्य यह लोग होर्डिंग नहीं कर सकते और इसके लिए ५० और २५ क्विन्टल तक फिक्स कर दिया है। आपको यह मजबूर होकर क्यों कहना पड़ा? आपकी इन गलत नीतियों ने, आपके इस फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिंग आॅर्डर ने, आपके भाव निर्धारित करने के तरीके ने व्यापारी और किसानों के दिमाग में जो कि अब तक एक दूसरे के विरोध में थे आपने दोनों को ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया और किसान महसूस करने लगा कि व्यापारियों से तो ५५ और ६० रुपये पर गेहूँ की कीमत लेंगे और यदि सरकार आगयी तो १४-१५ और १६ रुपये मन के हिसाब से गेहूं की कीमत मिलेगी। इसका नतीजा यह हुआ कि किसान और व्यापारी मिले उनका मिलना स्वाभाविक भी था। किसान अपने उत्पादन की पूरी कीमत लेना चाहता है चाहे वह कीमत उसको व्यापारी दे या उपभोक्ता दे। जब किसान को पूरी कीमत नहीं मिली तो अलग अलग प्रकार से अनाज मण्डियों में नहीं आ सका। उधर आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यवस्था की कि इनको दो महीने की तनख्वाह एडवान्स में मिल सकती है। यह क्यों किया था? शायद इस भय से कि कहीं अनाज के भाव अधिक न हो जायें और लोग एक साथ अनाज खरीद लें। जहां तक सरकारी मुलाजिमों को २ महीने का एडवान्स दिया जाये मैं इसका विरोध नहीं करता। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई है? इसकी

(श्री भैरोंसिंह)

प्रतिक्रिया यह हुई है कि जनता यह महसूस करने लगी कि अब आ जाकर अनाज मिलने वाला नहीं है, सस्ता होने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को २ महीने की तनख्वाह एडवान्स देकर अनाज खरीदने के लिये प्रेरित किया है इसका मतलब यह है कि हमारे यहां अनाज सस्ता नहीं होगा और पूरी मात्रा में अनाज नहीं आयेगा और इस कारण आप जयपुर में देखें। जिस जयपुर शहर में ४०-५० हजार मन गल्ला रोज आता था उसी जयपुर शहर में ४-५ हजार मन के बीच में गल्ला आने लगा है। इधर लोगों की खरीद बढ़ी पेनिक बढ़ा और डिमांड बढ़ी और डिमाण्ड बढ़ने का परिणाम यह है कि जयपुर के बाजार में ५५ रुपये बिकने वाला अनाज ६५ रुपये तक आगया।

आपने एक नई व्यवस्था भी की कि आपने कुछ जोन्स बनाये, कुछ केटेगरीज बनाई कि किस मण्डी का व्यापारी किस मण्डी में जा सकता है और किस कैटेगरी की मण्डी में किस प्रकार का व्यापारी नही जा सकता आपने तीन जोन बनाये-एक न्यूट्रल जोन, एक डेफिसिट जोन और एक सरप्लस जोन। इस प्रकार से आपने तीन जोन बनाये। पहले न्यूट्रल जोन में उदयपुर डिवीजन के भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा। सरप्लस जोन में अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, झालावाड, गंगानगर, जालोर, सिरोही। डेफिसिट जोन में जयपुर, झुंझुनु, चूरू, नागौर, अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर जोधपुर, पाली और सीकर हैं। अब इसके अन्दर में आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर की रिपोर्ट और आपकी सरकार के आंकड़ों के आधार पर क्या आपने जांच की है कि आपने इसके लिए क्या आधार बनाया है? इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने जयपुर को डेफिसिट जोन में माना तो यह किस आधार पर माना? जयपुर के अन्दर बाजरा सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे ज्यादा होता है। इसको आपने कैसे डेफिसिट एरिया में लिया? जयपुर को जब डेफिसिट एरिया में लिया तो जयपुर का बिजनेस खत्म हो गया। यहां का असर निश्चित रूप से सारे राजस्थान पर पड़ता है। लेकिन आपकी गलत नीतियों के कारण और यह कहना ठीक होगा कि जयपुर के साथ अन्याय करने के लिए आपने जयपुर को डेफिसिट की केटेगरी में लाये ताकि जयपुर का बिजनेस ही खत्म हो जाये। आपको चिन्ता नहीं थी कि जयपुर का असर सारे राजस्थान पर क्या पड़ने वाला है। इसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग सरप्लस एरिया में थे इन्होंने स्मगलिंग करके जो भी डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट के नजदीक आते थे वहां अनाज लाये और अनाज बेचा। मैं तो कहना चाहूंगा कि आज के सख्त कानून के बावजूद गलत नीतियां जो प्रतिपादित नहीं हो सकीं इसके आधार पर जितने भी ईमानदार व्यापारी थे वह तो भूखों मर गए और जिन्होंने गलत तरीकों से सरकार को भ्रष्ट करके लाभ कमाया वह इतने मालदार हो गए कि दस वर्षों में उन्हें किसी प्रकार से इतना लाभ नहीं मिल सकता था। उनके खिलाफ क्यों नहीं हुआ एक्शन। लेकिन इन सबका परिणाम यह हुआ कि जितने भी ईमानदार व्यापारी थे वे ईमानदार व्यापारी धीरे २ समाप्त हो गए।

(श्री भैरोंसिंह)

अब हमारी सरकार ने भाव तय किये। जरा इसका भी नमूना देखिये। हमारी सरकार ने ६४ रुपये का भाव तय किया। उसके तीन दिन पहले २५-७-६४ को जयपुर के व्यापारियों ने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने तय किया ६५ रु० का भाव इन्क्लूडिंग सैल्स टैक्स और सरकार ने ६४ रु० एक्सक्लूडिंग सैल्स टैक्स। ६४ रु० पर सैल्स टैक्स लेते हैं तो कितना आयेगा। ६४ पैसे पर किलोग्राम है तो उस पर १.२८ नया पैसा आता है। आप क्या यह समझते हैं कि जो बेचने वाला है वह १. २८ नया पैसा लेगा और दो पैसा नहीं लेगा.......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे माफ करें, मैं स्पष्ट होने के लिए जानना चाहता था कि जयपुर में जो भाव एनाउन्स किये गये वह होलसेल के हैं या रिटेल के ?

श्री भैरोंसिंह : रिटेल के।

यह उनका प्रतिज्ञापत्र है वह मैं आपको सुना देता हूँ। जो प्रतिज्ञापत्र लेकर उन्होंने धर्म की सौगन्ध खाई है वह मैं आपको बता रहा हूँ।

अब सवाल यह आता है कि आपने जो भाव तय किये हैं वे सैल्स टैक्स को एक्सक्लूड करने के बाद किये हैं और जो व्यापारियों ने भाव तय किये हैं वह सैल्स टैक्स इन्क्लूड करके किये हैं। आपने लाल गेहूं के भाव ५३ रु० फिक्स किये हैं और उन्होंने ५५ रु० फिक्स किये हैं तो ५३ रु० पर सैल्स टैक्स लगाया जाय तो जो व्यापारियों ने तय किया है उसी आधार पर सरकारी भाव तय होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप इन सारी स्थितियों के अन्दर जायं। जोधपुर के अन्दर जो गल्ले के भाव व्यापारियों ने तय किये हैं वह ७० रु० के अन्दर आते हैं। जोधपुर में ७० रु० का भाव रहता है और जयपुर में ६५ रु० का भाव रहता है उसमें अगर ५ रुपये का मार्जन रहेगा तो मान कर चलिये कि लोग स्मगलिंग करेंगे।

आज चने की पैदावार पंजाब में कम है। पंजाब और राजस्थान के भावों में जो अन्तर है उस अन्तर को लेकर गंगानगर से पंजाब के अन्दर चने का स्मगलिंग होता है। एक ट्रक के अन्दर आप हिसाब लगाकर देख लें तो उन भावों के हिसाब से एक ट्रक का स्मगलिंग होगा तो एक ट्रक में १५००) रु० से २५००) रु० तक का मुनाफा होता है। जब इतना मुनाफा स्मगलिंग में आसानी से मिलता है तो कौन व्यक्ति होगा कि वह स्मगलिंग न करे। ऐसी स्थिति में यह फूड ग्रेन्स आॅर्डर की आपने मखौल की है, जनता के साथ धोखा किया है, व्यापारियों को परेशान किया है। न व्यापारियों को जीवित छोड़ा है, न जनता को जीवित छोड़ा है और न सरकार जीवित रहने की स्थिति में रही है। तीनों मरते जा रहे हैं। किसान भी परेशान हो रहा है। यह प्रश्न मैं सरकार से करना चाहता हूं कि इस फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग आॅर्डर को सीमित बनायें। यदि सरकार मार्जिन आॅफ प्राॅफिट तय करना चाहती है वह चीजें तय करके बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको लागू करे जिसमें न व्यापारियों का लिहाज करे, न उपभोक्ताओं का लिहाज करे न उत्पादनकर्ताओं का लिहाज करे। गल्ले की पोजीशन बताने के लिए

(श्री भैरोंसिंह)

स्टॉक की पोजीशन लेनी चाहिए मैं इसका विरोध नहीं करता। व्यापारी लाइसेन्स करायें मैं उसका विरोध नहीं करता। व्यापारी २५ दिन में स्टेटमेंट देकर अपने स्टॉक का डिक्लेरेशन दें मैं उसका विरोध नहीं करता। लेकिन आज इस जगह से अनाज जा सकता है और उस जगह से नहीं जा सकता है, यह जो चीजें पैदा की है उनका परिणाम भयंकर हुआ है। मुझे पता है कि जयपुर में बादीकुई से अनाज नहीं आने दिया, जयपुर शहर में दौसा से अनाज नहीं आने दिया क्योंकि सरकार ने कह दिया कि हमारा इन्टेन्शन अनाज खरीदने का है। उस इन्टेन्शन को एक्जीक्यूट करने के लिए तहसीलदारों को लाइसेंसिंग आंथोरिटी बना दिया। जब तहसीलदारों को पता लगा कि अनाज खरीदने का सरकार का इन्टेन्शन है और हमारे लिए सीमा निर्धारित की जायगी कि अमुक अमुक तहसील में तहसीलदार को इतना अनाज खरीदना चाहिए तो अपनी तहसील में व्यापारियों पर सख्ती करें, कन्ट्रोल करें और अपनी तहसील के अनाज को बाहर नहीं जाने दें। इधर तो तहसील में अनाज बन्द रहा और यहां वह अनाज नहीं पहुंचा तो उसका स्वाभाविक परिणाम निकला कि अनाज के भाव बढ़ गये।

दूसरा आर्डर आता है, सभापति महोदया, हमारी सरकार ने इन्टर-डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट रोका उसके द्वारा। हमारी सरकार ने २६ अप्रेल को उसको रोक दिया। २६ अप्रेल को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कलेक्टर्स को आदेश दिया। अब वह दोनों बातें मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है २५-४-६४ को और नोटिफिकेशन इस बात का निकाला हैं कि इन्टर डिस्ट्रिट मूवमेंट को रोका जाय, बार्ली और ग्राम और ग्राम प्रोडक्ट्स का। इन तीन चीजों के बाद फिर दूसरा ऑर्डर निकाला जिसमें मेज और मेज प्रोडक्ट्स को भी रोका जाय। वह भी सरकार ने आदेश दिया। इस आदेश की तामील करने वाले कौन? जिलाधीश महोदय। उन सारे जिलाधीशों ने नोटिफिकेशन इश्यू किया है। मैंने एक एक नोटिफिकेशन को देखा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने जो आदेश २४ तारीख को दिया तो २४ तारीख का नोटिफिकेशन पाली डिस्ट्रिक्ट में २६ तारीख को जारी किया गया और गंगानगर कलेक्टर ने उसको ४ मई को जारी किया। २४ अप्रैल से लेकर ४ मई तक १० दिन किसलिए निकाले जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे इमीजियेट नोटिफिकेशन जिसको सरकार २४ तारीख को जारी कर रही हैं, २६ को बाकी कलेक्टर्स ने जारी किया गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ने ४ मई को क्यों जारी किया? इसी प्रकार से झालावाड कलेक्टर ने ५ मई को, जालोर कलेक्टर ने १ मई को जारी किया। कुछ कलेक्टर्स ने २८ को और कुछ कलेक्टर्स ने २९ को इश्यू किया है उस नोटिफिकेशन में यह लिखा है कि सरकार से वायरलेस से सूचना मिली है कि इस प्रकार का नोटिफिकेशन इश्यू किया जाय। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने कलेक्टर्स को २४, २५ या २६ को वायरलेस किया होगा, लेकिन यह नोटिफिकेशन ५ मई तक क्यों निकला? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

(श्री भैरोंसिंह)

इसमें यह हुआ कि ७ मई को सरकार ने दूसरा आॅर्डर जारी किया है। उसके द्वारा उसने अपने पहले वाले हुक्म को वापिस ले लिया। गंगानगर जिले में ५ मई से कानून लागू किया और ७ मई को खत्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि आपका वह नोटिफिकेशन पहले वाला बिल्कुल ही इन्इफेक्टिव रहा, किसी प्रकार से वह फोर्स में नहीं ला सके। मैं पूछना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन के मसले को लेकर आपको निश्चित रूप से इस बात की इन्क्वायरी करना चाहिए कि किस २ कलेक्टर ने किस किस गलती के कारण इस प्रकार से नोटिफिकेशन को टाईम पर इश्यु नहीं कर करप्शन को बढ़ावा दिया ?

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : सभापति महोदया, अभी की खबर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अभी अपनी कॉन्स्टीटुएन्सी की ओर से कलेक्टर साहब के पास जाकर आया हूं। हमारे वहां गल्ला स्टॉक में है। मैं नाम बताने को तैयार हूं। वहां से गल्ला पंजाब को जा रहा है तो कलेक्टर साहब ने कहा कि हमारे पास ऐसे आॅर्डर नहीं हैं जिससे कि जो भाव फिक्स्ड किये गये हैं उन भावों पर उसको बिकवायें और उसको रोकें। तो मैं आपको जरिये यह कहना चाहता हूँ कि इसका जब तक प्रबन्ध नहीं होगा, अभी तो २५ पर्सेन्ट ही गल्ला बाहर जा रहा है, तब तक सारा जाता रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि सरकार के आदेश २४ अप्रेल को जारी हुए। ५ मई को यह आदेश पब्लिश हुए। ७ मई को खत्म करने के आदेश हुए और वह खत्म करने के आदेश १६ मई को नोटिफाई किये गये। कोई ने १४ मई को किया, कोई ने १२ मई को किया, कोई के ने ११ मई को किया, बाकी के लोगों ने ८ मई को किया। जो ७ मई को नोटिफाइड होकर खत्म हो जाता है लागू करने में देरी, खत्म करने में देरी। इसका परिणाम यह हुआ कि कलेक्टर्स ने गवर्नमेंट के आदेशों का कम्प्लायेन्स नहीं किया, क्योंकि व्यापारियों से मिल गये, निर्यात करने वालों से मिल गये, जिनके पास माल पड़ा हुआ है उनसे मिल गये, जो तस्कर व्यापार के जरिये अनाज निकालते हैं उनसे मिल गये। आप जांच करना चाहें तो कर सकते हैं लोगों ने किया है इस प्रकार से मिलकर।

नोटिफिकेशन कितना गलत निकलता है ? इसके अंदर जो अप्रेल का निकला है सरकार का आॅर्डर था ग्राम, ग्राम प्रोडक्ट्स और बारले के लिये, भरतपुर के कलेक्टर ने तो यहां तक सावधानी बरती है कि ग्राम, ग्राम प्रोडक्ट्स, बारले और बारले प्रोडक्ट्स के बारे में भी नोटिफिकेशन में लिख दिया जब कि आॅर्डर में बारले प्रोडक्ट्स के बारे में कहीं नहीं लिखा था। यह नोटिफिकेशन कितना गलत था भाषा की दृष्टि से, डेट्स की दृष्टि से, नम्बर की दृष्टि से सबकी अलग-अलग जांच करें तो एक एक दिन लग जाय। इसका परिणाम यह हुआ कि कोटा के आॅर्डर को लेकर कलेक्टर के खिलाफ वहां के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स जज को इतने स्ट्रिक्चर्स पास करने पड़े कि यह आदमी कानून से इगनोरेन्ट है, कानून की

(श्री भैरोंसिंह)

काम्प्लीकेशन्स क्या हैं इसकी इनको जानकारी नहीं है। यह मामला कहां तक चल रहा है इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा।

हमारे राजस्थान में कोर्स ग्रेन निकासी ऑर्डर निकला। १८ जून को ८ कलेक्टर्स ने निकाला, १९ को २ ने निकाला, २० को १ ने निकाला, २१ को १ ने जारी किया और २२ को २ ने निकाला और बाकी जिलों में १८ को जारी कर दिया यह इतना वेरिएशन क्यों रहा ? सरकार के आदेश हो जायं, बाकी चीजें कम्पलीट हो जायं कलेक्टर को आदेश दे दिया फिर भी ऑर्डर निकलने में इतना वेरिएशन यह साबित करता है कि सरकार चाहे कुछ भी चाहे लेकिन सरकारी अधिकारी कोऑपरेशन नहीं करना चाहते तो उसका पालन नहीं करेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि लोगों को भ्रम होगा, निर्यात हुआ जिसको रोकना चाहते थे वह नहीं रुका।

इसी प्रकार पब्लिसिटी ११ ने १ जून को की कुछ ने २ जून को की, कुछ ने ५ जून को की, १ ने २५ जून को की, १ ने २७ जून को की और एक डिस्ट्रिक्ट में ६ जुलाई को पब्लिकेशन हुआ। अब आप अन्दाज लगा सकते हैं कि आपने १८ को जो ऑर्डर किया वह ६ जुलाई को पब्लिश हुआ और ६ जुलाई को आपने उस ऑर्डर को खत्म करने का आदेश दिया। चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स २९ तारीख को हुई थी उसमें राजस्थान सरकार ने जो नीति बनाई थी उसको भारत सरकार ने एप्रूव नहीं किया इसलिये वह ऑर्डर राजस्थान सरकार को वापिस लेना पड़ा। एक कलेक्टर ने ६ जुलाई को आदेश पब्लिश कराया और उसी दिन वापिस लेना पड़ा।

इसी तरह से विथड्रावल के ऑर्डर का न तो एक दिन में पब्लिकेशन हुआ और न विथड्राअल का नोटिफिकेशन जारी हुआ और न इस प्रकार का नोटिस गजट में पब्लिश किया गया। यह सब आज बताता है कि सरकार की इच्छा होते हुए भी सरकार अयोग्य है। सरकार अपने अधिकारियों पर कन्ट्रोल नहीं कर सकती, उनको दबाकर हुक्म को एग्जीक्यूट सरकार नहीं करा सकती इसलिये सरकार के अधिकारी जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से करते हैं।

मैं मुख्य मन्त्रीजी को याद दिलाना चाहूंगा कि २६ फरवरी को आपने यहां पर जो भाषण दिया था उसको देखिये। हमने इस बात की मांग की थी कि राजस्थान से कोर्स ग्रेन की निकासी नहीं होनी चाहिये। फूड जोन व्हीट का बनाया वह नहीं बनाकर कोर्स ग्रेन का बनाइये। आपने यह कह कर इन्कार किया कि राजस्थान अकेला नहीं है। अखिल भारतीय नीति निर्धारित होती है। आपने यह कह कर लोगों की मांग जो थी कि कोर्स ग्रेन की निकासी बंद की जाय, सब का मुंह बन्द किया कि हम किसी प्रकार का आदेश नहीं दे सकते, भारत सरकार का हुक्म मानना पड़ेगा। मैं आपसे और खाद्य मन्त्रीजी से, जिनका भाषण भी आपकी ही तरह हुआ था, उनसे पूछना चाहता हूँ कि १८ जून को जब कोर्स ग्रेन की निकासी का आदेश दिया तो क्या आपने उस समय भारत सरकार से इसके लिये आदेश लिया था

(श्री भैरोंसिंह)

यदि आपने १८ जून का आदेश भारत सरकार को बिना पूछे किया तो वही आदेश पहले जब हमने मांग की थी उस समय करते तो खाद्य स्थिति विकट नहीं बनती। लेकिन आपने जान बूझ कर लोगों को गुमराह करने के लिये विधान सभा की बात न मानकर पहले यह बहाना किया कि भारत सरकार की बिना आज्ञा के नहीं कर सकते। फिर आपने उस आॅर्डर को वापिस लिया क्योंकि भारत सरकार ने मजबूर किया वापिस लेने के लिये।

आपने इन्टर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट बनाया। उसको क्यों बन्द किया? उसका कारण बताती है हमारी सरकार अजीबो गरीब। चना और जौ के निर्यात के लिये ७ मई को आपने एक आदेश निकाला Regulation of Gram, Gram Products and Barley order. वह आदेश जारी किया ७ मई को उसमें हमारी सरकार ने व्यवस्था की कि कोई आदमी राजस्थान के बाहर इन चीजों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन अपने स्टॉक का ३३ पर्सेन्ट जौ और २५ पर्सेन्ट चना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आप उसकी फलावट करके देख लें। आज एक आदमी है जिसके पास आर्डर हुआ उस समय स्टॉक हैं, उस दिन उसके पास जो स्टॉक है उसका ३३ पर्सेन्ट जौ और २५ पर्सेन्ट चने की निकासी कर सकता है। उसी आॅर्डर में करेन्ट परचेजेज का ३३ पर्सेन्ट जौ और १५ परसेन्ट चने की भी निकासी कर सकता है। अब आप अन्दाज लगाइये। एक आदमी के पास १०० मन जौ है या चना है। आपने हुक्म दिया कि उसका ३३ पर्सेन्ट की निकासी कर दो, इतने की उसने निकासी करदी और बाकी ६७ मण उसने राजस्थान के किसी व्यापारी को दे दिया। अब आपके आदेश के अनुसार जिसने ६७ मण खरीदा वह भी उसका ३३ पर्सेंट बाहर भेज सकता है तो इसका मतलब यह हुआ कि २४ मण जो फिर बाहर चला गया। जो उसके पास बचा उसको उसने तीसरे आदमी को बेचा उसने फिर ३३ या २५ पर्सेन्ट बाहर भेज दिया। इस प्रकार से जो अनाज हमारे यहां रहना चाहिये था वह धीरे धीरे ३३ पर्सेन्ट और २५ परसेन्ट की छूट देने के कारण राजस्थान के बाहर चला गया और जो आदेश आपने जारी किया उसका महत्व नहीं रहा। बल्कि आपने लूटने का आदेश दिया। इस आदेश से सरकारी अधिकारी और कार्यकर्त्ता आॅफिसर, मैं सारे अधिकारियों का जिक्र नहीं करता, लेकिन जो अधिकारी अपना घर बनाना चाहते हैं उन अधिकारियों ने व्यापारियों को बरगलाया, व्यापारियों को लूटा, भाव बढ़ाने में मदद की और अन्तिम परिणाम क्या हुआ कि जितना ट्रान्जेक्शन हुआ वह रेकार्ड पर नहीं है जबानी है, एन्ट्री उसकी नहीं हुई। एन्ट्री होती है तो सैल्स टैक्स वालों को स्टेटमेन्ट देना पड़ता है, इन्कम टैक्स वालो को स्टेटमेन्ट देना पड़ता है और ग्रेन का लाइसेन्स जो देते हैं उनको स्टेटमेन्ट देना पड़ता है तो कौन आदमी ऐसा होगा जो चोरी करने की इच्छा करे और इन्कम टैक्स, सैल्स टैक्स वालो को स्टेटमेन्ट पेश करे। लोगों ने कहा कि इसके कम्पलायेन्स की आवश्यकता नही है हम कंपलायेन्स नहीं करें और जबानी जमा खर्च करें। इसको

(श्री भैरोंसिंह)

आप सही नहीं मानेंगे लेकिन अप्रेल से आज तक जो सैल्स टैक्स से सरकार को इन्कम हुई है उसका कम्पेरिजन पहले से करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी आमदनी जरूर घटी है। इन सब बातों का परिणाम यह निकलता है कि हमारी सरकार आज दूरदर्शिता के अभाव में, बाकी चीजों के अभाव में वास्तविक नीति क्या हो उसकी चिन्ता नहीं करती। सरकार को इस बात की चिन्ता है कि ज्यादा से ज्यादा आदेश किस प्रकार निकाले और उन आदेशों के जरिये सारी चीजें हमारी इच्छा के अनुसार हो जायं। मैं इस संबंध में सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार पहले एक बफर स्टॉक मेन्टेन करने की स्थिति में आनी चाहिये। यह कैसे करना है इसका एक हल है। लेकिन परचेज कैसे करें ? संभव है एक परिणाम यह होगा कि माल अन्डर ग्राउन्ड जा सकता है। लेकिन मैं एक व्यवस्था आपके सामने रखना चाहता हूँ। यदि सरकार गंभीरता से उस पर विचार करेगी तो हल संभव हो सकता है। हमारे गांवो में अनाज की कमी आती है तो लोग अनाज खरीदते नहीं हैं बाड़ी पर लेते हैं। सरकार भी गांवों में बाड़ी पर से अनाज ले, व्यापारियों से भी बाड़ी पर ले। बाड़ी के कारण अनाज का ट्रान्जेक्शन संभव हो सकेगा। रूपयों से तो लोग इसलिये नहीं देना चाहेंगे कि भाव घटने से नुक्सान हो सकता है लेकिन बाड़ी से देने को लोग तैयार हो सकते हैं। सरकार यदि इस प्रकार का वातावरण बनावे तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि काफी लोग सरकार को बाड़ी में देंगे और सरकार अपना बफर स्टॉक बनाने की स्थिति में होगी और अब भाव डाउन हो जायं तो खरीद कर जिन लोगों ने बाड़ी पर दिया है उन्हें वापिस दे देगी तो बहुत बड़ी प्रोबलम सॉल्व हो सकती है। इसके साथ साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि आज के इस अवसर पर जब अनाज के भाव बढ़ रहे हों, बढ़ते हुए अनाजों के ऊपर सैल्स टैक्स रहता है तो वह सैल्स टैक्स उस आदमी से लिया जाता है जो उपभोक्ता है। उसका उपभोक्ता पर असर पड़ता है। वह पहले ही कीमत ज्यादा दे रहा है और ज्यादा कीमत देने के कारण सैल्स टैक्स की सरकार को ज्यादा इन्कम होती है लेकिन जो खरीददार है उसके ऊपर ज्यादा भार होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार कम से कम यह सैल्स टैक्स अनाज के ऊपर से हटा दे।

इसके साथ ही मैं सरकारी मुलाजिमान की हालत के बारे में भी कहना चाहूंगा। जिस जिस प्रकार मंहगाई बढ़ती जा रही है, उसके साथ में जो मंहगाई भत्ता सरकार ने उनका बढ़ाया है वह पर्याप्त नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार मंहगाई भत्ता कितना ही बढ़ाये उससे उस मंहगाई को पूरा नहीं कर सकती। जिस गति से मंहगाई बढ़ रही है, उस गति से सरकार कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा सके—इसके लिए मैं सरकार को सक्षम नहीं मानता, वह सक्षम मालूम नहीं होती। इस लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय रेल्वे ने जिस प्रकार कर्मचारियों के लिए व्यवस्था की थी कि कंट्रोल्ड कॉमोडिटीज और बाकी की वे कॉमोडिटीज, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, की दुकानें खोली थीं—गेहूं, चीनी आदि की, जो टैक्स से फ्री थीं और भारत सरकार के टैक्सों से फ्री थीं। इस प्रकार की सरकारी कर्मचारियों के लिए

(श्री भैरोंसिंह)

दुकानें खुलवा दें तो उन दुकानों से सस्ती चीजें मिलेंगी और डिमाण्डस को पूरा करके मंहगाई को कम्पेन्सेट करेंगी बनिस्वत इसके कि आप दो रुपये, तीन रुपये उनकी तनख्वाहों में बढ़ा दें।

जहां तक स्मगलर्स, होर्डर्स और ब्लेक मार्केटियर्स का सवाल आता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस प्रकार की एक्यूट प्रॉब्लेम आई राजाओं के जमाने में उस समय राजाओं की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था कि जो स्मगलर्स को पकड़वायेगा, जो होर्डर्स की सूचना देगा जो ब्लेक मार्केटिअर्स की सूचना देगा उसको जब्त माल में से एक बटा छः हिस्सा दिया जायगा। मैं समझता हूँ कि सरकार कहती है कि होर्डर्स बहुत हैं, स्मगलर्स बहुत हैं और ब्लेक मार्केटिअर्स बहुत हैं लेकिन इसको सरकार अपने आंकड़ों से साबित नहीं कर सकी है। पिछली अप्रेल से लेकर इस जुलाई तक के लिए सरकार से पूछा जाय कि कितने स्मगलर्स, होर्डर्स और ब्लेक मारकेटिअर्स गिरफ्तार किये हैं तो उनकी संख्या नगण्य रहेगी। राजस्थान के अन्दर यह एक एक्यूट प्रॉब्लेम है। आप इस प्राब्लेम को देखें और इसकी तुलना में जो पकड़े गए हैं उनकी संख्या देखी जाय तो मालूम पड़ेगा कि वह नगण्य है। क्यों नगण्य है? मैं समझता हूँ कि नगण्य इसलिए है कि इनको रोकने के लिए आपने पब्लिक में इनीशियेटिव क्रियेट नहीं किया है। इसके लिए आवश्यक है कि आप कोई इनाम, इकराम और अन्य प्रकार से राहत देने की व्यवस्था करें। साथ ही साथ में कहना चाहूँगा कि आने वाली क्रॉप के समय आपको बफर स्टॉक बनाना है एक दृढ़ निश्चय के साथ तो सरकार को आगामी फसल के पहले पहले अनाज को खरीदने की तैयारी करना चाहिए। इस साल अनाज किस भाव पर अनाज आया है और आगामी फसल में अनाज किस भाव में आयेगा—इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको मेक्जिमम रेट और मिनीमम रेट तय कर लेनी चाहिए। मेग्जिमम रेट क्या हो सकती है और मिनीमम रेट क्या हो सकती है—यह सब बना कर अनाज खरीदने के लिए सरकार को तैयारी करनी चाहिए।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि यहां डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी का सवाल आया। जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी है वह बिल्कुल इनइफेक्टिव है। मुझे जयपुर के बारे में जानकारी है। यहां के जो कलेक्टर हैं, जब से वे आये हैं उन्होंने तीन मीटिंग बुलाई हैं। मैं कहना चाहता हूँ, सभापति महोदया, उन तीन मीटिंगों का असर जयपुर की फुड प्रॉब्लेम पर पड़ा है। उन मीटिंग्स में कमेटी के मेम्बरों को अपनी बात कहने का मौका मिला है। मुझे यह बात कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि जयपुर के कलेक्टर ने फुड प्रॉब्लेम के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी की रिकमन्डेशन्स को प्रेक्टिकल मान कर लागू किया है उससे जो इस जगह बुराई आने वाली थी वह रुकी है भले ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि बाकी के डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है? वहां की मीटिंग बुलाई है या नहीं? मैं जानता हूँ कि उनकी मीटिंग नहीं बुलाते हैं। इसके साथ ही राजस्थान लेवल पर आप फुड एडवाइजरी कमेटी का निर्माण क्यों नहीं करते हैं?

इसके साथ ही साथ मैं उत्पादन के सम्बन्ध में भी सजेशन देना चाहूँगा। उत्पादन

(श्री भैरोंसिंह)
में हमारे यहां जो कमी आई है उसका कारण यह है कि वाटर पोटेंशियेलिटी को पूरा यूटि-लाइज नहीं किया है। इसके साथ ही बहुत सी लैण्ड वैसे ही पड़ी है। जो कमान्डेड लैण्ड थी उसको अनकमाण्डेड लैण्ड का नाम लेकर अनकमान्डेड लैण्ड डिक्लेअर कर दिया है। पड़त जमीन पड़ी हुई है—राजस्थान कैनाल के एरिया में पड़ी है और बाकी की जगहों में पड़ी है। मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार और कुछ न करे तो एक टार्गेट डेट फिक्स कर दे कि उस तारीख के बाद एक बीघा भी पड़त जमीन नहीं रहेगी जिसको डिस्ट्रिब्यूट या अलॉट सरकार ने नहीं किया हो। मैं समझता हूँ कि जमीन और पड़त जमीन का उपयोग सरकार को युद्ध स्तर पर करना चाहिए ताकि सरकार यह क्लेम कर सके कि राजस्थान में एक बीघा भी जमीन ऐसी नहीं है जिसके ऊपर उत्पादन नहीं होता हो, उपयोग नहीं होता हो।

जब तक यह चीजें नहीं होंगी, मैं समझता हूँ, कि सरकार कितने ही नारे लगाये, कितने ही आंकड़े बताये, उसका कुछ लाभ नहीं होगा। बदकिस्मती है कि राज्य सरकार के खाद्य मन्त्री ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकारी आंकड़ों के बारे में कुछ समझते नहीं हैं। उनको जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान की सरकार आंकड़ेबाज़ है इसलिए राजस्थान के खाद्य मन्त्री भी आंकड़ेबाज़ होने चाहिए। लेकिन राजस्थान की सरकार आँकड़ेबाज़ है और सरकार के खाद्य मन्त्री लट्ठबाज़ हैं। इसका नतीजा यह निकलता है कि राजस्थान सरकार के आँकड़े शुरू से लेकर आखिर तक गलत चल रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करके एक दिन के लिए इस विषय पर डिबेट चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं वे किस प्रकार से गलत सिद्ध हो रहे हैं।

एक दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वह है चीनी के सम्बन्ध में। सभापति महोदया, चीनी का प्रश्न है, वह १९५९-६० और १९६०-६१ से चल रहा है। जिस समय चीनी का कन्ट्रोल हुआ उस समय राजस्थान को चीनी अलॉट हुई। वह चीनी का अलॉटमेंट हुआ तो जुलाई १९५९ से अगस्त १९६१ के समय में उस कन्ट्रोल के समय में खांडसारी और गुड़ के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं थी। इसका परिणाम यह हुआ कि १९६१ की फरवरी में शुगर का स्टॉक एक्युमुलेट हो गया। वह एक्युमुलेटेड स्टॉक १०९.६३ रुपये प्रति क्विन्टल लोगों ने परचेज किया और एक्युमुलेशन के कारण और चीनी की खरीद न होने के कारण १०४ प्रति क्विन्टल में बेचा। उसका परिणाम यह हुआ कि उस साल जितनी कन्ट्रोल चीनी आयात करना चाहिए थी वह की नहीं। आयात नहीं की तो नेचरली राजस्थान का जो कोटा था वह लेप्स हुआ। इस कोटे के बाद जब शुगर का कोटा आने को था तो हमारे खाद्य मन्त्री आंकड़े लेकर दिल्ली गये और आंकड़े भी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के लेकर गये और ये आँकड़े ले जाकर बताया कि राजस्थान के अन्दर वर्ष के अन्दर केवल साढ़े पांच हजार टन चीनी उठी है। उस साढ़े पाच हजार टन की तुलना में जो चीनी उठती है वह साधारणतया ११ हजार टन चीनी उठती है। तो उसकी तुलना में हमारे खाद्य मन्त्री ने भारत सरकार को आँकड़े दिये कि हमारे यहां साढ़े पांच

(श्री भैरोंसिंह)

हजार टन चीनी उठती है। लेकिन भारत सरकार ने कृपा करके ६ हजार टन कर दी। मैं पूछना चाहूँगा कि उन्होंने इस सम्बन्ध में यदि व्यापारियों से सलाह ली होती, और लोगों से सलाह ली होती तो वे आपको बता देते कि गुड़ और खांडसारी का कंट्रोल न होने के कारण और गुड़ और खांडसारी चीनी के मुकाबले में सस्ती होने के कारण और क्योंकि लोग चीनी नहीं खाते थे, इसलिए राजस्थान में चीनी की खपत कम होती थी। तो इस प्रकार जो कोटा मिलता था वह लेप्स हो गया और राजस्थान में सरकार साढ़े पांच हजार टन चीनी इम्पोर्ट कर सकी और भारत सरकार की कृपा से छः हजार टन चीनी मिली। अब हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हमारी डिमाण्ड ११ हजार टन है और हमको मिलती है ६ हजार टन चीनी। मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब को मिलती है साढ़े चौदह हजार टन और मध्य प्रदेश, गुजरात को मिलती है साढ़े ग्यारह हजार टन चीनी और दो करोड़ की जन संख्या पंजाब की है, और दो करोड़ की जन संख्या गुजरात की है, और राजस्थान की भी दो करोड़ की जन संख्या है तो भी उसको चीनी मिलती है छः हजार टन। जो कि अब शायद बढ़ा कर सात हजार टन या आठ हजार टन कर दी है। तब भी पंजाब और गुजरात के अन्दर आज भी ज्यादा चीनी आयात होती है। यह किस की अयोग्यता है? यह जनता की अयोग्यता नहीं है, या विधान सभा की गलती या अयोग्यता नही है। यह राज्य सरकार की गलती है और सबसे ज्यादा खाद्य मंत्री की गलती है, जिनको व्यापार का क, ख, ग, नहीं आता है और जिनको व्यापार का काम करने की जिम्मेदारी दे दी है। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत के स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कभी इस बात के लिए संकोच नहीं किया कि अजीत प्रसाद जैन को किस प्रकार से हटाया जाय एस. के. पाटिल को किस प्रकार से हटाया जाय या के. एम. मुन्शी को किस प्रकार से हटाया जाय। जिन-जिन लोगों की नीतियों के कारण खाद्य स्थिति उलझी उनको उन्होंने हटा दिया। मैं समझता हूं कि इससे अच्छा अवसर नहीं आने वाला है। खाद्य मंत्री ने इस समस्या को सुलझाने के बजाय उलझाया है और इस समस्या को उलझाने में वे सफल हुए हैं ऐसे मंत्री को वे मंत्रिमण्डल में नहीं रखें, उनको वे हटा दें। इस तरह के मंत्री को हटा दें तो सारे मंत्रि-मण्डल पर असर पड़ने वाला है। और वे यह समझेंगे कि यदि हमारी नीतियें सक्सेसफुल नहीं होती हैं तो हमें जाना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में यह जो कॉशन मिलेगा उसका दूसरों पर असर होगा।

अब मैं अन्त में एक बात और कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि अब मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ एक आखिरी बात गुड़ के विषय में कहना चाहता हूं। आपके राज्य में, आपके समय में यहां लोगों को खाने को गेहूं नहीं मिलता, आपके यहां लोगों को पीने को पानी नहीं मिलता, मवेशियों को खाने के लिये चारा आप उपलब्ध नहीं कर सकते, बेकारों के लिये आप काम नहीं दिला सकते और रहने के लिये लोगों को मकान नहीं मिल सकते। हमने १९४७ में स्वतन्त्रता प्राप्त की और आज १९६४ में हम कहते हैं कि लोगों को खाने के लिये

(श्री भैरोंसिंह)

अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं दिला सके और उनको रहने के लिये घर का प्रबन्ध नहीं कर सके, बेकारी मिटाने के लिये लोगों को काम नहीं दिला सके और आप कहते है कि चीनी नहीं है, शक्कर नहीं है, आखिर ये सब कहां गये ? खैर इन सब को छोड़ दीजिये। आज लोगों को गुड़ तक खाने को नहीं मिलता है। आपने गुड़ कन्ट्रोल आॅर्डर निकाला मगर आपने यह आॅर्डर निकाल कर गुड़ किसको दिया ? मैं यह कहूंगा कि आपने किसी व्यापारी को नहीं दिया आपने यह गुड़ दिया क्रय-विक्रय संघ को। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो क्रय विक्रय संघ का विधान बना हुआ है उसके अनुसार क्रय विक्रय सघ इसको ले नहीं सकता। उसके विधान के अनुसार क्रय विक्रय संघ किसानों के माल को क्रय और विक्रय करता है और मिडलमैन को प्राॅफिट होता है उसको बचाने के लिये कार्य करता है। इसमें पंजाब और यू. पी. आते नहीं और इसलिये मैं यह कहूंगा कि जो कुछ कार्य किया गया है वह नियमों के विपरीत किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि आपने उनको इजाजत गुड़ की कैसे दी ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पीछे राजनैतिक कारण हैं। इस क्रय विक्रय संघ के प्रेसीडेन्ट कौन हैं ? इस क्रय विक्रय संघ के अध्यक्ष चौधरी कुंभारामजी हैं और हमारे मुख्य मंत्रीजी और कुंभारामजी के आपस में राजनैतिक डिफरेन्सेज थे और वे डिफरेन्सेज इस सीमा तक पहुँच गये कि चौधरीजी ने यहां तक कहा कि मेरा और उनका युद्ध चलेगा और मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को मानक चौक चौपड़ पर दोनों कान पकड़ा कर पांच बैठक निकला कर रहूंगा। इस प्रकार का प्रेस वक्तव्य देते हैं. ये सुखाड़िया साहब के बड़े दुश्मन। जिसको सुखाड़िया साहब जानते हैं कि इतने बड़े दुशमन की ताकत से खतम नहीं किया जा सकता। इस दुश्मन को बहुमत से खतम नहीं किया जा सकता, अब किस तरह से इस दुश्मन को खतम किया जाय ? तब उन्होंने यह सोचा कि उनके मुंह में गुड़ दे दो। गुड़ से मारना अच्छा समझा। इस लिये सारे राजस्थान का गुड़ उनके हाथ में दे दिया और इसका परिणाम क्या हुआ कि वे सारा का सारा गुड़ खा गये। सारे का सारा गुड़ कहां गया आप जनता से पूछिये ? कलेक्टर ने, आदेश दिये कि इसकी रेट फिक्स की जाए और बाद में सरकार ने अपने उन आदेशों को वापिस ले लिया और बारदाने और ट्रान्सपोर्ट आदि का सारा खर्चा उसमें इन्क्लूड करके बेचने का आॅर्डर दे दिया। मैं यह कहूंगा कि सरकार ने लाखों रूपये खर्च किये मगर फिर भी लोगों को गुड़ खाने को नहीं मिला। सहकारी समितियों को गुड़ नहीं मिला। किसी भी इनडिविजुअल दुकानदार को जितना गुड़ मिलना चाहिये था नहीं मिला। अगर आप व्यापारियो का हिसाब देखना चाहें तो देखने से आपको मालूम होगा कि गुड़ का विक्रय किन किन के नाम है। हुआ यह कि गांव वालों के नामों की एक लिस्ट बना ली और यों ही उसमें दर्ज कर दिया कि इतना गुड़ फलां को दिया गया। मगर यह कोई नहीं कह सकता कि वह गुड़ वास्तव में उनको दिया गया भी। उनको गुड़ नहीं दिया गया। आज १९४७ से १९६४ तक के इतिहास को देखें तो आपको मालूम होगा कि क्रय और विक्रय संघ एक हिस्टोरिकल स्कैन्डल है। This is the only historical scandal which requires immediate probe। इसकी इन्क्वायरी कराई जावे तो

(श्री भैरोंसिंह)

सब मालूम होगा । लेकिन मैं यह समझता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर इसके लिये तैयार नहीं हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान की जनता को मजबूर करेंगे कि वह उन लोगों के प्रति जिन लोगों ने लाखों रुपया गुड़ के व्यापार में कमाया है और ३७ रू० के भाव का गुड़ खरीद कर राजस्थान में १०३ के भाव से बेचा है और राजस्थान की जनता को लूटा है और सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है तो वे आन्दोलन करें ।

मैं यह कहूंगा कि आप राजनैतिक पार्टीज से पूर्ण सहयोग की अपील कर सकते हैं लेकिन अगर आप राजनैतिक शोषण जनता का करने के लिये तैयार हैं तो जिन राजनैतिक पार्टियों से आप सहयोग की अपेक्षा करते हैं वह आपको नहीं मिल सकेगा । मैं यह कहूंगा कि इसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाय, इन्वेस्टिगेशन और इन्क्वायरी हो सकती है, मैं तो यह कहूंगा कि इसमें इन्क्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की भी आवश्यकता नहीं है । आप अगले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट को ही उठा कर देख लें । लेटेस्ट नहीं । उसके पहले की और उनसे मुकाबला करें तो आप देखेंगे कि कागजों में लिखा है एग मार्क और आप राजस्थान को देते हैं रसकट गुड़ । और बोरियों में भरते हैं एगमार्क के स्थान पर रसकट और जो बहता हुआ गुड़ बोरियों से आता है । लपटे की तरह लोगों को आप गुड़ देते हैं । मैं यह कहूंगा कि आपने मिडल मैन के प्रॉफिट को रोकने के लिये सहकारी समितियें बनाईं ताकि मिडल मैन को नाजायज लाभ नहीं हो मगर जिस रूप में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लाना चाहिये आप नहीं ला सके और आपने जिस तरह कोऑपरेटिज्म को लाना चाहिये नहीं लाये और उसको आपने बदनाम किया है । राजस्थान सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई । जयपुर में २२ कोऑप-रेटिव सोसाइटीज है मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि सबकी सब कोऑपरेटिव सोसाइ-टीज ब्लेक मार्केट में पहुंच चुकी हैं और पुलिस में उनके खिलाफ केसेज चल रहे हैं । वे चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हों चाहे कन्ज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हों । सभी ब्लेक में पहुंच गई हैं । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी कराइये और जिनके खिलाफ शिकायतें हैं उनको सुनी जाए । उनके कागजात बन्द नहीं हों । जब कोई शिकायत करते हैं तो आप उनके खिलाफ शिकायत सुनते नहीं । कई गांव वालों की शिकायत है कि ऊपर एग मार्क लिखा रहता है और बोरी खोल कर देखते हैं तो उसमें रसकट गुड़ मिलता है । इन सारी बातों की जांच करावें और इससे आपके भी राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति हो जावेगी । अभी आपके लिये मौका है, दुश्मन को आप मारना चाहते हैं, आप मारिये । भादवा गांव की शिकायत भी है । मौका मिलने पर दुश्मन को मारने से चूकना किसी राजनीतिज्ञ का काम नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : लेकिन इससे आपका स्वार्थ तो पूरा नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा कोई स्वार्थ नहीं है । मैं तो जनता का रिप्रजेन्टेटिव हूं । मैं मंत्रियों का प्रतिनिधि नहीं हूं ।

(श्री भैरोंसिंह)

एसी हालत में मैं यह कहूँगा कि आप इसकी जांच करावें और जनता के सामने सही तथ्यों को रखें ताकि आपकी प्रतिष्ठा को जो आप खो चुके हैं किसी तरह बचा सकें। मैं यह कहूंगा कि हमारी सरकार के पास चीनी नहीं, खाद्यान्न नहीं, चावलों के मामले में चावल नहीं, सूखे मेवे के मामलों में सरकार ने जो क्रय विक्रय संघ को अधिकार दिये हैं, ये सभी चीजें जनता को ठीक कीमत में नहीं प्राप्त हो रही हैं और सरकार उनको प्राप्त कराने में असफल सिद्ध हुई है। ऐसी असफल सरकार, अयोग्य सरकार व दूरदर्शिता के अभाववाली सरकार यदि राजस्थान में ज्यादा दिन तक चलती है तो उससे राजस्थान की जनता को कोई लाभ नहीं हो सकता। जो सरकार जनता को अनाज नहीं दे सकती, चीनी और दूसरी चीजें नहीं दे सकती ऐसी सरकार को अपदस्थ कर देना चाहिये। इसलिये मैं सभी विरोधी दलों से आवाहन करूंगा कि इस सरकार को मार्ग दर्शन कराया जावे और सहयोग दिया जावे और अगर यह सरकार हमारी बात को नहीं स्वीकार करे और स्वयं राजनैतिक शोषण को तैयार हो, उस सरकार को अपदस्थ करने के लिये सभी एक होकर दो करोड़ जनता की सेवा के लिये तैयार हो जावें।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): माननीय सभापति महोदया, बहुत लम्बे समय के बाद हमको आज दिल खोलकर खाद्य समस्या पर विचार करने का अवसर मिला है। माननीय सभापति महोदया, यह हमारा विचार करना और न करना इसमें कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। अप्रेल में जो खाद्य स्थिति पर हमने विचार किया था उसका प्रयोग भी करते तो आज हमारी स्थानीय जनता को खाद्यान्नों के न मिलने से जो हालत और परेशानी व दुःख है उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और इन परेशानियों से बच सकते थे। लेकिन आपको मालूम है कि जब यह तय हुआ उसके बाद में हमारी सरकार ने घोषणा की, उसके बाद थोड़े से यानी एक पर्सेन्ट आदमी कह सकते हैं उन लोगों ने आन्दोलन की धमकी सरकार को बताई और हमारी सरकार को कुचल कर जो पूंजीपति लोग थे, भ्रष्टाचारी और जमाखोरी करने वाले लोग थे वे हमारी सरकार की छाती पर जाकर उसको छुरा बताकर खाने चले हैं और हमारी सरकार जो हमेशा के लिये निकम्मी होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, माननीय सभापति महोदय, कि जो समाजवादी समाज की नीति हमारी सरकार ने बताई है उसमें असफल हुई है। धान के मुट्ठी भर व्यापारियों ने, थोड़े से चोर बाजारी करने वालों ने सरकार को धमकी बताई और उनकी छाती पर चढ़ कर छुरा बताया और सरकार को डराया।

अगर १ पर्सेन्ट लोगों ने, मुनाफाखोरों ने सरकार को छुरा बताया तो वह छुरा ज्यादा से ज्यादा उनके बोर्ड का छुरा था। उस छुरे से डरकर राजस्थान की दो करोड़ जनता के प्रति आपने अपना मतलब निकालने के लिये इतना भयंकर जुर्म करवाया है, उसमें हमारी राजस्थान सरकार से ज्यादा दोषी और कोई नहीं माना जा सकता।

हमारी सरकार एक ही बात में पिछड़ी नहीं रही है, आज इस सरकार को शासन

(श्री हीराभाई)

करते हुए १७ साल होगये हैं, इतने लम्बे अर्से में यह सरकार यह नीति भी निर्धारित नहीं कर पाई है कि हमारे उत्पादन में क्या कमी है और कैसे उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है । हमारी सरकार ने, सत्तारूढ़ दल ने इस ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया । यह तो हमेशा यही सोचती रही कि किस कॉन्स्टीट्युएन्सी में हम चुनाव जीत सकते हैं, कहां पर हमें चुनाव जीतने के लिये क्या क्या हथकंडे करने चाहिये । यह सरकार इन १७ सालों में केवल चुनाव के आंकड़े तैयार करने में, चुनावों की उलझनों में ही उलझी रही । अगर यह सरकार इन १७ वर्षो में देश के भले की ओर ध्यान देती, देश में उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान देती तो देश में उत्पादन बढ़ सकता था, उससे आज हमारा देश हराभरा होता और आज हमें एक बूढ़ी असहाय विधवा की तरह रोने की नौबत नहीं आती ।

यह सब नहीं करके इस सरकार ने रचनात्मक कार्य में पक्षपात किया है । लोगों को उत्पादन बढ़ाने के लिये सहयोग और साधन नहीं दिये हैं । सिंचाई का कोई जरिया नहीं दिया है । उसी का फल आज इनको भुगतना पड़ रहा है और जनता को भी साथ साथ ये दुख के दिन देखने पड़ रहे हैं । चुनावों के टाइम आप लोग इस तरह के पक्षपात कर सकते थे, लोगों को झांसा दे सकते थे पर जनता पर शासन करने के लिये जब आप कुर्सी पर बैठे हैं तो फिर आपको पक्षपात नहीं करना चाहिये । जिस एरिया में अन्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिन जिन जरियों को, जिन जिन रास्तों को अपनाना चाहिये था, उन रास्तों को सरकार को अपनाना चाहिये था, उन सही रास्तों को सरकार को अपनाना चाहिये था । पर सरकार ने ऐसा नहीं किया, चुनाव जीतने के लिये पक्षपात किया । आज इस सरकार की खिलाफत तमाम दुनियां कर रही है । मैं भी इसकी खिलाफत कर रहा हूं । मैं तोयह कहता हूं कि प्रजातन्त्र की हत्या करने वाला अगर कोई है तो वह यह कांग्रेस सरकार है । कांग्रेस की हत्या के बाद हमें दुख तो होगा क्योंकि यह रास्ता तो अच्छा नहीं है । पर कुछ दारुड़ी मारुड़ी पीने वाले लोग, डाके डालने वाले लोग, भ्रष्टाचारी लोग इसमें यह सब गड़बड़ करते हैं, इसमें लोग बुरे हैं पर रास्ता तो ठीक है । इस गवर्नमेन्ट ने हमारे प्रजातन्त्र का गला घोंटा है, शायद सपने में भी आप लोग यही देखते होंगे । और अगर यही स्थिति बनी रहे तो पांच साल के बाद किस तरह की हालत होने वाली है ? राजस्थान की दो करोड़ जनता को दुख देने की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है । मशिनरी आपके कब्जे में है तो उस मशिनरी से भी आप भ्रष्टाचार करवाना चाहते हैं ।

उत्पादन ज्यादा बताते हैं । उत्पादन लगातार तीन वर्षों से कम होता जा रहा है, कहीं सिचाई के साधनों की कमी से, कहीं बरसात की कमी से उत्पादन कम हुआ है । उत्पादन में बड़ी भारी कमी आ गई है । हम यह बात सरकार के सामने रखते हैं पर सरकार अपनी जिद्द पर ही अड़ी रहती है । सरकार के पास किसी प्रकार के आंकड़े नहीं हैं, पर वह गलत आंकड़े रखती है । रबी की फसल के कोई आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं पर सरकार आंकड़े बता देती है कि ये आंकड़े हैं । इतनी पैदावार हुई है । पर प्रजातन्त्र के नाम पर बनी हुई सरकार है । इसलिये हमें हमदर्दी है कि यह सरकार कहीं बदनाम नहीं

(श्री हरीभाई)

हो जाय। सरकार ने इस तरह का रवैया अपनाया है यह बहुत ही घातक है। बांसवाड़ा में अकाल पड़ा, पाला पड़ा और वहां फसल खराब हो गई ....

(समय-समाप्ति सूचक सांकेतिक घण्टी

चेअरमैन महोदया, अभी से घन्टी बजा रेही हैं, मेरे लिये ध्यान देना चाहिये।

पर सरकार ने कोई नुकसान नहीं बताया। ज्यादा उत्पादन बताया। तो हमारे राजस्थान के उत्पादन में भी घाटा हुआ है। आज भी वहां लोग भूखों मर रहे हैं। महारावल डूंगरपुर ने कहा कि वहां पुवाड़ की भाजी खा कर वहां के लोग दिन निकालते हैं, उनको खाने को अन्न नहीं मिलता। पर वहां के लिये भी राजस्थान सरकार आंकड़े देती है कि वहां अकाल नहीं है, उत्पादन अच्छा हुआ है। इस प्रकार की गलत रिपोर्ट सरकार देती है। उसके आधार पर हमको गलत अन्दाज से चलना पड़ता है और इस तरह से हमारा देश बर्बाद होता है। खाद्यान्नों के बारे में आपकी नींद अब खुली है, आपकी नींद तो गत साल ही खुल जानी चाहिये थी, और आपको राजस्थान के अनाज को राजस्थान से बाहर नहीं जाने चाहिये था। आपको राजस्थान के अनाज को राजस्थान से बाहर जाने रोकना चाहिये था।

पर आपका प्रतिबन्ध का ऑर्डर निकलता है। मैं बागीडोरा गया वहां चौबीसों घंटा गाड़ियां घू घू घू दौड़ रही थीं और राजस्थान का अनाज गुजरात और बम्बई प्रदेश में निकल गया। फिर आपका प्रतिबन्ध वहां पहुंचा और प्रतिबन्ध भी क्या तीस पैंतीस प्रतिशत का प्रतिबन्ध लगाया। जैसा भैरोंसिंहजी ने कहा, वहां का सारा अनाज खत्म कर दिया।

अगर हमें भाव तय करने हैं तो मैं तो सदन से निवेदन करूंगा कि दो महीने बाद किसान की भी फसल आने वाली है। कहीं आप ऐसा नहीं कर दें कि जैसे एक फी सदी व्यापारियों ने आपको धमकी बताई और उसकी सारी छूट राजस्थान सरकार ने दे दी व्यापारियों को, अब भी कहीं इस प्रकार नहीं करें किसानों ने २४ रुपया मन के भाव से मक्का खरीदी है, ४५ रुपया मय ब्याज के बोहरा किसान से लेगा और अगर १० रुपया मन का भाव मक्का का आप कर देंगे तो बेचारा किसान बर्बाद हो जायगा।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि भाव मंहगे रहें। मैं मानता हूं कि भावों का बिल्कुल कन्ट्रोल किया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अभी समाप्त करता हूं।

सिर्फ राज्य सरकार के नीति निर्धारित करने से काम नहीं चलेगा। माननीय खाद्यमंत्री को भारत सरकार पर भी दबाव डालना चाहिये और भारत सरकार जब तक नीति निर्धारित न करे तब तक गुजरात जो मिल मालिकों का प्रदेश है, वहां पर अगर यह अनाज चला जायगा तो बहुत बुरी बात होगी। क्योंकि वहां पर ८० रुपया पर क्विंटल है और वहां के पड़ोसी लोग कम से

(श्री हीराभाई)

कम ४० या ५० रुपए प्रति क्विंटल बेचने नहीं आएगें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो इसलिए जब तक दूसरी फसल निकल नहीं आए तब तक व्यापारी या सरकार अगर मुनाफाखोरी करना चाहे तो उसे ऐसा करने से रोका जाय और भावों में ज्यादा से ज्यादा १ रुपया या दो रुपया सैकड़ा से ज्यादा मुनाफा नहीं दिया जायगा। इसी तरह की नीति आपकी होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : आप अपनी पार्टी का समय ले रहे हैं। आपकी पार्टी के समय में से काटा जायगा।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : इसतरह से ग्रांट देने की क्या आवश्यकता है ?

श्रीमती सभानेत्री : मैं आपको चेतावनी देती हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो बीच बीच में कई बार घंटी बजाई गई है।

श्री हीराभाई : इसलिए मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसान को लकड़ी की जरूरत है। कांग्रेस सरकार ने किसानों को जितने खेती के साधन उपलब्ध होने चाहिए उतने नहीं दिए। इसलिए जो भाव तय किए जायं वे कम होने चाहिएं। जब तक किसानों के माल के लिए और आवश्यक वस्तुओं के भाव बिल्कुल एक ही तरीके से न मुकर्रर किए जायंगे तब तक आपके इन भावों को नहीं रोका जा सकता है और आप इन गरीबों को रोटी नहीं दे सकते हैं। सरकार को बिल्कुल स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिए कि कम से कम आवश्यक वस्तुओं के भाव और अनाज के भाव बराबर एक रफ्तार से एक ढंग से चलने चाहिए ताकि भाव रोके जा सकें वरना नहीं रोके जा सकते। अगर दूसरी चीजें सब आपने मंहगी रख दीं और खाद्य पदार्थों को सस्ता कर दिया तो जनता का हित नहीं होगा। मैं यह नहीं चाहता हूं कि अनाज मंहगा रहे, अनाज बिल्कुल सस्ता होना चाहिए और अनाज सस्ता होने के साथ साथ मनुष्य की जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं वे भी बिल्कुल सस्ती होनी चाहिए तब जाकर हम देश की जनता का भला कर सकते हैं और देश पर शासत कायम रख सकते हैं वर्ना किसान भी सड़ जायगा, इसमें कोइ शक नहीं है। इसलिए जहां पर पर भी भारत सरकार के लेवल की चीज है, वहां भारत सरकार पर दबाव डालिए, तब जाकर आप कामयाब हो सकते हैं।

उसी तरह से आपका एक और तरीका भी गलत है। उदयपुर से मक्का कुशलगढ़ में आई। वह रेल से न आकर ट्रकों में आई। ट्रकों का किराया रेलवे से ज्यादा होता है और उसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है। आपको इन बातों में संभलकर चलना चाहिए। इसलिए आपके भाव गलत तरीके से ऊपर जा रहे हैं।

मेरा तो सिर्फ यही निवेदन है। मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं कहूंगा। यदि हम

(श्री हीराभाई)
आवश्यक वस्तुओं के भाव और खाद्य पदार्थों के भावों पर ठीक ढंग से कन्ट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा देश बरबाद हो जायगा।

आपने ५३ रु० और ६४ रु० अधिकतम भाव निर्धारित किए हैं, ये ठीक नहीं है। कम से कम आप ५० रु० करदें या ४५ रु० करदें ताकि जो छोटा आदमी है उसे पेट भर रोजी मिल सके। इसके लिए आप एक रुपया या दो रूपया सैंकड़ा मुनाफा रखें। यदि आप जमाखोरी को खत्म करके यह काम चलाओगे तो ठीक है वर्ना बहुमत के आधार पर यह काम चलता रहेगा और भ्रष्टाचारियों को इस तरह से सहारा आप देते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई जगह आपके लिए नहीं है, या तो फिर आप खेती करना अभी से ही शुरू कर दें। इस भारत को आजाद करने में हमारे पूर्वजों ने काफी कुर्बानी की है और आप अपने मतलब के लिए देश को डुबोने जा रहे हैं। उसको बचाने के लिए नीति निर्धारित करनी पड़ेगी। या तो सरकार २-४ महिने में सुधर जाय और अपनी नीति ढंग पर लाये और यदि ४–६ महीने में वह न सुधरी तो हम देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। आपके कहने से हम देश को डुबोने नहीं देंगे और भ्रष्टाचारियों, रिश्वतखोरों, जमाखोरों और दलालों की सरकार को हम हटाकर ही छोड़ेंगे। यह नीति हमारी स्पष्ट निर्धारित है। इस पर मन्त्री महोदय ध्यान देकर विचार करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): सभापति महोदया, आज तो खाद्यान के सम्बन्ध में जिस प्रकार से बहस प्रारम्भ हुई उससे तो इस समस्या को हल करने के सम्बन्ध में अपोजिशन के कोई विचार हमारे सामने नहीं आए। यह तो सिर्फ इस प्रकार की भावना से बहस पैदा की गई है कि किस प्रकार से सरकार को गालियां दी जायं। अभी-अभी जो दो महानुभावों ने जिस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए और जिस प्रकार से खाद्य समस्या के बारे में उन्होंने जो बातें कहीं उनसे कहीं भी यह प्रतीत होता है कि खाद्यान्न की समस्या किस प्रकार से हल की जाय और किस प्रकार से ऐसे अच्छे विचार सरकार के समक्ष रखे जायं जिनसे हमारे देश की खाद्यान्न की समस्या हल हो और जो कठिनाइयां सामने आ रही हैं उनको किस प्रकार से हल करें और उनमें किस प्रकार से सहयोग प्राप्त हो। खाद्यान्न की समस्या केवल राजस्थान की समस्या नहीं है बल्कि सारे देश की समस्या है और इसका समाधान सारे देश पर निर्भर करता है। आज देश में हर जगह जहां पर देखो, राजस्थान के भाव दूसरे प्रांतों के भावों से काफी कम हैं और राजस्थान में किसी प्रकार से खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है। जहां तक प्रश्न है कि खाद्यान्न समस्या किस प्रकार से हल की जाय वह सारे देश पर निर्भर है। आज खाद्यान्न की समस्या सिर्फ राजस्थान प्रांत ही हल करना चाहे तो राजस्थान प्रांत इस बात पर निर्भर करता है कि देश में किस प्रकार की समस्याएं है, किस प्रकार की स्थिति है? आज देश में सब जगह, पन्जाब को छोड़कर सब स्थानों पर राजस्थान से ज्यादा ऊंचे भाव हैं। और ऊंचे भावों का असर हमारे प्रान्त पर भी पड़ता है।

जहां तक राजस्थान की उपलब्धियों का ताल्लुक है, जहां तक हमारी पैदावार

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

पिछले साल हुई है, जो नोट हम को दिया गया है उसमें बताया गया है कि हमारे यहां ८ लाख टन के करीब की कमी है। उसको पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने समय समय पर भारत सरकार से विदेशी गेहूं जो आ रहा है उसको मंगा कर पूर्ति करने की कोशिश की है। भारत सरकार ने पूर्ति करने में जैसी मदद की है वह भी हमारे सामने है। मांग जितनी थी उसकी आधी पूर्ति की है। इसलिये यह हमारे सामने जटिल समस्या होती जा रही है। जो कमी है उसकी पूर्ति के लिए हमें सुझाव देने होंगे और सुझाव नहीं देंगे तो केवल टीका टिप्पणी करने से और बुराई करने से कोई समाधान नहीं हो सकता।

जहां तक जमाखोरों का ताल्लुक है, जो खाद्य समस्या को हल न करके दिन ब दिन उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शील्ड करना अच्छे लोगों का काम नहीं है। आज जगह जगह लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो वे ही लोग बैठते हैं जो जमाखोर खुद हैं या जो खाद्यान्नों का व्यापार करते हैं या जिनको शील्ड करते हैं। अन्य लोग ऐसे लोगों के ऊपर बरदहस्त रखकर जो जमाखोर हैं उनको शील्ड करने के लिए सरकार को बदनाम करके जमाखोरों की वृत्ति को पूरा करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सरकार को केवल बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी जनता को भूखा मारने की कोशिश कर रहे हैं। सभापति महोदया, यह किसी राजनैतिक पार्टी की समस्या नही है। यह तो एक देश-व्यापी समस्या है और सब मिल कर इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे तब जाकर समस्या का निराकरण होगा। नहीं तो जगह जगह हड़तालें करके, भूख हड़तालें करके सरकार को दबा कर अपनी बात करना चाहते हैं। राजस्थान की असेम्बली में बातें हुई हैं, खाद्यान्न का लाइसेन्सिग आर्डर है, जो व्यापारी हैं, जो अनाज का व्यापार करते हैं उस सम्बन्ध में किसी २ पार्टी के लोगों ने क्या २ बातें कही हैं यह छिपी हुई बात नहीं है। सारा राजस्थान जानता है और असेम्बली के सदस्य जानते है कि जो जमाखोर लोग हैं उनको शील्ड करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यह बात छेड़ी है। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए हम लोगों को मिल कर काम करना चाहिये।

जमाखोर लोग जमा करके देश के गरीब लोगों को मारना चाहते हैं। वे लोग समृद्धिशाली हो रहे हैं जिनके पास जमाखोरी का माल भरा हुआ है। जमाखोरी करके समृद्धिशाली हो रहे हैं। जौ, चना वगैरह छिपा कर जमा रखा है और गरीब लोगों की बड़ी मुश्किल हो रही है। उन लोगों ने हड़ताल नहीं की और वे सरकार की ओर आंख लगाये बैठे हैं कि सरकार इन जमाखोरों को हटायेगी और जो समस्या पैदा होगई है उसको दूर करेगी। ऐसे लोग हड़तालें कर रहे हैं जो जमाखोरी ज्यादा से ज्यादा करते है या करना चाहते हैं। देश की गरीब जनता जहां ठीक प्रकार से पेट-पालन करना चाहती है, व्यवस्था में रहना चाहती है, यदि उस जनता को ठीक प्रकार से जिन्दा रखना चाहते हैं, व्यवस्थित तरीके से उनको अनाज खाने के लिए देना चाहते हैं तो ऐसे जमाखोर लोगों के खिलाफ काफी कठोर

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

होकर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी होगी ।

आपने देखा होगा कि ६१-६२, ६२-६३ में जो पैदावार हुई है उसके मुकाबले में ६३-६४ में कम पैदा हुई है जिसके कारण ये कीमतें बढ़ी हैं । दूसरा कारण यह है कि राजस्थान के जो पड़ोसी प्रान्त हैं, हिन्दुस्तान के जो राजस्थान के निकट के प्रान्त हैं उनमें गेहूँ आदि दूसरी चीजों की कीमतें काफी ऊंची हैं इसलिए उनका असर राजस्थान के भावों पर भी पड़ा है । बाहर के प्रान्तों में अधिक कीमतें होने के कारण एक दूसरे से आपस में व्यापारी समझौता कर लेते हैं और उसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं । उन लोगों ने भी इस समस्या को विकट रूप दिया है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग आपको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करेंगे । गरीब लोगों को अनाज कम मात्रा में मिल रहा है उनकी समस्या समय रहते हल नहीं हुई तो आपको निकट भविष्य में ही एक खतरा मोल उठाना पड़ेगा इसलिए पहले से ही सचेत होकर काम करना चाहिये और जमाखोर लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये ।

सरकार के द्वारा जो कदम उठाये गये हैं उनके द्वारा समस्या हल हो सकती है । सरकारी दुकानें भी ऐसे जमाखोर लोगों के हाथ में आगई हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं । ऐसे महाजनों के हाथों में ये दूकानें आगई हैं जो अपना गेहूँ मिलाकर दूसरा आयात किया हुआ गेहूँ मिला कर महगे भावों में बेच रहे हैं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : ऐसा कहां हो रहा है ? उस जगह का नाम बता दें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह करीब करीब सब जगह हो रहा है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कौन लोग ऐसा करते हैं जिनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करे ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : जहां तक मेरी जानकारी थी ऐसी समस्या सब स्थानों पर हो रही है और उसको हल करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे । अगर सरकार कार्यवाही नहीं करेगी तो समस्या विकट होती जावेगी ।

जहां आवश्यक है वहां सप्लाई ज्यादा होनी चाहिये और जहां आवश्यकता कम है वहां कम होनी चाहिये । इसके आंकड़े सरकार के पास होने चाहिये । आज तो खल और गुड़ एक भाव बिक रहे हैं । जहां आवश्यक है वहां भी सरकारी दूकानें और जहां आवश्यकता नहीं है वहां भी सरकारी दूकानें हैं । इस कारण से ब्लेक मार्केटियर्स ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं । इस लिए इस बात की जांच होनी चाहिये कि किन लोगों को सस्ते गेहूं की आवश्यकता है ? किनको नहीं है ? जब तक आपको इस प्रकार के आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे, आप इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते ।

राजस्थान में आधा फेमीन एरिया है और उन स्थानों पर पैदावार नहीं के बराबर हुई है । वहां पर सस्ते अनाज की दूकानें, राशन की दूकानें अधिक होनी चाहिये । भीलवाड़ा—जिले में दो तहसीलों में फेमीन

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

एरिया है और तहसीलों में नहीं है। तो जहां नहीं है फेमीन वहां भी बराबर उतना ही गेहूं सप्लाई हो रहा है। फेमीन एरिया में जहां पैदावार कम हुई है भगवान के प्रकोप से तो वहां राशन की दूकानें अधिक होनी चाहिये। वहां उन लोगों को खास तौर से निगरानी रख कर, उनकी जांच करवा कर, अपनी एजेन्सी से जांच करवा कर, पटवारी लोग हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं कि किन किन के पास कितनी कितनी पैदावार हुई है, अनाज देना चाहिये। सरकार से अनुरोध है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की ओर से खाद्यान्न की सप्लाई की जा रही है और पूर्ति फिर भी नहीं हो रही है। सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट की फुड पॉलिसी एक तरह की है जिससे हमारे खाद्यान्न दूसरे प्रान्तों में चले जायं और हमारी जितनी खपत है उससे हम को कम दिया जाय तो सरकार द्वारा सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालना चाहिये कि जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए सेन्ट्रल सरकार अधिक से अधिक दे। राजस्थान लाइसेन्सिंग ऑर्डर ६४, लागू हुआ। उसके द्वारा यह प्रयास किया गया कि जो जमाखोर हैं, व्यापारी हैं होर्डर्स हैं उनको लाइसेन्स लेकर काम करना होगा और उसके लिए उनको सिक्योरिटीज़ जमा करानी होगी। एक माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत सी बातें लाइसेन्सिग ऑर्डर में नहीं रखनी चाहिए, सिक्योरिटीज़ नहीं रखनी चाहिये, मान अपमान की बात है। यह जो व्यापारी काला बाजार करते हैं, होर्ड करते हैं दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, भूखों मारते हैं, यह तो ऐसे लोगों की हिमायत करना है।

श्री जयनारायण सालोदिया (नवाई): ऐसे सेठजी विधान सभा में बैठते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (सांचोर): ऐसे लोगों की सिक्योरिटी न ली जाय........

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): ऐसे लोग कौन हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास: ऐसे व्यापारी जो होर्डिंग करते हैं, दूसरों की गर्दन पर छुरी चलाना चाहते हैं, जो लोग ब्लेक करते हैं वे कैसे समाज के रेस्पेक्टेबल आदमी हो सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह: क्या आपकी निगाह में सभी व्यापारी दोषी हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास: सिक्योरिटीं का प्रोवीजन सब पर लागू है। मैं सब को दोषी नहीं मानता लेकिन काफी मात्रा में व्यापारियों का दोष है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अच्छे आदमी हैं उनको बचाया जाय। जो लोग ब्लेक नहीं करते, होर्ड नहीं करते बहुत कम मुनाफा लेकर बेचते हैं उनको संरक्षण मिलना चाहिये लेकिन इस प्रकार के ईमानदारी से काम करने वाले कम ही मिलेंगे। सरकार से में निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि मेरे से पूर्व बोलने वाले महानुभाव ने कहा सरकार को अपनी कोई भी व्यवस्था इस प्रकार की नहीं रखनी चाहिये जिसकी वजह से आम जनता पर बुरा प्रभाव पड़े। किसी नीति को चलाना है तो वह नीति ठोस होनी चाहिये और उस पर पूरी तरह से अमल होना चाहिये। कमजोरी की वजह से आज व्यापारी वर्ग नाजायज फायदा उठा रहा है

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

और लोगों को कहने का मौका मिला है कि इस प्रकार की व्यवस्था से गड़बड़ हुई है। मेरा खास तौर से निवेदन है कि जिन लोगों ने अनाज को दबाकर रखा है, जिनके पास आवश्यकता से अधिक स्टॉक है, चाहे वे लोग व्यापारी हों या अन्य कोई हों अगर उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है उनको इसके लिए पाबन्द किया जाना चाहिए कि वे लाइसेन्स लें। इन सारी बातों की पूरी व्यवस्था नहीं होगी तो इन्तजाम नहीं हो सकेगा।

आज हमारे यहां पर लोग भूखों मर रहे हैं। नाज की कमी है, लेकिन मक्का को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जहां पर लोगों के खाने के लिए अन्न का अभाव हो वहां मक्का को स्टार्च बनाने के लिए एक्सपोर्ट किया जाय, यह बहुत ही गलत चीज है। आज जिसकी वजह से इन्सान मरता है वहां इन्सान को खाने के लिए मक्का न दी जाकर स्टार्च बनाने के लिए बाहर भेजते हैं यह अच्छी चीज नहीं है। स्टार्च बनाना जरूरी नहीं जितना कि आज मनुष्य को जिन्दा रखने की आवश्यकता है। इसलिए स्टार्च के प्रोडक्शन को रोककर हमें मक्का का एक्सपोर्ट बन्द कर देना चाहिए इससे भी कुछ समस्या का हल हो सकता है।

सभापति महोदया, हमारे यहां पर २५ क्विंटल और ५० क्विण्टल तक रखने की छूट दी गई है। उससे ज्यादा जिनके पास है उनको अपना स्टॉक डिक्लेअर करने का सवाल आयेगा। मैं तो यह समझता हूं यह लिमिट है वह ज्यादा है। आज राजस्थान में ऐसी फेमिलीज बहुत कम है केवल गिनती मात्र की होगीं जिनको घर की आवश्यकता के लिये पचास क्विंटल अनाज की आवश्यकता हो। इस प्रकार के दस बीस परिवार ही मिलेंगे जिसको पचास क्विंटल अनाज सालाना की आवश्यकता हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पचास क्विन्टल तो प्रोड्यूसर के लिये रखा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको इस बात की जानकारी नहीं है। पचास क्विन्टल जो अनाज रखा है वह बहुत ज्यादा है इसको कम किया जाना चाहिये।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन भावों का निर्धारण किया गया है वह दूसरी जगहों के भावों को देखते हुए ज्यादा नहीं हैं। मक्का, जौ, चना आदि के क्या-क्या भाव होंगे वह शिड्यूल में दिया गया है। जो भाव निर्धारित किये गये हैं वे भाव काफी ऊंचे हैं इससे कन्जूमर को काफी कष्ट उठाना पड़ेगा। अतः इन भावों में कमी की जाय। ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचा जो भाव है दोनों में तब्दीली होनी चाहिये। जो भाव काश्तकार से खरीदने के तय किये गये हैं उस पर काश्तकार देने में कभी तैयार नहीं होगा। इन दोनों बातों का समन्वय होना चाहिये और इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि प्रोड्यूसर कन्जूमर को सस्ते भाव में समान मुहैया कर सके।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में जो जगह जगह पर चिल्लाहट हो रही है कि हमारे यहां पर अनाज नहीं मिलता, लोगों को वाजिब कीमत पर नहीं मिलता, उसकी व्यवस्था तुरन्त की जानी चाहिये। ऐसे जमाखोरों और ब्लेक मार्केट

Page No. 99

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

करने वालों का पता लगाकर उनके स्टॉक को जल्दी से जल्दी सरकार अपने हाथ में ले और उसको बाजार में बिकवाये। कहीं पर कलेक्टर के पास जब इस बात को लेकर जाते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास में इस प्रकार से कानून की कोई व्यवस्था नही है जिससे जमाखोरों को पकड़ कर उनके अनाज को बाजार के अन्दर ला सकें। ऐसे लोगों से जल्दी से जल्दी निपटना है। अगर इस प्रकार से इन जमाखोरों को पकड़ने और इनको सजा देने की व्यवस्था नहीं की गई तो आप जो व्यवस्था चाहते हैं वह कभी नहीं हो पायेगी। इस ढिलाई की नीति पर अगर चलते रहे तो व्यापारी और जमाखोरों के दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। इसलिये आज समय तो इस बात का है कि सरकार को एक हाथ में लड्डू और एक हाथ में पत्थर लेकर चलना होगा। जहां भी लड्डू पर हाथ डाले उसको पत्थर से सबक दिया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था हम करवायेंगे तभी काम चल सकेगा वरना काम नहीं चल सकता।

इसलिये मेरा सरकार को भविष्य के लिए भी निवेदन है कि पिछली दफा भी किसी प्रकार के आंकड़े नहीं रखे गये कि कौन कौन लोगों ने होर्ड कर रखा है। इन सब बातों की जानकारी सरकार को पूरे तौर से होनी चाहिए। अगर पिछले अरसे में नहीं की गई तो मेरा सरकार से निवेदन है कि अब जो दो महीने बाद अनाज आने वाला है किस किस की कितनी फसल हुई है, किसके पास कितना अनाज है उसकी सारी जानकारी सरकार को होनी चाहिये। आपके पास रेवेन्यू की एजेन्सी है आप अच्छी तरह में पता चला सकते हैं कि किसने कितना कितना प्रोड्यूस किया, ताकि सब लोगों को भी जानकारी हो जायगी और आप भी हिसाब रख सकेंगे। इसी तरह से जो स्टॉक के डिक्लेरेशन का फार्म है उसको पूरी तरह से भरवाया जाना चाहिये। इसके लिए पूरी सख्ती बरती जानी चाहिये। अगर सख्ती से इस व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे तो यह व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल सकेगी। इससे जनता को यह मालूम पड़ेगा कि राज्य सरकार में इन लोगों से निपटने की क्षमता नहीं है।

जहां तक अनाज के प्रबन्ध का सवाल है हमारी राज्य सरकार ने अन्य प्रान्तों की सरकार से काफी अच्छी व्यवस्था की है और इस ओर काफी ठोस कदम उठाये हैं। इसलिये में यह निवेदन करूंगा कि आने वाले समय के लिए भी हमें सावधानी पूर्वक कदम रखने चाहिये ताकि इस समस्या का स्थायी हल हो सके।

(श्री मुरलीधर व्यास एवं श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा दोनों बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्रीमती सभानेत्री : अब एक बजने आया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अभी दो मिनिट बाकी हैं शुरू कर दूं कल प्रारम्भ रहेगा।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मुरलीधर जी आरम्भ करें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय सभानेत्री जी, अभी मेरे से पूर्व

Page No. 100

(श्री मुरलीधर व्यास)

तीन-चार माननीय सदस्यों ने इस खाद्य स्थिति पर प्रकाश डाला इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आप कल आरम्भ रखिये। सदन का समय हो गया है, सदन की बैठक कल प्रातः आठ बजे तक के लिये स्थगित की जाती हैं।

(तदन्तर १ बजे सदन की कार्यवाही दिनांक १२–८–६४ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५५ का उत्तर देखिये)

LIST OF SMALL SCALE UNITS THAT EXPORTED THEIR FINISHFD PRODUCTS DURING THE YEARS 60-61 TO 62-63

S. No.	Name of the Units.	Articles exported.	Value of the articles exported Years. 1960-61	1961-62	1962-63	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Behari & Sons. Balotra	Goat & camel Hair Manufactured Patties	222,090-62 nP.	1,32,626-57 nP.	4,27,738-68 nP.	
2.	„ Abdul Suleman & Co., Head Office Bombay, Balotra Branch Office.	-do-	300,000-00 App.	300,000-00 App.	3,00,000-00 App	
3.	„ Elahi Bux & Sons. Jodhpur	Lac bangles & soap cases	...	22,604-00 1812-00 soap cases	...	
4.	„ Rajasthan Calluloid Industries Jodhpur.	Lac Bangles.	...	...	3,900-00	
5.	„ Hira Crushing (P.) Ltd. Jodhpur.	Bone powder.	28,21,000-00	37,84,000-00	35,26,000-00	

1	2	3	4	5	6	7
6.	M/s Rajasthan Electric Ind. I. E. Jaipur.	Electric wires	...	...	3128-00	
7.	,, Mahabir Financials Proprieter Jaipur Bone & Gless Works Jaipur.	Bone Powder.	...	...		Figures not available.
8.	,, Bisau Gawar gum factory Jhunjhunu	Gawar Gum	...	...	100 Tons. (Rs. 25000/-App.)	Started in December 1963.
9.	,, Nath Marble Industries Makarana.	Marble slabes.	...	...	Rs. 25,000/-(all in 3 years)	
10.	,, Germany stone manufacturing Co. Kuchaman Road.	Flour in Mill stone etc.	...	...	28,215/-	-do-

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६२ का उत्तर देखिये)

सूची. (३)

तारांकित प्रश्न संख्या २४ पी० डब्लू० एल० दिनांक ६-५-६४ के उत्तर में ।

सड़क निर्माण कार्य की सूचि सन् १९६१-६२

क्रम संख्या	काम का नाम	सड़क की कुल लम्बाई	१९६०-६१ तक बनी सड़क	नई सड़क १९६१-६२ में बनी	कुल लम्बाई बनी
१.	बाड़मेर चितलवाना सड़क	७० मील	६८ मील	२ मील	७० मील
२.	बाड़मेर-बालोतरा	७१ मील	२२ मील	२९ मील	५१ मील
३.	बाड़मेर-रामासर सड़क	८२ मील	५४ मील	११ मील	६५ मील
४.	नावा-फलपुर सड़क	५२ मील	३८ मील	२ मील	४० मील
५.	बाड़मेर-हरसानी सड़क	५२ मील	१३ मील	५ मील	१८ मील
६.	बाड़मेर-सरीन सड़क	२७ मील	२४ मील	२।। मील	२६।। मील

सड़क निर्माण कार्य १९६२-६३

१.	बाड़मेर-बालोतरा	७१ मील	५१ मील	१० मील	६१ मील

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६६ का उत्तर देखिये)

निम्न काश्तकारों की भूमि नीलाम की गई है :

१. सालू पुत्र हरका विश्नोई सा० मालवाड़ा तहसील सांचोर ख० नं० १४४ रकबा ११।३

२. हरचन्द पुत्र रायमल माली सा० इसरोल तहसील सांचोर ख० नं० ३६४ रकबा ,१६।।।२

३. हुकम राम गुरडा सा० जाखल तहसील सांचोर ख० नं० ६१६ रकबा.।४३

परिशिष्ट ४

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बस यात्रियों को सुविधाएं चित्तौड़गढ़

१६७. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) चित्तौड़गढ़ नित्य प्रति कितनी बसें आती हैं और कितनी यहां से जाती हैं ?

(२) क्या यह सही है कि यहां यात्रियों को सुविधा के लिए बसों के प्रोग्राम, स्टेन्ड्स, बुकिंग ऑफिस आदि की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो कब तक हो जायगी ?

(३) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ के किले पर जाने के लिए भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक हो सकेगी ?

उत्तर

(१) ३३ बसें नित्य प्रति आती जाती हैं।

(२) जी नहीं। यात्रियों की सुविधा के लिये बस स्टेन्ड है, बुकिंग बसों पर होता है। यात्रियों के ठहरने के लिये बस स्टेन्ड के सामने ही शेड बना हुआ है। टाइम-टेबल का बोर्ड बस स्टेन्ड पर लगा हुआ है।

(३) जी हां। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है व कलेक्टर चित्तौड़गढ़ के सुझाव अनुसार ७ सीट की टैक्सी कार व २० सीट की छोटी बस लगाये जाने के लिये आर० टी० ए० द्वारा आवेदन पत्र मांगे गये हैं। इनके प्राप्त होने पर आर० टी० ए० विचार कर निर्णय देगी।

किशनगढ़-परबतसर रूट की बसों का समय निर्धारित

१६८. श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि किशनगढ़ से परबतसर जाने वाली बसें २ घण्टे का समय लेती हैं जब कि परबतसर केवल २४ मील है और सड़क डामर की है ? यदि हां, तो क्या सरकार यात्रियों के समय की बचत करने के लिये कम समय निर्धारित करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) यह सही है। किशनगढ़ से रूपनगढ़ १६ मील डामर की सड़क है। और रूपनगढ़ से परबतसर ८ मील डामर की सड़क नहीं है। इस सड़क पर ७ स्टोपेजेज हैं और रूपनगढ़ से

परबतसर सड़क की हालत अच्छी नहीं है । रूपनगढ़ बसों का जंक्शन है जहां पर नांवा व सांभर से बसें आती हैं अतः यहां स्टोपेज २० मिनट का है । जब तक रूपरगढ़ से परवतसर तक सड़क अच्छी नहीं हो जाती समय कम किया जाना सम्भव नहीं है

कपासन-चित्तौड़ रोड पर रेल्वे क्रोसिंग पर सड़क निर्माण कार्य

१७०. श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सच है कि चित्तौड़ सैनिक स्कूल के पास कपासन-चित्तौड़गढ़ के रेल्वे क्रोसिंग पर सड़क नहीं बन पाई है ?

(२) यदि हां, तो क्यों ? और वह कब तक बन जायगी ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) रेल्वे लेविल क्रोसिंग के अभाव में निश्चित नहीं कहा जा सकता । मामला रेल्वे विभाग के विचाराधीन है ।

टोपीदार बन्दूकों की लाईसेन्स की किताबें तहसील झालरापाटन

१७२. श्री जुझारसिंह (चेचट): Will the Home Minister please reply:—

(1) Is it a fact the Muzzle loading guns of the licence holders in Jhalarapatan Tehsil have been got deposited in the police on the plea that the weapons would be returned to the licence holders after the 'licence-books' have been prepared and entries of guns made in them ?

(2) Since how long the guns have been collected and when are they likely to be returned ? Please also state the total number of guns collected by the police to register them in the licence books ?

उत्तर

(१) पुलिस स्टेशन झालरापाटन में उन व्यक्तियों को टोपीदार बन्दूकें जमा कराई गईं जिनके पास उन बन्दूकों को अपने पास रखने के लिये लाइसेन्स नहीं थे अथवा जिन्होंने सन् १९५८-५९ के पश्चात् लाइसेन्स का नवीकरण नहीं कराया था । जो व्यक्ति मर गये उनके उत्तराधिकारियों से भी ऐसी बन्दूकें जमा करवाई गईं हैं और उन्हें यह कहा गया है ये इन बन्दूकों के लाइसेन्स अपने नाम बनवा लेवें । नये लाइसेन्स बनाने व पुरानों को नवीकरण करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(२) लाइसेन्स बनवाने की तारीख ३०-६-६३ तक थी। इसके बाद जिन लोगों ने लाइसेन्स नहीं बनवाये उनकी बन्दूकें जमा कराई गई हैं आगे मियाद बढ़ाने के लिये भारत सरकार को लिखा गया है। अब तक १६१ टोपीदार बन्दूकें जमा कराई गईं। नये लाइसेन्स बनने पर अथवा पुराने लाइसेन्स नवीकरण होने पर यह बन्दूकें लोटा दी जायंगी।

अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास सांचोर

१७३. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार सांचोर में अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये एक होस्टल शीघ्र खोलने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

जी नहीं। इस वर्ष में नये राजकीय छात्रावास खोलने का प्रावधान शेष नहीं है।

गर्ल्स हाई स्कूल झालावाड़

१७४. श्री गोविन्दसिंहछ (पिड़ावा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही कि नगरपालिका झालावाड़ में गर्ल्स स्कूल में दो शिफ्ट में पढ़ाई होती है ?

(२) यदि हां, तो यह पद्धति कब से लागू हुई और शिफ्ट रोजाना किस किस समय पर चलते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि यह शिफ्ट चलने के पहले लड़के और लड़कियां प्राइमरी शिक्षा साथ साथ लेते थे ?

(४) क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के आदेश से लड़के और लड़कियां प्राइमरी, मिडिल कक्षाओं की शिक्षा साथ नहीं पा सकते हैं ?

(५) यदि हां, तो इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने ऐसा आदेश क्यों निकाला ?

(६) उपरोक्त आदेश से पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई या कमी ? आदेश निकलने से पहले उक्त पाठशाला में कितनी कन्याएं थीं और आदेश के बाद कितनी कन्याओं ने कन्या पाठशाला में दाखिला लिया ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) यह पद्धति सत्र १९६३–६४ के प्रारम्भ से लागू हो गई थी। पारी (शिफ्ट) का समय सुबह ६–४५ से ११–३० तक तथा १२ से ५ तक है।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं। इस प्रकार की कोई आज्ञा निरीक्षक, शिक्षणालय, झालावाड़ के यहां से नहीं दी गई और न निरीक्षिका शिक्षणालय ने ही दी है।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता।

मेवाड़ शुगर फैक्ट्री भोपाल सागर की भूमि अलाटमेन्ट

१७५. **श्री मानकचन्द सुराणा (कोलायत)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) मेवाड़ शुगर फैक्ट्री भोपाल सागर किस सन् में स्थापित हुई ?

(२) मेवाड़ सरकार ने शुगर फैक्ट्री को भोपाल सागर तहसील व सलूम्बर तहसील में कुल कितनी जमीन किस शर्त पर दी ? एलाटमेन्ट आर्डर की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ?

(३) क्या मेवाड़ शुगर फैक्ट्री व मेवाड़ सरकार के बीच फैक्ट्री के मालिकाना हक के बारे में कोई इकरारनामा व शर्तनामा हुआ था ? यदि हाँ, उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(४) भूतपूर्व भोपाल सागर तहसील में कृषि योग्य भूमि जो शुगर फैक्ट्री को दी गई उसमें से उसने कितनी बेच दी व किस अधिकार से ?

(५) उक्त बेचवान नामें किस किस तारीखों में किस किस व्यक्ति को कितने कितने क्षेत्रफल के किये गये ?

उत्तर

(१) सन् १९३६–३७ में।

(२) मेवाड सरकार ने भोपालसागर तहसील में १२५७॥)२ बीघा जमीन दी। तहसील सलूम्बर में मेवाड़ सरकार की तरफ से कोई भूमि नहीं दी गई। इस सम्बन्धी फाईल काफी पुरानी होने से बीकानेर पुरालेखा विभाग में चली जाना बताया जाता है जो समय की कमी होने प्राप्त से नहीं की जा सकी।

(३) सम्बन्धित फाइल के उपलब्ध नहीं होने के कारण इस सम्बन्ध में तहकीकन नहीं कहा जा सकता ।

(४) शुगर फैक्ट्री भोपालसागर ने अपने खाते की कुल भूमि २६६)३ बेची है व भूदान यज्ञ में दी है ।

(५) सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३४ का उत्तर देखिये)

सूची वोदा व सोनीया टेके के कमान्ड एरिया में विला नाम काबिल काश्त जो पड़त है तहसील गंगरार।

नं०शु	नाम गांव	तादाद पड़त रकबा बीघा में
१.	चत्राकाखेडा	३००
२.	तमडिया	१२००
३.	घोलो	४००
४.	लालू उदा का खेडा	१७५
५.	बुबालिया	५००
६.	साडरिया	८५०
७.	जोठियास	१८०
८,	वोलो का सावता	२५०
९.	वारदा	५००
१०.	बडलिया	३००
११.	तालेडी	१००

सूची सिंचित क्षेत्र में विला नाम काबिल काश्त पडत है तहसील : चित्तौड़गढ़

नं० शु० १	नाम गांव २	तादात रकबा ३	नं० शु० १	नाम गांव २	तादाद रकबा ३
१.	बरन्या पंथ का	३३७	४.	खारडी बावडी	१०६
२.	हरोल	१८०	५.	वोरडी	३२२
३.	ओछड़ी	४३८	६.	खेरी	८७॥

१	२	३	१	२	३
७.	खोर	७६	२०.	भैरूसिंह का खेडा	७८
८.	घटियावली	१२०६	२१.	मायरा	१४६
६.	गिलन्ड	५२६	२२.	मीठारामजी का खेडा	२००
१०.	चामकी कां खेडा	२०	२३.	शम्भूपुरा	१७
११.	चितोडी	३१	२४.	सामेरी	२७६
१२.	चोथपुरा	१७१	२५.	सेभलिया	५६०
१३.	जालमपुर	३६६	२६.	सुगेवा	१४४
१४.	ठीकरिया	३००	२७.	संती	४५१
१५.	टाडन	१५००	२८.	सूरजपोल	६६७
१६.	नतावल	६१४	२६.	सेलमपुरा	३५६
१७.	बीडवास	४७६	३०.	जाड़	२०४
१८.	बीजन्दा	२८२	३१.	सुरजणा	२१०
१६.	भाटिया का खेड़ा	१६	३२.	ग्राछोडा	६१८
			३३.	लालाजी का खेडा	१८

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३५ का उत्तर देखिये)

फहरिस्त भूमि एलाटमेन्ट की दरख्वास्तें जो पेन्डिग है तहसील गिरवा :

१. हीरालाल पिता दौलतराम ब्राह्मण नि० आसट

२. दोलतराम पिता मिश्रीलाल बोवेल नि० उदयपुर

३. वरदा पिता गंगाराम राजपूत निवासी खेमली

४. भंवरलाल पिता धन्नालाल महाजन निवासी रामा

५. उदयलाल पिता गंगाराम रेगर निवासी उदयपुर

६. रामकिशन पिता गुमाना डांगी निवासी मला कागडा

७. नारायण छगा पिता केसू गाडरी निवासी कानोर

८. महेन्द्रकुमार पिता सुलतानसिंह महाजन उदयपुर

९. गंगाराम पिता खेमा डांगी निवासी थुर

१०. मोहन पिता सुखलाल ढोली निवासी कुराबड

११. जयशंकर पिता भंवरलाल निवासी बली

१२. लाल पितामाईग मेगवाल निवासी वली

१३. मेरा पिता मेरा नारा मीणा निवासी फीला

१४. छगनलाल पिता तिलोचन्द तेली नि सी बम्बोरा

१५. खाना पिता दोला मीना निवासी दीली

१६. माना पिता रूपा मीणा निवासी पीला

१७. उदयलाल पिता रूपालाल मेगवाल निवासी बम्बोरा

१८. रूपा पिता वाला लाहार निवासी आवरा

१९ खेता पिता मना मेगवाल निवासी बम्बोरा

२०. गुलाबखां मुसलमान निवासी उदयपुर

२१. शंकर भारती पिता उकांर भारती गुसाई निवासी केरली का गूडां

२२. अम्बाव पिता नन्दा गमेती निवासी करेला का गुडा

२३. मेरा लाल पिता कन्नां वलाई निवासी ढीकली

२४. प्रभुलाल पिता मचथोलाल ब्राह्मण निवासी वली

२५. रूपा पिता मेरा गमेती निायसी चौहानी का गुडा

२६. नाथू पिता मेरा गमेती निवासी एंजन

२७. लालाल पिता सूरता मेती निवासी केरली का गुडा

२८. देवा पिता गुलावजी कुम्हार निवासी देवाली

२९. अम्बालाल पिता देवा मेमेती निवासी देवाली

३० भगवान पिता हीरालाल सुतार निवासी बेली

३१. रामा पिता मोती गमैती निवासी बेली ।

---

* शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक ११ अगस्त, १९६४)

स्कम्भ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१-२	शीर्ष	बिधान	विधान
१	६	सहकारी	सहकारी,
,,	१०	समाज कल्याण	समाज कल्याण,
३	३	उप : मन्त्री राजस्व,	उप-मन्त्री, राजस्व
,,	४	लड्डा)	लड्ढा) :
८	अन्तिम से ३	श्री सतीश जन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
६	३	,श्री कृष्ण कुमार गोयल	श्री कृष्णकुमार गोयल
,,	५	गया]	गया] :
,,	अन्तिम से २	र्शमा	शर्मा
१०	८	,,	,,
,,	२३	शमा	,,
१३	१०	श्री झुजार सिंह	श्री जुझारसिंह
,,	१५	श्री रामग्रसाद	श्री रामप्रसाद
१६	१६	श्री जुझाजर सिंह	श्री जुझारसिंह
,	२६	श्री रामप्रसाद लड्डा	श्री रामप्रसाद लड्ढा

१	२	३	४
१७	६	श्री भैखरलाल	श्री भैरवलाल
,,	१५	गंगानगर)	(गंगानगर)
१६	१	(सांचोर :	(सांचोर)
,,	११	(बैर)	(वैर)
,,	२२, ३०	श्री निरंजनाथ	श्री निरंजननाथ
२३	शीर्षक	अगस्न	अगस्त
,,	२०	(श्री रामप्रशाद	(श्री रामप्रसाद
२४	१	श्री गोबिन्दसिंह	श्री गोविन्दसिंह
,,	६	श्री गोबिम्द सिंह	,,
,,	४	लड्डा	लड्ढा
२८	३	(कृपरा	(कृपया
,,	२२	श्री मुरलीवर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
२६	१२	श्री चंदकमल वैद	श्री चन्दनमल वैद
,,	१८	कागे	आगे
३१	अन्तिम से ८	श्री विजवसिंह	श्री विजयसिंह
३२	शीर्षक	ताराकित	तारांकित
३५	३	(चित्तोड़गढ़)	(चित्तौड़गढ़)
,,	२१	(श्री भवानीसिंह नन्दवाना)	(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)
३६	५	श्री भवानीशंकर	श्री भवानीशंकर
३७	शीर्ष	———	(श्री निरंजननाथ आचार्य)

१	२	३	४
३६	४	एक माननीय	एक माननीय सदस्य :
,,	६	श्री प्रयध्क्ष	श्री अध्यक्ष
४२	१८	श्री निरजंननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
४३	१७	श्री निरजननाथ ग्राचार्य	,, ,, ,,
४६	६	श्री रामप्रशाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
५३	शीर्षक	तारांक्ति	तारांकित
५५	७	श्री राभप्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
५६	६	श्री तेजराम गहलोत	श्री तेजाराम गहलोत
५८	५	(बैर)	(वैर)
,,	ग्रन्तिम से ४	(श्री निरजननाथ	(श्री निरंजननाथ
६१	१७	बिभाग।	विभाग
६४	ग्रन्तिम से २	अग्रबाल	अग्रवाल
६५	२१	ग्रग्रावल।	,,।
६६	शीर्षक	ग्रगस्न	ग्रगस्त।
७१	८	ग्राचायं।	आचार्य
७३	शीर्ष	(मथुरालास माथुर)	श्री मथुरादास माथुर
७४	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	ग्रनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	२१	सुराणा,	सुराणा।
७५	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर– ११ग्रगस्त, ६४–ग्रतारांतिक प्रश्नोत्तर	ग्रनुपस्थित सदस्यों के –११ ग्रगस्त, ६४–तारांकित प्रश्नोत्तर
७८	२२	(मावली। :	(मावली) :

१	२	३	४
८१	१७	ईश्वरदास अजमेर	ईश्वरदास (अजमेर)
८३	१६	(पिडावा)	(पिडावा)
८५	शीर्षक	डकैतियों के सम्बन्ध -११ अगस्त, ६४- में वक्तव्य	अतारांकित प्रश्नोत्तर -११ अगस्त, ६४-डकैती के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव
८७	शीर्ष	(श्री निरंजननाथा आचार्य)	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
९०	१	(रार्यासिह नगर	(रायसिंह नगर
,,	१९	हाडां	हांडा
९३	शीर्षक	डकैतियों के सम्बन्ध -११ अगस्त, ६४- में वक्तव्य	डाकुओं द्वारा राजोरा में की गई -११ अगस्त, ६४- लूट-पाट के सम्बन्ध में वक्तव्य
९४	१९	श्री भैरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
,,	२४	श्री मोहनलाल सुखाड़िता	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
९७	शीर्षक	स्थगन प्रस्ताव -११ अगस्त, ६४ -स्थगन प्रस्ताव	सवाई माधोपुर में मारपीट -११ अगस्त, ६४- के सम्बन्ध में वक्तव्य
९९	,,	स्थगन प्रस्ताव -११ अगस्त, ६४- स्थगन प्रस्ताव	सवाई माधोपुर में मारपीट -११ अगस्त, ६४- पंचायत राज स्टडी टीम-
१००	१७	वाद्र	वाद
१०२ से २०० तक	शीर्षक	अग्रेतर	अग्रेतर
१०३	,,	(श्री लक्ष्मणसिह महारावल)	(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
१३५	शीर्ष	(श्री भैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिंह)
१३९	शीर्षक	राज	राज्य
१४०	,,	वाव	वाद
१४५	,,	रांज्य	राज्य

१	२	३	४
१४५	शीर्ष	(श्री भैंरोंसिह्)	(श्री भैंरोंसिह)
१४८	१६	श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
,,	अन्तिम से ३	श्री रामानन्व अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
१५१	२१	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
१५३	११		(१०.३५ म. पू.)
		(श्रीमती लक्षमीकुमारी चूण्डा-वत : दासीन)	(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)
१५५	शीर्षक	-११ अगल्त,	११ अगस्त,
१६१	१७	(बैराठ)	(कोटपुतली)
१८३	शीर्ष	(श्री हीराथाई)	(श्री हीराभाई)
१६४	१	(नवाई)	(निवाई)
२०६	१४	टीपीदार	टोपीदार
२०७	१४	श्री गोविन्दसिंह छ :	श्री गोविन्दसिंह :
२०८	६	श्री मानकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा

*नोटः—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।